खण्ड-260, अंक-9
बुधवार, 31 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(22 सितम्बर, 1965 ई0)

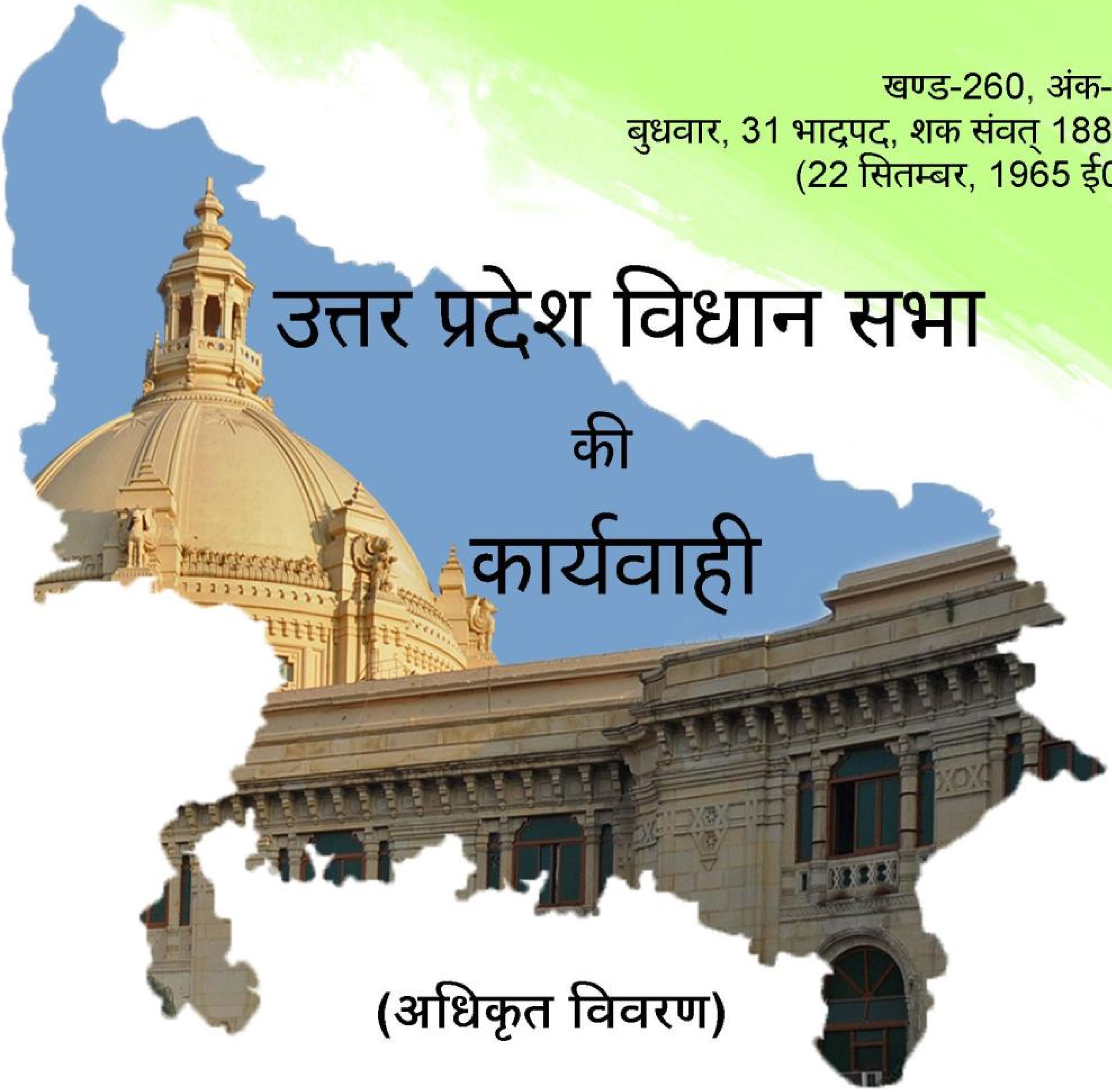

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 260 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	७९१–७९५
प्रश्नोत्तर	७९५–८२६
ब्लैक आउट का समुचित पालन न किये जाने पर आपत्ति	८२६
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८२६
श्री केशरीप्रसाद पांडेय द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	८२६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	८२७
'स्वतन्त्र भारत' दैनिक समाचार पत्र में विधान सभा की कार्यवाही को गलत ढंग से प्रतिवेदित करने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निदेश ..	८२७
उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट्स एण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित)	८२७–८७१
प्रदेश के खिलाड़ियों को आर्थिक अथवा अन्य सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	८७१–८७७
नत्थियां	८७८–८८२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २२ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में १० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३७८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
(उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री]
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशोधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य,श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
हीतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश, शिक्षा उप मन्त्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय, तथा गृह उप मन्त्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २२ सितम्बर, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बरेली जिले में सिंचाई कूपों के निर्माण में विलम्ब

*१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में भोजीपुरा, फतेहगंज पश्चिमी व बिथरी ब्लाकों में कितने ऐसे नलकूपों व रहट के कुओं का निर्माण नहीं हो पाया है जिनके प्रार्थियों को ६ मास से भी अधिक पहले कर्जा व अनुदान क्षेत्र समितियों द्वारा स्वीकृत होकर पहली किस्त भी मिल गई थी और उन्होंने गड्ढे आदि खुदवाकर ईंट आदि भी मंगवा ली थी ?

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

भोजीपुरा, फतेहगंज पश्चिमी तथा बिथरी ब्लाक में ६ मास से पूर्व स्वीकृत निम्नलिखित कार्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं ।

कार्य			भोजीपुरा	फतेहगंज पश्चिमी	बिथरी
कूप निर्माण ..	..	..	२१	..	५९
नलकूप निर्माण]	..	..	..	..	१

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उपरोक्त कुओं का निर्माण क्यों नहीं हो पाया ? क्या यह सही है कि नियोजन विभाग के निर्माताओं के बार-बार प्रार्थना करने पर भी अभी तक सीमेंट नहीं दी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उपरोक्त कार्य सम्बन्धित ऋण ग्रहीताओं की अपनी लापरवाही के कारण पूर्ण नहीं हुए । यह सही नहीं है कि नियोजन विभाग में निर्माताओं के बारबार प्रार्थना करने पर भी सीमेंट नहीं दी क्योंकि ब्लाकों में सीमेंट की कमी नहीं रही ।

*३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली के नियोजन विभाग के पास ३", ४" व ६" बोरिंग के लिए कितने सेट हैं ? क्या यह सही है कि इनकी संख्या जिले की मांग-पूर्ति के मुकाबले में अत्यन्त नगण्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को अविलम्ब दूर करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

बरेली के नियोजन विभाग के अन्तर्गत ३ इंच व ४ इंच बोरिंग करने के लिए क्रमशः ५ इंच के ५ बोरिंग सेट तथा ६ इंच के १३ बोरिंग सेट हैं । जिले की मांग के अनुपात में ५ इंच व ६ इंच बोरिंग सेटों की संख्या पर्याप्त है । ६ इंच बोरिंग करने के लिए ८ इंच बोरिंग सेट नहीं है । इसके लिए जिला नियोजन अधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता से मांग की है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

पहले तो श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि विकास विभाग से जो हमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं उनका टाइम इतना खराब होता है कि पढ़ने में नहीं आता । मैं अपनी कापी आपको भेज दूंगा । दूसरे मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि भोजीपुरा में २१ तथा बिथरी ब्लाक में ५९ कुएं न बनने की कौन-कौन-सी कठिनाइयों के लिए सरकार जिम्मेदार है और कौन-कौन-सी लापरवाहियों के लिए ऋण गृहीताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, हमारे ब्लाक तथा विभाग की ओर सभी सुविधाएं उन को दी जाती थी । यह बनाने वालों की लापरवाही थी जिसके कारण यह काम नहीं पूरा हो सका ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह लापरवाही क्या थी ? चीजों को मंगाने के लिए दरख्वास्त नहीं दी या आपके अधिकारियों की बात उन्होंने नहीं मानी ? पहली किस्त का रुपया उन्होंने खर्च कर लिया कायदे से फिर उनकी कौन-सी लापरवाही रही ?

श्री बंशीधर पांडेय—

हमारी तरफ से तकावी, सीमेंट आदि की सुविधा दी गयी लेकिन वह लापरवाही कौन-सी थी इसका ब्योरा ब्लाक स्तर पर मिल सकता है और माननीय सदस्य आसानी से वहां से यह उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मन्त्री जी मेरी यह सूचना मानेंगे कि सरकार की ओर से ११ लाख रुपया लघु सिंचाई योजना के लिए दिया गया था वह भी अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया है। गाजीपुर पटेल कमीशन के अन्तर्गत तीव्रगामी योजना का जिला है लेकिन वहां भी ४२३ कुओं में ३०० में बोरिंग नहीं हो पायी है। इसलिए कि सरकार के पास बोरिंग सेट्स की बहुत कमी रही और इस वजह से सारा काम बेकार पड़ा है और यह इसलिए भी है कि सरकार सीमेंट आदि समय पर नहीं दे पायी है। इसके लिए किसानों पर दोष लादना उचित नहीं है क्या मन्त्री जी इस की जानकारी करायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

गाजीपुर तो तीव्रगामी योजना के अन्तर्गत है और वहां उसके अनुसार काम हो रहा है। माननीय सदस्य अगर उस जिले के बारे में जानकारी चाहेंगे तो प्रश्न होने पर वह बतला दूंगा। लेकिन बरेली में किसानों की लापरवाही के कारण ही यह काम पूरा नहीं हो पाया है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, एक प्रश्न सदन के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है और सरकार को उस का उत्तर देना है। इसके सम्बन्ध में सरकार यह नहीं कह कर टाल सकती कि इस का विवरण ब्लाक स्तर पर आप ले सकते हैं। आप उसका उत्तर यहां दिलाइए।

श्री अध्यक्ष—

हमारे नियमों में तो यह है कि अगर बोर्डस् या स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न हो तो वह यहां पूछा नहीं जा सकता जब तक कि सरकार की नीति का कोई प्रश्न उसमें न हो। मैं समझता हूं कि अधिक ब्योरे की बातें वहीं पूछ ली जायं तो उचित होगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

जब आपके सामने एक मुकदमा पेश हो गया तो उसके न्याय से आप इन्कार नहीं कर सकते। जब एक प्रश्न सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका तो सरकार कैसे कह सकती है कि इसका ब्योरा ब्लाक स्तर पर मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष—

विवरण तो दूसरी बात हो गई।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मन्त्री जी ने बतलाया कि सीमेंट उन्होंने पर्याप्त मात्रा में दी और मेरा कहना है कि सीमेंट न मिलने के कारण ही किसान कुंआ नहीं बनवा पाए। किसान रुपए का सही उपयोग करना चाहते ह। क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि बरेली में जो यह कुवें नहीं बने हैं उनके सम्बन्ध में काश्तकारों ने दरख्वास्तें दीं और पिछले आठ, नौ महीने से उनकी दरख्वास्तें ब्लाकों में पड़ी हैं लेकिन उनको सीमेंट नहीं मिलीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बात तथ्य से परे है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इस बात की दुबारा जांच करायेंगे कि इन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र वहां पड़े हैं और उनको सीमेंट नहीं दिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

आप इन ५९ और २१ आदमियों के नाम लिख कर दे दें, हम जांच करवा लेंगे।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

मन्त्री जी ने बताया कि काश्तकारों की इसमें लापरवाही रही। मैं जानना चाहता हूं कि अनुदान कब दिया गया और सीमेंट उनको कब दी गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह इतने ब्योरे का प्रश्न है कि इसकी सूचना इस स्तर पर नहीं है। फिर मेरा अनुरोध है कि अगर आप को इन बातों को पूछना हो तो पहले से हमें लिख दें अन्यथा क्षेत्र समिति के अन्तर्गत क्वेश्चन आवर का भी वहां प्राविधान है। आप वहां यह प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

पिछले साल इस सरकार की तरफ से सिंचाई और नलकूप के संबंध में जिलों-जिलों के ब्लाक्स से डिमान्ड्स मांगी गई थीं और हर ब्लाक ने अपनी-अपनी मांगों का कार्य-क्रम साल भर का सरकार के पास भेजा था लकिन आज तक अपने ब्लाक को एक पैसा भी नहीं दिया गया जबकि साल भर पहल डिमान्ड्स यहां पहुंच गई थीं तो क्या सरकार इस बुनियादी सवाल का उत्तर देगी कि डिमान्ड्स आने के बाद भी साल भर हो गया कुछ नहीं दिया गया और सिंचाई की इन ब्लाक्स की मांगों को सरकार कब तक पूरा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

बरेली को वह दे चुके हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुये कि आजकल ६ इंच की बोरिंग की सेट्स की ज्यादा आवश्यकता है और वह बरेली में बिलकुल नहीं है तो क्या मंत्री जी इसकी शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था करेंगे कि ८ इंच क बोरिंग सट्स वहां अधिक से अधिक मात्रा म पहुंचा दिय जायें, कहीं २१ कुओं का निर्माण नहीं हुआ और कहीं ५९ का निर्माण नहीं हुआ और इसका कारण भी अब आपको मालूम हो गया कि नियोजन विभाग ने समय से सीमेंट नहीं दिया ब्लाकों को और इस कारण से वह अधूरे पड़ रहे। इसक कारण सिंचाई का काम पिछड़ रहा है तो क्या मंत्री जी फिर से इस प्रश्न का जांच करा क फिर से उत्तर देंगे कि क्यों सीमेंट नहीं दिया गया और कब स प्रार्थना पत्र कितने पड़ ह ?

श्री बंशीधर पांडेय—

६ इंच के बोरिंग सेट्स को जहां तक माननीय सदस्य ने कहा उसके लिये मैंने पहले ही बताया कि जिला नियोजन अधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता को लिखा है कि उसका प्रबन्ध शीघ्र किया जा रहा है और जहां तक २१ और ५९ कुओं की बात है मेरा अनुरोध माननीय सदस्य से है कि वह लिखकर दे दें ताकि हम जांच क आदेश शीघ्र करें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

इन बोरिंग सेट्स की कमी सब जगह है तो क्या सरकार इस कमी को ध्यान में रखते हुये प्राइवेट बोरिंग कम्पनीज का सहयोग लेगी ताकि सारा काम आपके आर्डर पर हो जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रकार की जिला नियोजन अधिकारियों को हिदायतें हैं कि वह २ रुपया या ३ रुपया के हिसाब से, रेट का मुझे डिटेल में पता नहीं है, वह करा सकते हैं ।

एक्सरे मशीनें

*४—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रान्त में ऐसे कितने सिविल अस्पताल हैं जिनमें ६ माह अधिक से एक्सरे मशीनें काम नहीं कर रही हैं व खराब हैं ? सरकार द्वारा जो मशीनें खराब हैं उन्हें ठीक कराये जाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई व कब-कब ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

प्रदेश में ३१ सिविल अस्पताल ऐसे हैं जहां ६ माह से अधिक से एक्सरे मशीनें काम नहीं कर रही हैं या खराब हैं । इन मशीनों को ठीक कराने के लिये जो कार्यवाही की गई है, उसका विवरण देने में सदन का काफी समय लगेगा । यदि सदस्य महोदय चाहें तो इसे स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यालय में देख लें ।

*५— श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[श्री अध्यक्ष की आज्ञा से स्थगित किया गया ।]

मलेरिया विभाग के कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति

*६—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके मलेरिया विभाग में ३० जून सन् १९६५ तक कितना नान गजटड टक्निकल स्टाफ काम कर रहा है और कितने दिन से ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

३० जून सन् १९६५ तक मलेरिया विभाग के अन्तर्गत नान गजेटेड टेक्निकल स्टाफ की संख्या ९९८१ थी ।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के अन्तर्गत ६७ यूनिटें तथा ८ क्षेत्रीय उप सहायक निदेशक मलेरिया के कार्यालय हैं । इन यूनिटों की स्थापना समय-समय पर सन् १९५८-५९ व १९५९-६० तथा १९६०-६१ के बीच हुई । जैसे-जैसे यूनिटों की स्थापना होती गई वैसे-वैसे स्टाफ की नियुक्ति भी की गई और जून सन् १९६५ में नान गजेटेड टेक्निकल स्टाफ की कुल संख्या ९९८१ हो गई ।

*७—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी तहसील में १ जनवरी १९६५ से ३० जून १९६५ के बीच के कितने गांवों में चेचक का प्रकोप था और उसमें कितने आदमियों की मृत्यु हुई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बस्ती जिले की बांसी तहसील में १ जनवरी १९६५ से ३० जून १९६५ के बीच केवल एक गांव मुशहेरा से चेचक के प्रकोप की रिपोर्ट आई और उसमें तीन आदमियों की चेचक से मृत्यु हुई ।

*८—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ने उपरोक्त ग्रामों में दौरा किया या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने यह सुना था कि मलेरिया विभाग के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति होने वाली है और शायद समाप्त कर भी दी ह । तो म माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने आदमियों को सेवा मिल गयी है और जो सरकार ने वायदा किया था कि उन व्यक्तियों को पुनः किसी नौकरियों में ले लिया जायगा यह कहां तक उन्होंने पूरा किया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

केवल ७८७ आदमी ऐसे रह गये थे जिनको अभी तक हम नौकरी में नहीं रख पाये हैं क्योंकि उनके लिये हमारे पास कोई स्थान नहीं थे । पर हम प्रयत्नशील हैं और जहां भी संभव हो सकेगा हम रख लेंगे ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं जानना चांहता हूं कि जिन व्यक्तियों को दूसरे विभागों में ले लिया गया है या जिन व्यक्तियों को सर्विस में ले लिया जायगा क्या उनकी पुरानी सर्विस को ध्यान में रखते हुये उनकी सर्विस को कन्टीन्यु समझा जायगा अर्थात् उनकी लेंन्थ आफ सर्विस मानी जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन् मलेरिया विभाग तो पूरा ही अस्थायी है । इसलिये कन्टीन्यूटी का सवाल नहीं उठता । फिर भी जो सम्भव हो सकेगा देखा जायगा और जो मुनासिब होगा किया जायगा ।

दहगवां अस्पताल की तालाबन्दी

*९—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के ९ वें बुधवार के लिये निर्धारित श्री उल्फत सिंह यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर से सम्बन्धित क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कि मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि किसी भी कर्मचारी के उपस्थित न होने के कारण ही ताला डाला गया तो उस समय डाक्टर, कम्पाउन्डर तथा अन्य कर्मचारी कहां गये थे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि दहगवां अस्पताल जिला बदायूं के बन्द रहने के काल में उसके कर्मचारी कहां गये थे परन्तु यह विश्वास किया जाता है कि वे उस समय अपने निवास स्थानों पर (दहगवां) ही थे ।

*१०—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जब डाक्टर ने अपने साथ दुर्व्यवहार किये जाने की सूचना तुरन्त हेल्थ आफिसर को दे दी तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

डाक्टर के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बदायूं ने स्वयं २३–४–६३, ९–५–६३ तथा २७–१०–६३ को जांच की परन्तु पर्याप्त प्रमाण न होने के कारण कोई कार्यवाही न की जा सकी ।

श्री उल्फतसिंह यादव—

श्रीमन्, मेरी सूचना को सत्य मानकर क्या मंत्री जी मानेंगे, कि ये कर्मचारी अस्पताल में ही मौजूद थे ?

श्री अध्यक्ष—

वे तो कहते हैं कि ताला लगा था ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

प्रश्न यह है कि वे कर्मचारी अपने-अपने निवास स्थान पर मौजूद थे तो अस्पताल में क्यों ताला डाला गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल तो उसी दिन पूछ लेते कि ताला पड़ा है ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वहां पर जब अस्पताल में कोई काम करने वाला नहीं था, तब वहां के ब्लाक प्रमुख के भाई साहब ने ताला डाला था ।

गोरखपुर सदर अस्पताल में एक्सरे प्लांट

*११—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रक्खेंगे कि गोरखपुर सदर अस्पताल में एक्सरे प्लान्ट कब खरीदा गया तथा किस कम्पनी से और उसमें ट्यब एण्ड कन्ट्रोलर के बिल तथा टेबिल और स्टैन्ड अलग-अलग किन-किन कम्पनियों का लगा है तथा एक कम्पनी से सब माल न खरीदने तथा लगाने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

गोरखपुर सदर अस्पताल में एक्सरे प्लान्ट मेंसर्स इन्टरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी, बम्बई, से २८ मार्च, १९५१ को खरीदा गया था। उस समय कम्पनी से एक्सरे प्लान्ट, ट्यूब, कन्ट्रोलर के बिल व ट्रान्सफार्मर ही खरीदा गया और अस्पताल में उपलब्ध पुरानी टेबुल से काम चलाया गया। बाद में टेबुल व स्टैन्ड २९ अप्रैल, १९५५ को इलेक्ट्रो मेडिकल कम्पनी, बम्बई से खरीदा गया। यह आवश्यक नहीं समझा गया कि सभी सामान एक एक ही कम्पनी से खरीदा जाय ।

*१२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि गोरखपुर सदर अस्पताल एक्सरे प्लान्ट ए० सी० बिजली से चलने वाला है या डी० सी० से ? यदि ए० सी० से चालू होने वाला है तो अब तक उसे प्राप्त करने हेतु क्या-क्या कार्यवाहियां विभाग द्वारा चलाई गईं और अभी तक ए० सी० न मिलने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उक्त एक्सरे प्लान्ट ए० सी० बिजली से चलने वाला है । अस्पताल में उपलब्ध डी० सी० बिजली को ए० सी० में परिवर्तित करके एक्सरे मशीन चलाई जाती है । सम्पूर्ण अस्पताल में डी० सी० के बजाय ए० सी० बिजली प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*१३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि इन्फ्रा रेड अल्ट्रा वायलेट डाइथर्मी सदर अस्पताल गोरखपुर में कब खरीदी गई तथा कितने रुपये की और कितनी ? यह मशीनें कब से काम नहीं कर रही हैं तथा उसे बदलने या ठीक कराने हेतु कौन-कौन से कदम उठाये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इन्फ्रा रेड मशीनें तीन हैं । एक मशीन २६ जनवरी, १९५६ को १७१.६२ रुपये में खरीदी गई । दूसरी ३१ मार्च, १९५७ को १८३.१९ रुपये में व तीसरी ३१ जुलाई, १९५७ को १७१.६२ में खरीदी गई । इनमें से दो मशीनें ठीक काम कर रही हैं । एक मशीन जो ३१ मार्च, १९५७ को खरीदी गई थी, मई, १९६२ से खराब है । इसका एक स्पेशल बल्व विदेश से मंगाया गया है जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है ।

अल्ट्रा वायलेट मशीन एक है जो २२ नवम्बर, १९४६ को १००० रुपये में खरीदी गयी थी । यह मशीन ठीक कार्य कर रही है ।

डाइथर्मी की मशीनें तीन हैं । एक मशीन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, गोरखपुर ने जिला अस्पताल के प्रान्तीयकरण होने के पहले दी थी । सन् १९३८ से स्टाक बुक देखी गयी, लेकिन इसकी कीमत का पता नहीं लगा । दूसरी मशीन ११ दिसम्बर, १९५५ को २,३०० रुपये में खरीदी गयी थी और तीसरी मशीन २,३५२ रुपये में २३ नवम्बर, १९५७ को खरीदी गयी ।

ये तीनों डायथर्मी मशीनें काम नहीं कर रही हैं । पहली मशीन सन् १९६१ से काम नहीं कर रही । दूसरी व तीसरी मशीनें २ अप्रैल, १९६२ व १७ जुलाई, १९६४ से काम नहीं कर रही हैं । इन मशीनों को ठीक कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी यह देखने की कृपा करेंगे कि जो डाइथर्मी की तीनों मशीन हैं ये मशीनें १९६१ से काम नहीं कर रही हैं, और एक मशीन जो इन्फ्रा रेड मशीन है यह भी काम नहीं कर रही है क्योंकि विदेशों से बल्ब मंगाये जाते हैं और १९६२ से खराब पड़ी है । तो इन मशीनों को ठीक कराने के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रयत्न किये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इन्फ्रा रेड मशीन के लिये बल्ब मंगाने की कोशिश की जा रही है लेकिन आजकल फारेन एक्सचेंज की दिक्कत की वजह से बहुत सा सामान नहीं मिल रहा है विदेशी मशीनों का और यही हालत डाइथर्मी की मशीन की है क्योंकि बाहर से हमें पुर्जे और सामान लेना है और उसके लिये कम्पनियां अपनी असमर्थता प्रकट करती हैं । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यह मशीनें ठीक हो जायं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये दोनों प्रकार की मशीनें किस कम्पनी से खरीदी गयी और क्या उनसे खरीदते समय कोई गारन्टी ली गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कम्पनियां तो एक साल की मरम्मत की गारन्टी देती हैं इससे अधिक नहीं जबकि इनको खरीदे हुए बहुत अर्सा हो गया । इन्फ्रा रेड की मशीन कुछ काम कर रही है और डाइथर्मी की मशीन में जो दिक्कत है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) —

मंत्री जी ने कहा कि मशीन के भिन्न-भिन्न पुर्जे भिन्न-भिन्न कम्पनियों से लिये गये और पांडेय जी का सवाल था कि एक कम्पनी से क्यों नहीं लिये गये। इस पर मंत्री जी ने कहा कि यह आवश्यक नहीं समझा गया । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं ऐक्सरे प्लान्ट की जो मशीनें हैं उनकी गारन्टी कम्पनियां दो साल की देती हैं अगर एक ही कम्पनी से उसको लिया जाय । तो क्या इसको ध्यान रखते हुए सरकार ने यह क्यों गैर मुनासिब समझा कि एक कम्पनी से ही सब सामान न लिया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

स्थिति यह है कि १९५१ में एक और जो पुरानी मशीन वहां थी उसकी टेबिल काम करने लायक थी इसलिये टेबिल नहीं ली गयी और जितने सामान की जरूरत थी जिससे मशीन नयी हो कर काम करती वह ले लिया गया । लेकिन १९५४ के बाद जब समझा गया कि इसको बदला जाय तब खरीद की गयी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अस्पताल में आने वाली मशीनरी प्रति दिन खराब रहती है अतः इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन सबको एक जगह मंगा कर एक दूसरे के पुर्जे बदल-बदल कर ठीक करने की व्यवस्था मंत्री जी करायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

हर मशीन का पुर्जा अलग-अलग कम्पनी के हिसाब से अलग-अलग होता है। एक ही कम्पनी के दो भिन्न माडलों में पुर्जे नहीं बदले जा सकते यही दिक्कत है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मंत्री जी खुद जानते होंगे कि इनके विभाग में खरीद-फरोख्त कैसे होती है। सेक्रेटरी या डाइरेक्टर टेंडर मांगते हैं, भिन्न-भिन्न एजेन्ट आते हैं जिनसे इनका कमीशन बंधा हुआ है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भविष्य में अस्पताल के लिये खरीद-फरोख्त में परिवर्तन करने की व्यवस्था करेंगे और एक ही कम्पनी से सारा सामान खरिदवाने की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

ऐसी तो कोई इत्तिला है नहीं कि इस प्रकार होता है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

जो एक्सरे मशीन है वह ए० सी० से चलाई जाती है और वहां पर ए० सी० करेंट भी उपलब्ध है। जहां एक्सरे प्लान्ट लगा हुआ है उसके सामने प्राइवेट वार्ड में ए० सी० करेंट है लेकिन उसे डी सी० करेंट से चलाया जाता है और आये दिन एक्सरे

मशीन खराब हो जाती है तो कौन-सी दिक्कत सरकार को पड़ गयी है ए० सी० करेंट से उस मशीन को चलाने में जो कि अस्पताल में ही ए० सी० करट मौजूद है और सरकार उसे लाने में क्यों सफल नहीं हुई और उसके लाने के लिये क्या कार्यवाही अब तक की ?

श्री दाऊ दयाल खन्ना--

जिस वक्त एक्सरे मशीन आई थी वह ए० सी० से चलती थी लेकिन सब जगह गोरखपुर में डी० सी० थी। इसलिये कन्वर्टर लगा कर डी० सी० को ए० सी० में बदल कर उसे चलाया जाता रहा है लेकिन चूंकि अब ए० सी० वहां है हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वहां ए० सी० आ जाय।

श्री रघुनाथसिंह--

अस्पतालों में मशीनों की खरीद-फरोख्त किस तरह से होती है इसकी जानकारी मंत्रियों को निश्चित रूप से होनी चाहिये और माननीय काशी नाथ मिश्र के प्रश्न करने पर भी माननीय मंत्री ने उससे इंकार नहीं किया और यह कहा कि उनको इसकी सूचना नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करेंगे और अगर ऐसी बात है तो अविलम्ब कार्यवाही करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अगर माननीय सदस्य कोई डेफिनिट सूचना देंगे कि वहां पर इस तरह की हरकत की जाती है तो मैं जरूर जांच कराऊंगा और सी० आई० डी० के जरिये से जांच करा दी जायगी।

श्री रघुनाथसिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है। आप भी अध्यक्ष महोदय इस बात को जानते होंगे कि १५,२० प्रश्नों में माननीय मंत्री कहते हैं अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे तो कार्यवाही की जायगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सारी सूचना हम ही देंगे तो माननीय मंत्री किस मर्ज की दवा है और फिर जब विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तब सूचना कैसे देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यदि आप कोई आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार अथवा अनैतिकता विशेष स्थान पर हो रही है तो मंत्री को अधिकार है कि वह पूछें कि कौन वह व्यक्ति है और क्या भ्रष्टाचार हुआ है।

दहगवां ब्लाक भवन के लिए जमीन

*१४-श्री उल्फतसिंह यादव--

विधान सभा के १८ दिसम्बर, १९६३ को श्री उल्फत सिंह यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८०-८१ के उत्तर से संबंधित क्या विकास मंत्री हरिजनों के लिये कब्रिस्तान के काम के लिये कोई दूसरा स्थान निश्चित कर देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

बदायूं जिले के दहगवां ब्लाक की इमारत वाली भूमि में लेखपाल तथा ग्राम समाज के कागजात में कहीं भी कब्रिस्तान नहीं दिखाया गया है। इस भूमि के एक कोने

की ओर दो तीन कबरें पड़ी है, मगर यह स्थान कब्रिस्तान के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। और चूंकि इस भूमि के संबंध में कोई कब्रिस्तान का इन्द्राज नहीं है इसलिये किसी दूसरे स्थान की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

विधायकों को रोडवेज पास देने का सुझाव

*१५—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या इस बात को देखते हुए कि अनेक विधायकों के निवास स्थान तक रेल सर्विस नहीं है तथा रेलवे टाइमिंग भी ऐसे हैं जो अनेक सदस्यों के लिये सुविधाजनक नहीं हैं, सरकार विधायकों के लिये रोडवेज का फ्री पास देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

तिरवाही भूमि में सिंचाई कूप बनाने का सुझाव

*१६—श्री रघुनाथसिंह—

क्या विकास मंत्री इस तथ्य की पृष्टभमि में कि राज्य के बहुसंख्यक गांवों में जहां नहर और नलकूपों से सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकती और नदियों की तिरवाही की जमीन में नीचे बालू होने के कारण किसान सिंचाई के कुएं नहीं बना सकते, ऐसे गांवों का सर्वेक्षण कराकर लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सरकार की ओर से कूप निर्माण आयोजन चालू कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी नहीं। ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ आ जाने के कारण सिंचाई के कूप का बनना संभव नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह—

मेरे प्रश्न का जो नकारात्मक उत्तर दिया गया है मुझे ऐसा लगता है कि विभागीय-अधिकारी मेरे प्रश्न को समझे नहीं सके.....

श्री अध्यक्ष—

आपका क्या मतलब है?

श्री रघुनाथसिंह—

मेरा तात्पर्य यह है कि नदियों की तिरवाही की जमीन में नीचे बालू होता है जिसके कारण छोटे छोटे काश्तकार कुवें नहीं बनवा पाते जिस प्रकार से सरकार नहर खुद-वाती है, नलकूप बनवाती है उसी प्रकार अगर सरकार कुयें इसलिये नहीं बनाना चाहती है कि पैसा उसका लग जायगा लेकिन मिलेगा नहीं तो जिन गांव सभाओं में अपनी ओर से कुयें बनाये जायं वहां सिंचाई कर लगा दिया जाय—

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुत लम्बी बहस हो जाती है। मंत्री जी जवाब नहीं दे पायेंगे। आप प्रश्न कीजिय।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से सिंचाई विभाग नहर निकाल कर और नलकूप खुदवा कर सिंचाई की व्यवस्था करता है उसी प्रकार से लघु सिंचाई योजना में कुयें खुदवा कर नदी के किनारे के गांवों में सिंचाई की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, ऐसी कोई स्कीम नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, माननीय रघुनाथसिंह जी ने तिरवाही की जमीन की ओर संकेत किया है जिसमें नलकूप और कुएं नहीं बनाये जा सकते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के लिये सरकार पम्पिंग सेट उपलब्ध कराने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, जहां पर नहर और ट्यूबवेल से सिंचाई की सुविधा नहीं दी जा सकती वहां पर किसानों को तकावी दी जा सकती है, कुयें बनाने के लिये तथा पम्पिंग सेट के लिये अनुदान दिया जा सकता है ।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि किसानों को तकावी देते हैं और अनुदान देते हैं । लेकिन तकावी पाने के बावजूद सीमेन्ट की कमी के कारण और अच्छी व्यवस्था न होने के कारण और नियोजित ढंग न होने के कारण वे असफल रहते हैं इसलिये तकावी देने के बजाय क्या आपका विभाग कुयें खुदवा देगा ? भले ही कुछ सिंचाई कर गांव सभाओं के मातहत आपका विभाग लिया करे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों को याद होगा कि इसी प्रकार की एक योजना बहुत पहले लाई गई थी । सरकार कुयें बना कर देगी तो उसमें यह ऐतराज आयेंगे कि सीमेन्ट अच्छा नहीं लगा और ज्यादा खर्चा कर दिया गया । किसान खुद अपना कुंआ बनाता है तो उसका उससे एक लगाव रहता है । यह बात समझ में आ सकती है कि दो हजार के बजाय ज्यादा रुपया लगे तो उस पर सरकार विचार कर सकती है । लेकिन यह नहीं हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से कुयें बनाये ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी यह सूचना ग्रहण करेंगे कि और जमीन में ४०–४५ फिट पर पानी आ जाता है लेकिन तराई की जमीन में ६५ से ७२ फिट पर पानी आता है और जो मौजूदा तकावी दी जा रही है उसमें यह कुयें नहीं बन सकते हैं । इसलिये क्या सरकार ऐसी घोषणा करेगी कि इनको ज्यादा सुविधा दी जा सके ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, इस पर हम विचार करेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, बलिया जिले में ऐसी जमीनें हैं जहां ९६ से लेकर १०० फिट पर पानी निकलता है ।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, आजकल के जमाने में ज्यादा अनाज पैदा करने की जरूरत है और अपने यहां जो लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है उसमें खेती करवाने के लिये मंत्री जी के पास कोई टैक्नीकल असिस्टेंस है जिससे ज्यादा अनाज पैदा किया जा सकें ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, देखा यह गया है कि तराई की जमीन में लोग पानी बहुत कम लगाते हैं और फसल पानी लगाने से खराब होती है। सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है। अगर मांग होगी तो सोचा जा सकता है। यह एक्जामिन करने की बात है। सरेदस्त कोई जबाब देना मुनासिब बात नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो जबाब दिया है उसके संबंध में यह है कि तिरवाही की जमीन दो तरह की होती है। एक तो वह जमीन जो बाढ़ से डूब जाय उसके लिये तो मंत्री जी का उत्तर सही है कि उसमें पानी की कम जरूरत होती है लेकिन उनकी अधिकांश जमीन ऊपर की होती है। उसको खूब पानी देने की जरूरत होती है। क्या माननीय मंत्री मेरी सूचना पर जानकारी करवा कर लघु सिंचाई योजना की नयी नीति निर्धारित करने का आश्वासन देंगे ?

श्री राममूर्ति—

सरकार की तरफ से ऐसा कोई विचार नहीं है कि सिंचाई के लिये कुंएं बनवा दिये जायं।

कटेहर क्षेत्र में जच्चा-बच्चा केन्द्र

*१७—श्री रघुनाथसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के कटेहर विधान सभा क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते किन-किन स्थानों पर जच्चा-बच्चा केन्द्र खोले जाने की योजना है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इस क्षेत्र में हरहुवा ब्लाक में आपर और मोघापुर में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है पर मकान न मिलने के कारण अभी तक इनकी स्थापना नहीं की जा सकी है। इसके अतिरिक्त वाराणसी के चोलापुर ब्लाक में भी चार जच्चा-बच्चा केन्द्रों को खोलने का निश्चय किया गया है पर चूंकि क्षेत्र विकास समिति द्वारा अभी स्थानों का नामांकन नहीं किया गया है अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कोई केन्द्र कटेहर क्षेत्र में पड़ेगा अथवा नहीं।

श्री रघुनाथसिंह—

चोलापुर विकास खन्ड कटेहर में ही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका तात्पर्य यह है कि यदि नामांकन नहीं होगा तो कटेहर क्षेत्र में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने के निर्णय को भी बदल देंगे ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

जैसे ही नामांकन हो जायगा वैसे ही खोलने की व्यवस्था करेंगे।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र विकास समिति चोलापुर के सामने उन स्थानों के नामांकन का प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

जैसे ही स्कीम दूसरे फेज पर पहुंची वैसे ही स्वीकार करने की बात है कि कहां-कहां पर उनको खोलेंगे।

श्री बेदराम (जिला एटा)--

क्या माननीय मंत्री जी जिस जगह पर भवन के संबंध में प्रार्थना की गयी है वहां पर जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

हमसे क्षेत्र विकास समिति प्रार्थना करती है कि किस ब्लाक में किस किस-जगह खोलना चाहिए। ज्यादा मुनासिब यह है कि वह क्षेत्र विकास समिति में बातचीत करके कोशिश करें कि उनके क्षेत्र में एक या दो हो जायं।

श्री रघुनाथसिंह--

क्या माननीय मंत्री स्पष्ट यह बतायेंगे कि क्षेत्र विकास समिति के सामने स्थानों के नामांकन का प्रश्न कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय होने की संभावना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इसके लिये नोटिस की जरूरत है। लेकिन जैसे ही नामांकन करेंगे तो फिर समझ लीजिये खुल जायेंगे।

श्री बलवानसिंह--

क्या सरकार, अगर वहां से प्रस्ताव नहीं आया है, तो खुद अपनी तरफ से खोलने की कोशिश करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

तरीका बिलकुल यही है कि क्षेत्र विकास समिति तय करती है कि किस-किस जगह खुलना है और ज्यादा बेहतर यही है कि स्थानीय नुमांइदे इसको तय करें। इसलिये यह नियम रखा गया है।

कटेहर क्षेत्र में सिंचाई के लिए तकावी

*१८--श्री रघुनाथसिंह--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के कटेहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चोलापुर, चिरईगांव और हरहुआ विकास क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सन् १९६३-६४ और १९६४-६५ में कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत हुई और कौन-कौन से कार्य सम्पादित किये गये ?

श्री बंशीधर पांडेय--

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८७८ पर)

श्री रघुनाथसिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं, जो सूची संलग्न है, उसमें देखने से पता चलता है कि तीनों विकास क्षेत्रों को विभिन्न वर्षों में करीब-करीब बराबर की ही धनराशि दी गयी। यानी १९६३-६४ में ८२ हजार रुपये का ऋण दिया गया और वर्ष ६४-६५ में २ हजार ही कम, ८० हजार रुपये का ऋण दिया गया। जब कि

पहले वर्ष ६३–६४ में ३६ नये कुवें बने, ८ कुओं की मरम्मत हुई, २ रहट लगे और ३ पम्पिंग सेट लगाये गये और दूसरे वर्ष ६४–६५ में १८ ही नये कुवें बने, मरम्मत कुछ नहीं हुई, ८ रहट लगे और ७ पम्पिंग सेट लगे। तो विभिन्न वर्षों में जब कि धनराशि करीब-करीब बराबर ही थी किन्तु दूसरे वर्ष में काम पहले वर्ष की अपेक्षा आधा ही क्यों हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जो ६४–६५ के कार्य स्वीकृत हुये हैं, उनके तो अभी ५–६ महीने शेष हैं और इसके अलावा सीमेंट की कमी रही, जिससे काम भी अपेक्षित शीघ्रता से नहीं हुआ जिसकी सूचना आयी है उनको अब हम नोटिस कर रहे हैं कि वे कार्य पूरे कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—

६४–६५ तो समाप्त हो चुका है।

श्री बंशीधर पांडेय—

जब किसी कार्य के लिये तकावी दी जाती है, तो उसके बाद उसको एक साल का समय दिया जाता है। यदि मार्च या फरवरी, ६५ में किसी कार्य की स्वीकृति दी गई है तो उसके लिये एक साल का मौका रहता है।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या आपके उत्तर से मैं यह समझूं कि ६५ के जो नौ महीने बीत चुके हैं तो इन महीनों के बाद भी कुछ महीने शेष रह जाते हैं जिस अवधि में कुवें बन सकते हैं, रहट लग सकते हैं, पम्पिंग सेट आदि लग सकते हैं। यदि ऐसा है तो आप क्या इस भयंकर स्थिति को ध्यान से देखकर इस विकास कार्य में कुछ तेजी लाने का कष्ट करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डाक्टर साहब को बताना चाहता हूं कि एक साल के वक्त की इजाजत तो सरकार ने दी है और उसके बाद भी अगर कोई किसान ज्यादा समय लेना चाहता है तो उसको भी इजाजत दे दी जाती है। इसलिये यदि ऐसा होता है तो किसी काम में रुकावट नहीं पड़ती है, परेशान होने की बात नहीं है, दिन रात तरक्की हो रही है।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ९ महीने के बाद पूरा काम हो जाएगा ? (हंसी)

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

बाज-बाज ओवरटाइम ले लेते हैं। (हंसी)

श्री रामआधार कनौजिया—

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि एक साल के बाद तक कार्य पूरे किये जा सकते हैं तो ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं, जिनके लिये अप्रल, ६४ में स्वीकृति दी गयी और उसके एक साल के उपरान्त वे पूरे हुये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो हो गया, एक साल का समय देते हैं, उसमें कोई हार्ड ऐण्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं और भी समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री श्रीराम—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने वर्ष ६३–६४ में जो रुपया लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत नलकूप बनाने के लिये दिया था, तो वर्ष ६४–६५ में भी उतना ही रुपया था था कम था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जैसा कि रघुनाथसिंह जी ने कहा वह ८२ हजार और ८० हजार रकम थी।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ६३–६४ में चोलापुर ब्लाक ८२,०००, चिरईगांव को ५०,५०० और हरहुआ ब्लाक को २७,५४० रुपयों की राशि दी गयी लेकिन उनमें क्रमशः ३६,३०,१५ कुवें बने, ५, २, २ कुओं की मरम्मत कराई गई, २, १, १ रहट लगाये गये और ३, ४, ३ पम्पिंग सेट्स लगाये गये। तो क्या कारण है कि चिरईगांव ब्लाक में कम धन में ज्यादा अच्छा काम हुआ है और चोलापुर ब्लाक में ज्यादा पैसा देकर भी काम नहीं हुआ है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन् ठीक से देखेंगे, यह उन्हीं का क्षेत्र है। यह सरकार किसी विशेष ब्लाक में से जब मांग आती है रुपया देती है, ६३–६४ में १,६०,००० रुपया दिया गया और ६४–६५ में २,०३,९८० रुपये दिये गये।

श्री रघुनाथसिंह—

मेरा प्रश्न यह नहीं था, मैंने तो तीनों ब्लाकों में तुलनात्मक पूछा था कि चोलापुर में ज्यादा रुपया होने के बाद भी काम कम क्यों हुआ जब कि हरहुवा ब्लाक में उससे एक तिहाई रुपये में आधे से अधिक काम हुआ है ? इसका कारण मैं जानना चाहता हूं कि यह शिथिलता क्यों है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सरकार के ऊपर थोड़े ही है। जहां से काश्तकारों को रुपये पम्पिंग सेट्स के लिये चाहिये, मांग आती है हम दे देते हैं। यह सरकार की ओर से थोड़े ही उन पर थोपा जाता है कि इतना काम तुम्हें करना है।

[२२ सितम्बर, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

[हटा दिये गये।]

विकास खण्ड तोड़ने की योजना

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो विकास खंड समाप्त कर दिये जायेंगे उनके ब्लाक प्रमुखों की क्या स्थिति होगी ? क्या यह बात सही है कि उनके अधिकार भी समाप्त हो जायेंगे केवल वही प्रमुख रहेगा जिस ब्लाक में दूसरा ब्लाक भेज दिया जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रमुख की स्थिति क्या होगी उसका ब्यौरा प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ के खंड ४ में दी गई है। उक्त खंडों का उद्धरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८७९ पर)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

ब्लाकों को तोड़ कर दूसरे ब्लाकों में मिलाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न दोहरा दिया जाय।

(प्रश्न दोहराया गया।)

श्री राममूर्ति—

अभी तो जिला मैजिस्ट्रेटों को यह आदेश हैं कि आबादी के लिहाज से या कुछ और क्राइटेरिया है उसके हिसाब से कौन सा हिस्सा तोड़कर किसमें मिलाया जाय। यह बात अभी तय नहीं हो पायी है लेकिन उसके लिये कमेटी है और वह जो तय करेगी उसके हिसाब से ब्लाकों को तय किया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

किस आधार पर आपके जिला मैजिस्ट्रेट्स ब्लाक्स को तोड़ेंगे, इसके बारे में कृपया सरकार बतायेगी?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, यहां एक मरतबे पहले भी जिक्र हुआ था और उस समय भी मैंने कहा था कि रेशनलाइजेशन किया जा रहा है। आज बाज-बाज तहसील में दस-दस ब्लाक्स बने हुये हैं तो हम यह चाहते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर २४ हजार ब्लाक ऐसे हैं जो डेढ़ ब्लाक कहलाते हैं इस तरह के ब्लाक्स को जो खामखा बड़े हैं उनको कम किया जाय और रेशनलाइज कर दिया जाय ताकि हम ज्यादा काम कर सकें। हम चाहते हैं कि इसी पैटर्न पर ब्लाक्स बनें। यह जिला मैजिस्ट्रेट्स के सोचने की बात है कि वह यह देखें कि कहां आबादी कम है कहां ज्यादा है, सुविधायें कहां पर किस तरह की हैं और यह डिटेल की बात है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ब्लाक्स ऐसे हैं और कब से उनक तोड़न की योजना है?

श्री राममूर्ति—

इसकी तारीख तो बताना मुश्किल है कि कब से तोड़ने की बात है किन्तु इरादा यह है कि २०० से लेकर २२५ तक ब्लाक तोड़े जायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह से ब्लाकों के तोड़ने से जो कर्मचारी बेकार हो जायंगे वह कहां ऐडजार्ब किये जायंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री बलवानसिंह—

क्या यह सही है कि उन्हीं ब्लाकों को तोड़ा जायगा जो 'ए' ब्लाक थे और जो बी० और सी० के ब्लाक हैं उनको ही चलाने की स्कीम है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है?

श्री राममूर्ति—

रेशनलाइजेशन में इन बातों पर भी विचार किया जाता है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

जिन ब्लाकों का पुनर्निर्माण हो रहा है उसके अन्तर्गत एक ब्लाक की जनसंख्या क्या होगी?

श्री राममूर्ति--

करीब एक लाख सवा लाख के बीच होनी चाहिये ।

श्री नाथूराम शिक्षक--

प्रत्येक तहसील में तीन ब्लाक खोले गये हैं। एक तहसील हेडक्वार्टर पर है और दूसरे कुछ दूर दूर हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि तोड़ने के समय इस बात पर विचार रखा जायगा कि हेडक्वार्टर को न तोड़ा जाय और दूसरों को तोड़ दिया जाय या उसमें ही मिला दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

इस बात को जिलाधिकारी देखेंगे कि किस प्रकार से सुविधा होती है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार उन ब्लाकों को ही तोड़ना चाहती है जिनकी इमारत बनकर मुकम्मल हो चुकी है ?

श्री राममूर्ति--

ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--

क्या विकास मंत्री जी बतलायेंगे कि विकास खंड तोड़ने की स्कीम कब से चालू हुई है और अब तक उसमें क्या प्रगति सरकार कर पाई है ?

श्री राममूर्ति--

अभी तक यह प्रगति हुई है कि जिला मजिस्ट्रेटों के यहां से आंकड़े बनकर आ रहे हैं। सबके नहीं आये हैं। हमारी यह कोशिश है कि सब आंकड़े उपलब्ध हो जायं तो अपने अफसरों की एक सब कमेटी बना दें जो उसको देखने की कोशिश करे। वैसे हमारी चेष्टा यह है कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस काम को हम पूरा कर लें।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या ब्लाक क्षेत्र को समाप्त करते समय इस बात का ध्यान रखा जायगा कि यदि दोनों जगह ब्लाकों के भवन बन गये हैं और उनमें से किसी एक को तोड़ना है तो उसी ब्लाक को खत्म किया जाय जिस ब्लाक का भवन सेन्टर में पड़ता हो ?

श्री राममूर्ति--

इन बातों पर विचार किया जायगा।

*४-५--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

[स्थानान्तरित किये गये।]

आई० टी० आई०, मैनपुरी

*६--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या यह है कि मैनपुरी आई० टी० आई० के प्रिंसिपल ने सन् १९६४ में और सन् १९६५ ई० में हर महीने बराबर डायरेक्टर तथा ज्वाइन्ट डायरेक्टर को लिखा है कि मैनपुरी की आई० टी० आई० में एक फोरमैन व एक सुपरवाइजर व एक एकाउन्टेन्ट न होने से मैनपुरी की आई० टी० आई० का सारा काम ठप हो गया है, फौरन उपरोक्त कर्मचारियों को भेजा जावे? यदि हां, तो इस मामले में क्या हो रहा है ?

श्री बनारसीदास--

यह सही है कि मैनपुरी आई० टी० आई० के प्रिंसिपल ने अपने यहां की स्थिति के बारे में निदेशक से लिखापढ़ी की। वहां के फोरमैन नवम्बर, १९६४ में छुट्टी पर चले गए। क्योंकि वे अपनी छुट्टी थोड़ी-थोड़ी करके बढ़ाते रहे, इसलिये उनके स्थान पर किसी दूसरे फोरमैन की नियुक्ति नहीं की जा सकी। निदेशक ने अब दूसरे फोरमैन की नियुक्ति कर दी है। जहां तक सुपरवाइजर का प्रश्न है, केवल एक सुपरवाइजर का तबदला करना कुछ कारणवश आवश्यक था। इसके स्थान पर भी अब दूसरा इन्तजाम किया जा रहा है, एका उन्टेंट के पद पर प्रिंसिपल स्वयं नियुक्ति कर सकते हैं और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये प्रिंसिपल को आदेश दे दिये गए हैं।

मैनपुरी जिले में परिवार नियोजन के लिए आपरेशन

*७--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९६४ में और सन् १९६५ में प्रत्येक विकास खंड में परिवार नियोजन की तरफ से कितने-कितने आपरेशन बच्चा पैदा होने से रोकने के लिये किये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मैनपुरी जिले में १९६४ में १७६ तथा १९६५ में जुलाई तक १५५ आपरेशन बच्चा पैदा होने से रोकने के लिए किये गये जिनका ब्योरा विकास खंड के अनुसार निम्न प्रकार है :--

विकास खण्ड का नाम	१९६४ में आपरेशन	१९६५ से जुलाई तक आपरेशन
मैनपुरी	१०	८
सुल्तानगंज	१४	१६
कुरौली	२१	९
किसनी	१९	१६
करहल	११	..
शिकोहाबाद	२३	३१
मदनपुर	३९	७
जसराना	११	१३
एका	१७	१९
खैरगढ़	१	५
थिरोड़	४	६
अलाऊ	१	१४
बरनाहल	५	११
अरांव	..	..
बियार	..	..
कुल योग ..	१७६	१५५

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अर्रा और घेवर ब्लाक में दो वर्ष में एक भी आपरेशन नहीं हुआ इसके कौन-कौन से कारण हैं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जब कि देश पाकिस्तान के साथ युद्ध में रत है और चीन से भी लड़ाई की संभावना है, सरकार पुनर्विचार करेगी कि इस परिवार नियोजन और बंध्याकरण की योजना को स्थगित करे जब तक कि लड़ाई है जिसमें कि बहुत से नौजवानों की आवश्यकता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सरकार का तो यह ध्येय है कि जो बच्चे हों वह स्वस्थ और ताकतवर हों और पैदा हों तो बड़े होकर बहादुरी के साथ लड़ सकें और यह योजना इस कार्य में मदद देगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

क्या मैं पूछ सकती हूं कि जिन व्यक्तियों या महिलाओं का आपरेशन किया जाता है इस योजना के अन्तर्गत, उनकी सेहत और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसकी फालो-अप रिपोर्ट भी तैयार होती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

बहुत मुनासिब प्रभाव पड़ता है।

श्री बलवानसिंह--

यह तो ठीक है कि मुनासिब प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या सरकार को ज्ञात है कि जितने आपरशन्स हुए हैं उनमें से ज्यादातर जो लोग आपरेशन कराने जाते हैं वह अपने घर से लड़ाई करके जाते हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

माननीय मंत्री जी का स्वयं इस योजना में सहयोग देने का विचार है या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी के पास इस बात के आंकड़े हैं कि इन जनसमुदाय में से किस जनसमूह ने कितने आपरेशन कराये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जितनों के आपरेशन हुए हैं उनके आंकड़े दे दिये हैं। अगर नाम चाहें तो नोटिस दे दीजिये, नाम भी दे देंगे।

*८-१० --श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

[स्थानान्तरित किये गये।]

*११-१३--श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी)--

[स्थगित किये गये।]

*१४-१६--श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)--

[हटा दिये गये।]

नोट--तारांकित प्रश्न ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ग्राम सभा, बलौली के प्रधान के विरुद्ध शिकायत

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय —

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड फतेहपुर, भडाव, जिला आजमगढ़, के अन्तर्गत ग्राम सभा, बलौली के प्रधान के विरुद्ध दिनांक १७ मई, १९६५ को पासबुक से रुपया निकाल कर कन्या पाठशाला के भवन न बनाने का तथा रुपये को निजी काम में खर्च करने की शिकायत उन्हें दिनांक ९ जून, १९६४ का लिखा हुआ उक्त ग्राम के निवासियों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। यदि हां,तो इस सम्बन्ध में कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति

जी नहीं ।

गांव सभा, निमडाह के प्रधान द्वारा अनियमितता

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय —

क्या विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मडाड़ फतेहपुर, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत गांव सभा में मडाड़ के प्रधान ने न्याय पंचायत मडाड़ के १६० रु० ८२ नये पैसे की धनराशि को कब जमा किया तथा यह रकम उनके पास कब से रही है? और न्याय पंचायत के सरपंच पद से हटाने के बाद ही उक्त धनराशि खजाने में क्यों नहीं जमा की गई ?

श्री राममूर्ति—

विकास खण्ड, फतेहपुर मन्डाव, जिला आजमगढ़ की गांव सभा निमडाह के प्रधान ने न्याय पंचायत निमडाह के १६० रुपये ८२ पैसे दिनांक २६ दिसम्बर, १९६३ को स्टेट बैंक में जमा किये थे। यह धनराशि उनके पास ३० अक्तूबर, १९६१ से थी। जांच के फलस्वरूप उक्त धनराशि तुरन्त खजाने में जमा न करने का कारण प्रधान की असावधानी है।

*१९-२०—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[स्थगित किये गये।]

जिला आंख अस्पताल, गोंडा

*२१—श्री सूरजलाल गुप्ता वकील (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आंख अस्पताल, गोंडा का वार्षिक व्यय क्या है और उसकी पूर्ति किस तरह होती है, सरकार को उसमें कितना योगदान देना होता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

जिला आंख अस्पताल, गोंडा गैरसरकारी संस्था है और जैसा सरकार को मालूम हुआ है उस संस्था का पिछले तीन वर्षों का व्यय इस प्रकार है :

वर्ष				व्यय	
				रुपये	पैसे
१९६२-६३	..	..	..	२५,७६०	४९
१९६३-६४	..	..	..	२१,४७१	६०
१९६४-६५	..	..	..	१८,९३४	१६

उक्त संस्था अस्पताल का खर्चा चंदे व दान द्वारा पूरा करती है। सरकार द्वारा भी उसे ५,७०० रुपय वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

*२२—श्री सूरजलाल गुप्त वकील तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार को पता है कि अस्पताल में कम्पाउन्डर, मेहतर, चौकीदार, यन्त्र तथा दवाओं की बहुत कमी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस अस्पताल में कर्मचारियों व दवाओं की कमी बताई जाती है ।

*२३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[स्थगित किया गया ।]

खण्ड विकास अधिकारी, मुजहना के विरुद्ध मुकदमा

*२४—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में कितने खण्ड विकास अधिकारी हैं जो ३ वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर हैं और उनकी बदली दूसरे जिले को नहीं हुयी, इसके क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—

गोंडा जनपद में ३ खण्ड विकास अधिकारी एक ही स्थान पर ३ वर्ष से अधिक समय से हैं जिनका स्थानान्तरण दूसरे जिले को नहीं हुआ है ।

शासकीय आदेश संख्या ३४९४/३८-ए।६४, दिनांक ९-११-६४ के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी एक ही स्थान पर ५ वर्ष तक कार्य कर सकते हैं । उक्त खण्ड विकास अधिकारियों की सेवायें अभी ५ वर्ष से अधिक नहीं हुई हैं ।

*२५—श्री गंगा प्रसाद—

क्या यह सही है कि मुजहना खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध सन् १९६४-६५ में फौजदारी करने का मुकदमा चल रहा था, वापस ल लिया गया? यदि हां, तो मुकदमें का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

खण्ड विकास अधिकारी, मुजैहना के विरुद्ध वर्ष १९६४-६५ में भारतीय दण्ड विधान की धारा ३५२/५०६ के अन्तर्गत एक मुकदमा दायर हुआ था । मुकदमा वापस नहीं लिया गया था अपितु भारतीय दण्ड विधि संग्रह के धारा २५९ के अन्तर्गत वादी की अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा खारिज हुआ था । बाद पुलिस जांच रिपोर्ट एवं न्यायालय के आदेश एवं मुकदमा का पूर्ण †विवरण प्रस्तुत है ।

जिला बुलन्दशहर में 'खरकवारी सहकारी समिति'

*२६—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में खरकवारी सहकारी समिति द्वारा फर्जी रुपया बांटने की शिकायत दिनांक ३० जनवरी, १९६५ को प्रार्थना-पत्र दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं । ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ । अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापा नहीं गया ।

*२७—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री उक्त समिति की आडिट रिपोर्ट, १९६४–६५ को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

वर्ष १९६४–६५ की आडिट रिपोर्ट अभी जिला सम्प्रेषक, बुलन्दशहर से नहीं मिली है उसके उपलब्ध होने पर भी उसकी प्रति सदन की मेज पर नहीं रक्खी जा सकती।

बदायूं जिले में खण्ड विकास अधिकारी

*२८—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में ऐसे खण्ड विकास अधिकारी कौन-कौन हैं जो ५ वर्ष से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इतने लम्बे अर्से तक एक ही स्थान पर रहने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

बदायूं जिले में ऐसे कोई भी खण्ड विकास अधिकारी नहीं हैं जो कि ५ वर्ष से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं।

*२९–३०—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—

[स्थगित किये गये।]

जयहिन्द मजदूर सभा के मंत्री की मांगें

*३१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जे० आर० इन्डस्ट्री लहीपुर, वाराणसी में बराबर हो रही कारखाना कानून की अवहेलना के सम्बन्ध में जयहिन्द मजदूर सभा के मन्त्री ने एक पत्र मांगों सहित दिनांक २ फरवरी, १९६५ को डाक द्वारा मन्त्री जी के पास भेजा है? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में कौन-कौन-सी मांगें हैं और सरकार ने उनके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसीदास—

जी हां। मांगें इस प्रकार थीं :—

(१) कारखाने का निरीक्षण इलाहाबाद क्षेत्र के कारखाना निरीक्षक के बजाय किसी दूसरे कारखाना निरीक्षकके द्वारा कराया जाय अथवा मुख्य कारखाना निरीक्षक स्वयं निरीक्षण कर लें क्योंकि स्थानीय निरीक्षकों पर कारखाने के व्यवस्थापकों का असर है।

(२) कारखाना कर्मचारियों के कथित पत्र में दी गई शिकायत दूर कराई जांय और समुचित आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(३) कारखाने का निरीक्षण वर्ष में एक बार कराने के बजाय कम से कम महीनें में एक बार कराने की व्यवस्था की जाय।

इन मांगों पर की गई कार्यवाही क्रमशः इस प्रकार है :—

(१) कारखाने का निरीक्षण उप-मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा तीन बार किया गया।

(२) शिकायतें दूर करने के लिये उचित कार्यवाही की गई और जिन शिकायतों के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही की जा सकती थीं, कारखाने के विरुद्ध अभियोग चलाया गकृया।

(३) ऐसी व्यवस्था करना सम्भव नहीं है क्योंकि कारखानों की संख्या बहुत है और निरीक्षक उतने अधिक नहीं हैं।

*३२—श्री उग्रसेन—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सभा के मन्त्री ने दिनांक ५ अक्तूबर, १९६४ को राजकीय कम्बल कारखाना, मिर्जापुर एवं राजकीय कम्बल कारखाना, गोपीगंज, वाराणसी के सम्बन्ध में एक पत्र श्रम मन्त्री और श्रम सचिव को डाक द्वारा भेजे गये उनको प्राप्त हुये? यदि हां, तो मांगें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बनारसीदास—

जी हां, इस पत्र में दोनों कारखानों के कर्मचारियों को सन् १९५९ से १९६३ तक सवेतन छुट्टी दिलाने की व्यवस्था करने के लिए मांग की गई थी।

कारखानों में नियमित कर्मचारी, बुनकर तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मकार हैं। नियमित कर्मचारी स्टेट फन्डामेन्टल रूल से शासित हैं और वह कारखाना अधिनियम की धारा ७९ के अन्तर्गत अध्याय ८ के उपबन्धों से मुक्त हैं। उनको सवेतन छुट्टी देने का प्रश्न नहीं उठता अधिनियम के अन्तर्गत बुनकर "कर्मकार" की परिभाषा में नहीं आते। दैनिक वेतन भोगी कर्मकारों को सवेतन छुट्टी देने के लिये उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश तैयार हो गये हैं।

*३३—श्री उग्रसेन—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि सभा के मन्त्री ने दिनांक ८ जुलाई, १९६५ को एक नोटिस दी है कि यदि दिनांक १९ अगस्त, १९६५ तक मांगों के विषय में विचार न किया गया तो दिनांक २० अगस्त, १९६५ से चीफ इन्सपेक्टर आफ फैक्ट्रीज, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय के सामने अपना अनशन शुरू कर देंगे? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या विचार किया?

श्री बनारसीदास—

जी हां, मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ने मौखिक रूप से श्री प्रभुनारायण सिंह, सदस्य विधान परिषद् को पूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया और उससे सन्तुष्ट हो कर मजदूर सभा ने अनशन का विचार स्थगित कर दिया।

*३४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[स्थगित किया गया।]

जिला नियोजन अधिकारी, मथुरा का दौरा

*३५—श्री लखीसिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन अधिकारी, मथुरा ने मार्च १९६५ से १० जुलाई, १९६५ तक जीप से कितना दौरा किया, गाड़ी कितने कि० मी० चली तथा कितना पेट्रोल इस बीच में लिया तथा इसके अलावा यात्रा भत्ता (एलाउन्स) भी लिया तथा कितनी रात जिले में बाहर रुके?

श्री राममूर्ति—

जिला नियोजन अधिकारी मथुरा द्वारा मार्च, १९६५ से १० जुलाई, ६५ तक जीप से ६४ दिन दौरा किया गया, ३९१३ कि० मी० गाड़ी चलाई जिसमें ७६४ लीटर पेट्रोल खर्च हुआ। रु० २५१–५८ पैसे यात्रा भत्ता लिया तथा उन्होंने नौ रात विश्राम बाहर किये।

*३६–३७—श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

[स्थगित किये गये।]

*३८–४०—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—

[स्थगित किये गये।]

श्री ए० एन० द्विवेदी, बी० डी०ओ०, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायतें

*४१—श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

क्या विकास मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि श्री ए० एन० द्विवेदी, बी० डी० ओ० भदैयां ब्लाक, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध अनेकों शिकायतें तार द्वारा व लिखित प्रार्थना-पत्रों द्वारा तथा जिला परिषद्, सुल्तानपुर के प्रस्ताव द्वारा आई है? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

जी हां। शिकायतों की जांच परगना मैजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर तथा तत्कालीन जिला नियोजन अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा की गई तथा क्षेत्र विकास अधिकारी, भदैयां के विरुद्ध आरोप निराधार पाये गये।

विकास क्षेत्र, खजुहा में गबन

*४२—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर), श्री बद्रीप्रसाद (जिला फतेहपुर) तथा श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद फतेहपुर के विकास क्षेत्र, खजुहा में रासायनिक खाद एवं तकावी का कृषकों से संग्रहित ७,००० रुपये से भी अधिक धनराशि का गबन वर्ष १९६४–६५ में विकास क्षेत्र अधिकारियों द्वारा कर लिया गया?

श्री राममूर्ति—

कर्मचारियों द्वारा गबन किया गया है न कि विकास क्षेत्र अधिकारियों द्वारा।

*४३—श्री रामकिशोर वर्मा, श्री बद्रीप्रसाद तथा श्री ज्वालाप्रसाद—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त वर्ष १९६४–६५ में कितनी-कितनी धनराशि का कब तथा किस प्रकार से गबन किया गया तथा किस अधिकारी ने कब और किस आधार पर जांच की? क्या यह भी सत्य है कि जिलाधिकारियों द्वारा जो गबन किये गये छिपाने का प्रयत्न किया गया?

श्री राममूर्ति—

रु० ४,१२२.५९ पैसा की रकम कृषि विभाग के तकावी अमीन द्वारा १९६४ से जनवरी, १९६५ के दरमियान गबन कर ली गई। क्षेत्र विकास अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक ४–१–६५ पर ६–१–६५ को जिला कृषि अधिकारी, फतेहपुर ने जांच की। पुलिस अधिकारी ६–१–१९६५ की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अब तक जांच कर रहे हैं।

[श्री शिवमूर्ति]

दूसरा गबन कैशियर विकास खन्ड कार्यालय, खजुहा, फतेहपुर द्वारा १,४३१.३४ रु० व रु० १,९०३.०५ (कुल ३,३३५.०९) का दिनांक १४-६-१९६४ व ५-२-१९६५ को फर्जी चालान द्वारा हुआ। इस गबन की सूचना क्षेत्र विकास अधिकारी खजुहा, ने २९-५-१९६५ को भेजी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा २५-६-६५ को जांच की गई। गबन की रिपोर्ट २८-६-६५ बिंदकी थाने के पुलिस को खण्ड विकास अधिकारी, खजुहा ने की। इसके अतिरिक्त स्टोर कीपर तथा कैशियर द्वारा भूमि संरक्षण ऋण के २०० रुपये के गबन की भी रिपोर्ट क्षेत्र विकास अधिकारी, खजुहा द्वारा २८-६-६५ को थाना विन्दकी (फतेहपुर) में की गई। पुलिस इनकी जांच कर रही है।

यह बिलकुल असत्य है कि जिला अधिकारियों द्वारा जो गबन किये गये उन्हें किसी भी प्रकार से या किसी के द्वारा छिपाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

जिला आर्गनाइजर पी० आर० डी०, फर्रुखाबाद द्वारा प्रमाण-पत्र छपवाना

*४४—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या विकास मंत्री मेरे प्रश्न संख्या ५४, दिनांक ११ अगस्त, १९६५ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे जो रकम छपाई में व्यय की गई है वह रकम प्रान्तीय रक्षक दल के फण्ड से की गई है? यदि हां, तो उसका हिसाब ठीक ढंग से क्यों नहीं रखा गया?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

साधन सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों को रासायनिक खाद लेने का सुझाव

*४५—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समितियों के सदस्यों को ऋण देने के लिये यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि उन्हें संपूर्ण ऋण का ३३ प्रतिशत रासायनिक खाद लेना अनिवार्य है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं। ऐसा प्रतिबन्ध नहीं बल्कि सुझाव है। साधन सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों को सहकारी ऋण देने के लिये खाद की मात्रा उनके उत्पादन योजना के अनुसार निर्धारित की जाती है। जिन क्षेत्रों की परिस्थिति खाद प्रयोग के लिये उपयुक्त हो वहां ३३ प्रतिशत ऋण की मात्रा खाद के रूप में दिये जाने का सुझाव है। अन्यथा इस मात्रा में परिस्थिति के अनुसार कमी वेशी करने के लिये निर्देश है।

ऐसी व्यवस्था कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा सहकारी ऋण को कृषि कार्यों के लिये ही सदुपयोग करने के दृष्टिकोण से की गई है।

*४६—श्री बसन्तसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि जिन सदस्यों को ऋण देते समय ३३ प्रतिशत रुपया खाद के लिये स्वीकृत कर दिया था, परन्तु खाद के अभाव के कारण खाद नहीं दिया गया उन पर खाद के रुपये पर ब्याज उसी समय से लगाया जाय जब से उन्हें खाद दिया जाय?

श्री बनारसीदास—

जिन सदस्यों को खाद के लिये ऋण स्वीकृत किया गया है परन्तु अभाव के कारण खाद की पूर्ति नहीं की गई है, उनके खाद ऋण प्रार्थना-पत्र को रद्द कर देने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त यह भी निबन्धक सहकारी समिति के विचाराधीन है कि एक ऐसा आदेश जारी किया जाय जिसमें यह आदेश हो कि जिन कृषकों को खाद नहीं मिली उनसे ब्याज न लिया जाय।

जौनपुर जिले में विकास क्षेत्र प्रमुखों को भत्ता

*४७—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास क्षेत्र सिकरारा व मछलीशहर, रामनगर व बरसठी (जौनपुर) के विकास क्षेत्र प्रमुखों ने जनवरी, १९६४ से जुलाई, १९६५ तक कितना-कितना टी० ए० व डी० ए० प्राप्त किया ?

श्री राममूर्ति—

क्षेत्र समिति सिकरारा, राम नगर व बरसठी (जौनपुर) के प्रमुखों ने जनवरी, ६४ से जुलाई, ६५ तक क्रमशः ५३१ रु० ३५ पै०, ४८४ रु० ७८ पै० व ३३६ रु० ५४ पै० यात्रा भत्ता प्राप्त किया व ४५३ रु०, ३८१ रु० व ५९१ रु० दैनिक भत्ता प्राप्त किया। क्षेत्र समिति, मछलीशहर के प्रमुख ने उक्त अवधि में कुल ७५२ रु० २३ पैसा यात्रा एवं दैनिक भत्ता प्राप्त किया।

मड़ियाहूं अस्पताल

*४८—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार जिला परिषद्, जौनपुर द्वारा संचालित मड़ियाहूं अस्पताल को सरकारी अस्पताल बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मड़ियाहूं अस्पताल जिला परिषद्, जौनपुर द्वारा संचालित है। चूंकि इस अस्पताल को शासन के नियंत्रण में ले लिये जाने के संबंध में जिला परिषद् की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अतः सरकार इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है।

जौनपुर सदर अस्पताल का गन्दा नाला

*४९—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर सदर अस्पताल के मध्य से एक गन्दा नाला बहता है जिससे हमेशा बदबू उठा करती है ? यदि हां, तो इसको बन्द कराने की क्या व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, जौनपुर सदर अस्पताल के मध्य से एक गन्दा नाला बहता है। इस गन्दे नाले को बन्द कराने का कार्य नगरपालिका का है, जो उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य परिषद् के परामर्श से इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

*५०—श्री रामसमझावन—

[स्थगित किया गया।]

राजकीय चिकित्सालय, जामो

*५१—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार को विदित है कि शासन के पत्र संख्या बी०—बी० ३०२—१९६३, दिनांक ३० मई, १९६३ के द्वारा जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड, जामो के मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय को ग्राम हरदे के पंचायत भवन में स्थानान्तरित होने के आदेश हो चुके हैं? यदि हां, तो एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उपरोक्त व्यवस्था क्यों नहीं हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, शासन आज्ञा संख्या १३२९ बी० वी ३०२—१९६३, दिनांक ३० मई, १९६४ के द्वारा राजकीय चिकित्सालय, जामो को हरदो के पंचायत भवन में स्थानान्तरण करने के आदेश दिये गये थे। चूंकि यह पंचायत भवन चिकित्सालय के लिये उपयुक्त नहीं हैं और न वहां डाक्टर और कम्पाउन्डर के रहने के लिये उपयुक्त निवास स्थान ही उपलब्ध है इसलिये इस चिकित्सालय को जामो से हरदो स्थानान्तरित नहीं किया जा सका।

*५२—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—

क्या यह बात सत्य है कि जनपद सुल्तानपुर के सिविल सर्जन ने उपरोक्त पंचायत भवन को चिकित्सालय के हेतु अपर्याप्त समझ कर, ऐसा स्थानान्तरण नहीं किया? यदि हां, तो क्या जनता की आवश्यकता तथा शासन के आदेश के पालन की दृष्टि से फिलहाल पंचायत भवन के "आउट डोर डिस्पेंसरी" की व्यवस्था की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, पंचायत घर में स्थान की कमी और हरदो में डाक्टर व कम्पाउन्डर के रहने के लिये उचित भवन न मिलने के कारण वहां आउटडोर डिस्पेन्सरी भी चलाना संभव नहीं है।

*५३—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—

क्या सरकार को यह भी विदित है कि उपरोक्त शासन के पत्र के अनुसार जामो के प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र के बजट से चासील हजार रुपये की धनराशि हरदो चिकित्सालय के हेतु प्राप्त होना है? यदि हां, तो उपरोक्त चिकित्सालय के निर्माण का कार्य किस निश्चित तिथि से प्रारम्भ होगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न संख्या ५१ के उत्तर में बताये गये शासनादेश के अनुसार सामुदायिक विकास विभाग की ओर से हरदौ के चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु केवल ३,००० रुपया मिलना है। चूंकि अभी हरदौ में चिकित्सालय भवन बनाने का प्रश्न सरकार के बिचाराधीन नहीं है अतः निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

बोनस भुगतान अध्यादेश का प्रवर्त्तन

*५४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोनस कमीशन के अध्यादेश के अन्तर्गत जो बोनस कमीशन की रिपोर्ट बोनस सम्बन्धी विवादग्रस्त मामलों पर लागू होने वाली थी अभी तक लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—

बोनस भुगतान अध्यादेश, १९६५ लागू है ।

*५५—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[स्थगित किया गया ।]

लेबर कण्ट्रैक्ट ट्रान्शिपमेंट समिति, मुरादाबाद के मंत्री पर आरोप

*५६—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री को यह मालूम है कि हाल में ही लेबर कांट्रेक्ट ट्रांशिपमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी माल गोदाम, मुरादाबाद के सेक्रेटरी ४० हजार रुपये का गबन करके कागजात लेकर भाग गया है ? यदि हां, तो उनके पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसीदास—

लेबर कन्ट्रेक्ट ट्रान्शिपमेंट समिति, मुरादाबाद में ४०,००० रु० के गबन की कोई रिपोर्ट नहीं है अलबत्ता समिति के भूतपूर्व अवैतनिक मंत्री ने अवश्य अपने कार्यकाल से सम्बन्धित हिसाब-किताब का चार्ज वर्तमान मंत्री को अभी तक नहीं दिया है । इसके लिये पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को लिखा गया है । वे भागे नहीं हैं ।

उत्तराखण्ड में वैद्यों का चुनाव

*५७—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन की ओर कोई ऐसी राजाज्ञा जारी हुई है कि उत्तराखण्ड में जितने नवयुवकों ने सहायक वैद्य की परीक्षा पास की है उन्हें राज्य सेवा में लेकर उत्तराखण्ड और कुमायूं प्रभागों के औषधालयों में नियुक्त किया जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । इसका कारण यह था कि अगस्त, १९६४ में शासन की जानकारी में यह लाया गया कि उत्तराखंड विद्यापीठ आयुर्वेदिक कालेज, गुप्तकाशी जिला चमोली से सहायक वैद्य का कोर्स पास कर कुछ कम्पाउण्डर बेकार बैठे ह और वहां के आयुर्वेदिक औषधालय में कुछ सहायक वैद्य (कम्पाउण्डर) के स्थान रिक्त पड़े हैं । इन बातों की जिलाधीश पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी से पुष्टि कराई गई और प्राप्त सूचना अनुसार १० फरवरी, १९६५ को निदेशक आयुर्वेद को यह निर्देश दिया गया कि उत्तराखंड के आयुर्वेदिक औषधालयों में कम्पाउन्डरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करतेसमय उपर्युक्त कालेज से पास उत्तराखंड के अभ्यर्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

*५८—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

पिछले जून मास में सहायक वैद्यों का जो चुनाव हुआ क्या उसमें उक्त राजाज्ञा पर अमल किया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । चुनाव करते समय उक्त निदेश को दृष्टिकोण में रक्खा गया था ।

*५९—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि उक्त दोनों प्रभागों से कितने अभ्यर्थी इण्टरव्यू में आये थे और उनमें से कितनों का चयन किया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रदेश के दोनों प्रभागों से कुल ३७ अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे । उनमें से ३२ इन्टरव्यू में बुलाये गये और नियमानुकूल इनमें से २२ का चुनाव किया गया है ।

चमोली जिले में स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्मचारियों का वेतन

*६०—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

क्या सरकार को यह मालूम है कि चमोली जिले के गैर सैंण लोहबन विकास खंड के अन्तर्गत सेनेटरी इंस्पेक्टर, मिडवाइफ, दाई, आदि जो सफाई व स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्मचारी ह, उन्हें अप्रैल, सन् १९६५ से वेतन नहीं मिला है ? इस वेतन के रुकने के कारण कर्मचारियों को जो कष्ट हुआ है उसके लिये किसका दायित्व है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में द्रुतगामी कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चमोली जिले के गैर सैंण लोहबन विकास खन्ड के स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्मचारियों का जन स्वास्थ्य विभाग के बजट से वेतन आदि देने के आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं । इन आदेशों को जारी करने में समय इस लिये लगा कि सचिवालय के अन्य विभागों से पूछ ताछ करनी पड़ी और निदेशक से भी कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई ।

*६१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जिले में विकास क्षेत्र

१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग जिले में प्रगाढ़ विकास क्षेत्र कौन-कौन हैं ?

श्री राममूर्ति—

प्रगाढ़ विकास क्षेत्र का कार्यक्रम अब विकास खंड के प्रथम सोपान में होता है । इस समय इलाहाबाद जिले में प्रथम सोपान के १३ विकास खंड हैं, जिनकी सूची माननीय सदस्य के मेंज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८८० पर)

फरेंदा तहसील हेडक्वार्टर पर महिला चिकित्सालय न होना

२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील हेड-क्वार्टर है वहां कोई महिला अस्पताल स्थापित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

फरेन्दा तहसील हेड क्वार्टर पर महिला चिकित्सालय स्थापित करने की कोई योजना नहीं है ।

देवरिया जिले में खाद न मिलने की शिकायत

३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वालों के लगभग १५ लाख रुपया खरीफ की फसल में खाद डालने के लिये काट लिया गया है और अभी तक खाद भी नहीं दिया गया जिससे खरीफ की फसल में खाद डाली नहीं जा रही है ? यदि हां, तो तत्काल क्या खाद की व्यवस्था हेतु कदम उठाया जावेगा ?

श्री बनारसीदास—

यह सही है कि देवरिया जिले में सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वालों का लगभग १५ लाख रुपया खाद की मद में काट लिया गया है, परन्तु यह सही नहीं कि आज तक संबंधित किसानों को खाद नहीं दी गई। ३१ जुलाई, १९६५ तक ९,९९, ४७९ रु० की खाद दी जा चुकी है और शेष ४,७०,००० रु० की खाद की पूर्ति अवशेष स्टाक तथा कृषि विभाग और अगस्त, सन् ६५ में पी० सी० एफ० से मिली खाद से जारी है।

४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला की सलेमपुर तहसील की पिपरा सड़कड़ा समिति जो ३० जून, १९६५ को बेबाक हो गई तब भी बार बार मांग करने पर भी ए० आर० ने कर्ज देने से क्यों रोक लगा दी है ?

श्री बनारसीदास—

पिपरा सड़कड़ा समिति ३० जून, ६५ को बेबाक नहीं हुई थी। इस पर मध्य कालीन ऋण का रु० ९०७–८३ पैसे असल तथा रु० ११७–८० पैसे ब्याज का उक्त तिथि को बकाया था। अतः इसे नया ऋण नहीं दिया जा रहा है।

विकास खण्डों का तोड़ा जाना

५—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतालायेंगे कि जो ब्लाक तोड़े जायेंगे उनके देहातों का बटवारा अन्य ब्लाकों में कैसे होगा ?

श्री राममूर्ति—

यथा संभव एक तहसील में विकास खन्डों की संख्या कम करने के पश्चात शेष विकास खन्ड इस प्रकार बनाये जायेंगे कि उनका क्षेत्रफल तथा जन संख्या लगभग बराबर हो।

६—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी कृपा करके यह भी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे ब्लाक हैं जिनकी इमारतें बन चुकी हैं और जिनमें जीप गाड़ियां हैं ?

श्री राममूर्ति—

प्रदेश में १५९ ऐसे विकास खन्ड हैं जिनमें इमारत बन चुकी हैं। प्रदेश में ६३० ऐसे विकास खन्ड ह जिनमें जीप गाड़ियां उपलब्ध ह।

दहगवां में विकास कार्य

७—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खन्ड दहगवां के मुख्यालय के ग्राम दहगवां में तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या विकास कार्य किये गये ?

श्री राममूर्ति—

विकास खन्ड, दहगवां में मुख्यालय के ग्राम दहगवां में तीसरी पंच वर्षीय योजना में दिनांक ३१-८-६५ तक जो जो कार्य किये गये उनकी प्रगति रिपोर्ट संलग्न है।

(देखिये तत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८८१-८८२ पर)

ब्लेक आउट का समुचित पालन न किये जाने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष—

माननीय बिपिन बिहारी तिवारी ने यह सूचना दी है कि शहर में जो ब्लैक आउट का प्राविधान किया गया है उसका ठीक तरह से पालन नहीं हो रहा है और उस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

मैं खुद यह शिकायत करने वाला था। विधायक निवास में लाइट जलती है, हमारे मकान के सामने चूंकि पड़ता है इसलिये मैं देखता हूं। अगर हमारे सब भाई इसमें सहयोग दें तो इसमें कोई शिकायत नहीं होगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

इसके लिये तो मैंने स्वतः माननीय सदस्यों से निवेदन किया है। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे हैं जो माननीय मंत्री जी की पहुंच में ही आ सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५ जो विधान सभा द्वारा ९ सितम्बर, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २१ सितम्बर, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था, मुझे कुछ निवेदन करने की आज्ञा दी जाय।—

श्री अध्यक्ष—

माननीय केशरी प्रसाद पान्डेय ने माननीय गृह मंत्री के खिलाफ एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसको माननीय गृह मंत्री के पास स्पष्टीकरण के लिये मैंने भेज दिया है। उनका स्पष्टीकरण आ जाये, फिर आप कुछ कहिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम किशोर त्रिपाठी तथा माननीय लखीसिंह ने चीन की गतिविधियों के संबंध में कुछ निवेदन किया है। उनके प्रस्ताव को यहां लेने में कुछ कठिनाई है। ज्यादा अच्छा यही होगा कि उस संबंध में यहां चर्चा न की जाय। इसलिये मैं ऐसे मामलों में नियम ५२ के प्रस्ताव स्वीकार करने में कठिनाई अनुभव कर रहा हूं।

अ क सदस्य—

ठीक है, ठीक है।

श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

ऐसी सूचनाओं को आप माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज दिया करें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैं कर देता हूं। मैंने इस पर भी लिख दिया है। माननीय मंत्री को वह चली जायेगी।

'स्वतंत्र भारत' दैनिक समाचार-पत्र में विधान सभा की कार्यवाही को गलत ढंग से प्रतिवेदित करने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निदेश

श्री अध्यक्ष—

कल यहां माननीय नरसिंह नारायण पान्डेय नें एक शिकायत की थी। कि दयानिधि पार्क के पास कुछ तलाशी हो रही है। मैंने कल कहा था कि ऐसे प्रश्न यहां सदन में न उठाये जायं तो अच्छा है। उसकी शिकायत मेरे पास भेज दी जाया करे ताकि मैं उसकी मुनासिब जांच करके तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकूं। स्वतंत्र भारत में जो इस संबंध में सूचना छपी है वह यह है—"आज विधान सभा के अध्यक्ष श्री मदन मोहन वर्मा ने विधायकों को सचेत किया कि भारतीय सेना अथवा सैनिकों के विरुद्ध इस सदन में कोई शिकायत नहीं की जा सकती, ऐसा करना राष्ट्र विरोधी कृत्य समझा जायेगा"। मैंने ऐसी बात नहीं कही थी। स्वतंत्र भारत में, जो उनके प्रतिनिधि हों, वे कृपया इसका प्रतिवाद छाप दें।

उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट्स ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५†

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इण्टरटेनमेंट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर, विचार किया जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, एक वैधानिक आपत्ति है। प्रक्रिया नियमावली के खंड १३० में लिखा है—पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव—उसमें स्पष्ट लिखा है कि "किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गई हों, और सदस्यों द्वारा की गई आपत्ति अभिभावी होगी

---

† २१ सितम्बर, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें।" श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका पुरःस्थापन कल हुआ। इस स्थिति से इसमें तीन दिन नहीं हो पाये हैं। इसलिये इस पर विचार नहीं किया जा सकता और न ही इसका प्रस्ताव आ सकता है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आप अपने अधिकारों का उसमें उपयोग नहीं करेंगे। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें, यह जनहित की बात है .....

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप फिर से पढ़िये। इसमें पुरःस्थापन की बात नहीं है। इसमें यह लिखा है कि "विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गई हों"। प्रतिलिपियां तो सोमवार को मिल गई थीं, आज तीसरा दिन है और इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा भी हो चुकी है। विभिन्न दलों के माननीय नेतागण भी मुख्य मंत्री से मिल चुके हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको आज ले लिया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

नेताओं ने कहा था कि आया न होता...

श्री अध्यक्ष—

वह वैधानिक सवाल था।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यह विधेयक जो माननीय शान्ति प्रपन्न जी पेश कर रहे हैं यह कब तक चलेगा। कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक तो शाम को होगी। जब उसका फैसला हो तभी वह लागू हो। आप अपनी राय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

उसके मालिक आप हैं। यह सदन मालिक है क्योंकि कार्य मन्त्रणा समिति का हमें कोई आदेश नहीं मिला है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, उसमें कहीं क्लोजर आ जाय?

श्री अध्यक्ष—

जब आयेगा तब देखा जायेगा यह तो काल्पनिक बात है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटा बिल है और ऐसा बिल है जिस बिल से किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। इस बिल से आमदनी बढ़ेगी। हमने सिर्फ एक बात की है कि सेक्शन ३ में जहां हमको अधिकार था कि हम साठ फीसदी तक टैक्स लगा सकते हैं हमने इतना किया है कि साठ परसेन्ट के बदले ७५ परसेन्ट लगा सकते हैं। जहां तक और स्टेट्स का सम्बन्ध है जैसे, बिहार में ही ७५ फीसदी ले रहे हैं। हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। किसी पर भार, पड़ने वाला नहीं है। कोई नहीं देखना चाहता तो वह न जाय। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप थोड़े पैसे का ले लीजिये। जहां तक आमदनी का सम्बन्ध है इससे सरकार की आमदनी ८०–८५ लाख के करीब बढ़ जायेगी। मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि पिछली दफा भी ऐसा हुआ जब हमने टैक्स बढ़ाये तो लोगों ने एतराज किया कि इस प्रकार से टैक्स बढ़ जाने से आमदनी कम हो जावगी लोग नहीं देखेंगे। जब टैक्स बढ़े तो आमदनी बढ़ गई। उससे

सरकार को भी रेवेन्यू मिली। अपनी आमदनी बढ़ी तो सिनेमावालों को भी मिला। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो उस तरफ के बैठने वाले हैं उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी होगी। हम इसमें केवल यह अधिकार ले रहे हैं कि ६० फीसदी जो अभी हम लेते थे उसके बजाय ७५ फीसदी ले सकें। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती और मैं समझता हूं सदन के जितने भी आदरणीय सदस्य हैं वह एकमत होकर इसको पास करेंगे। इन शब्दों साथ मैं चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर दे।

श्रीमन्, देखने में तो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा एक बहुत छोटा सा-विधेयक पर इसके उद्देश्य और कारण को आप देखें तो उसमें लिखा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से अन्य बातों के अतिरिक्त आमोदकर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। श्रीमन्, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए माननीय मंत्री जी संसाधन जुटाने जा रहे हैं और उसमें यह नये टैक्सेज ला रहे हैं। हमारा इससे प्रारम्भ से ही विरोध रहा है कि यह जो पंचवर्षीय योजनायें आप बनाते हैं बिना सोचे समझे गलत आंकड़ों के ऊपर आप इन्हें निर्धारित करते हैं। बजाय नीचे से आंकड़े आय नीचे से आवश्यकतायें दिखलायी जायं आप एक स्थान पर बैठकर अपने दिमाग से बिना सोचे समझे उन चीजों को पैदा कर लेते हैं और ऐसी योजना का जो कल्याणकारी स्वरूप होना चाहिए, जनहितकारी स्वरूप होना चाहिए वह नहीं बन पाता। आज जो हमारे देश की परिस्थिति है जिसमें चीन और पाकिस्तान का आक्रमण हमारे देश पर है उसमें आप सोच रहे हैं और केन्द्रीय सरकार सोच रही है कि इन योजनाओं में कुछ कटौती की जाय, इन योजनाओं का कुछ स्वरूप बदला जाय। तो जब तक वह बदला हुआ स्वरूप न आ जाय, जब तक उसकी एक निश्चित रूपरेखा हमारे सामने न आ जाय, जब तक इस साढ़े इक्कीस हजार से लेकर साढ़े बाईस हजार करोड़ की योजना में जो परिवर्तन करना है वह सामने न आ जाय तब तक इस प्रकार के बिल लाने का मैं सिद्धान्ततः विरोध करता हूं चाहे वह सिनमाओं पर टैक्स के लिए हो, चाहे किसी और चीज पर टैक्स हो। श्रीमन्, हम तो हमेशा कहते हैं कि इन योजनाओं को बदल डालो। इन योजनाओं से आपके किसी लक्ष्य की पूर्ति तो हो नहीं पायी, इनसे देश को अगर कुछ मिला है तो तीन चीज मिली है। आप चाहे उन्हें लक्ष्य की पूर्ति समझिये या और कोई बात समझिये। सबसे पहली चीज जो इन योजनाओं ने दी है वह है बेकारी। बेकारी बराबर बढ़ती चली जा रही है। दूसरी चीज हम मिली है महंगाई और तीसरी चीज जो मिली है वह है भ्रष्टाचार। मैं आंकड़ों से सिद्ध कर सकता हूं कि इन चीजों की उपलब्धियों हमें अवश्य हुई हैं। ये योजनायें बिल्कुल गलत तरीके से बनाई गई हैं और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई हैं। तो जब तक इनमें सिनेमा टैक्स के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, हम इसके लिए एक पैसा भी देने के लिए तयार नहीं हैं। इसलिये हमने यह प्रस्ताव किया है संशोधन के रूप में।

बेकारी की संख्या दूसरी योजना के प्रारम्भ में थी ५३ लाख जो तीसरी योजना के प्रारम्भ में ८० लाख हो गई और अन्त में हो गई १२५ लाख। चौथी योजना के समाप्त होने तक यह हो जायगी, १५६ लाख। सरकार कहती है कि जन-संख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ी। परन्तु यदि आपने जन-संख्या की बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर प्लान नहीं बनाया तो आपको प्लान बनाने की क्षमता नहीं है, आप हट जायें और दूसरे को प्लान बनाने दें। आपको चौथी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

योजना में आमूल परिवर्तन करना चाहिये। अन्यथा इन टैक्सों के लगाने का कोई आधार नहीं है। अगर आपने यह लिखा होता कि आप आपत्तिकाल के लिये टैक्स लगाने जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है, जिसके माने यह हैं कि आपने इसके मौलिक सिद्धान्त स्वीकार कर लिये हैं। लेकिन अब आप इसका आमूल विरोध कर रहे हैं। मैं आप को रोकता नहीं हूं, लेकिन इसे ध्यान में रखें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का मैं पेश करता हूं चूंकि मनोरंजन कर बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसका कोई औचित्य होना चाहिये। हमें बहुत सी बातों पर गौर करना होगा। यह टैक्स किस जनता पर पड़ेगा? ८० पैसे के टिकट में साधारण गरीब जनता जाती है, जिन्हें दिन भर राशन लेने में, मिट्टी का तेल खरीदने में और घर के धंधों में लगता है और वे शाम को २, ३ घंटे के लिये सिनेमा चले जाते हैं ताकि अपने गम को भुला सकें। उनके पास कोई दूसरा साधन आमोद-प्रमोद का नहीं है।

आपने सिनेमा से साधन जुटाने की बात सोच ली। इससे भले ही आपकी ४०, ५० लाख रुपया मिल जाय, लेकिन मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं जिससे १ करोड़ रुपया तक मिल सकता है। माननीय मंत्री जी जरा ध्यान से सुन लें। आपने विदेशी शराब पर भारी टैक्स लगाया है और अंग्रेजी शराब के विक्रेताओं से आप १। और १।। रुपया बोतल टैक्स लेते हैं, लेकिन जो मैस और क्लब चलते हैं...

श्री अध्यक्ष—

यह बिल्कुल आउट-आफ-आर्डर है। प्रवर समिति का प्रस्ताव करके आप इस विधेयक का विरोध नहीं कर सकते। टैक्स के सम्बन्ध में कौन से सिद्धान्त हैं जिनकी इस विधेयक में त्रुटि हुई है, उस पर आप बोलिये। प्रवर समिति के प्रस्ताव के आप ही प्रस्तावक हैं और आप ही इसका विरोध करें तो असंगत हो जाता है। कृपया टैक्सेशन के प्रिंसिपल और उनके विरुद्ध अगर कुछ कहना हो, तो कहिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इन्हीं सब बातों पर ही तो प्रवर समिति में विचार होगा मैं केवल यहां इतना कह रहा हूं कि सब के ऊपर एक सा टैक्स नहीं होना चाहिये। कुछ विशिष्ट श्रेणी के लोग ऊपर की क्लास में सिनेमा देखते हैं उनसे अधिक कर लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

जनसंघ की ओर से तो यह प्रस्ताव आया है कि ७५ के बजाय १०० प्रतिशत कर दिया जाय। खैर, आप बोलिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जिन सिनेमाओं को बच्चे देखते हैं, जैसे आजकल अटारी पिक्चर लगा हुआ है, ऐसा कुछ प्रबन्ध होना चाहिये कि ऐसे पिक्चरों पर अधिक टैक्स न पड़े, जो बच्चों के लिये शिक्षाप्रद हैं। यह भी हमको देखना है कि टैक्स तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन इससे फिल्म की इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा नुक्सान नहीं पहुंचना चाहिये। हमारे यहां फिल्म भी अच्छी बनें, यह भी हम ध्यान में रखना है। तो जब तक हम इन सब बातों पर सोच विचार नहीं कर लेंगे तब तक इस विधेयक को लाना उचित नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस

पर सर्वांगपूर्ण विचार करने के लिये इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा कर।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका हम तीन सौ सदस्य समर्थन करते हैं, एक-दो नहीं। अभी माननीय सदस्य ने जो ऊपर नीचे की बातें कहीं उनका कोई औचित्य मालूम नहीं पड़ता क्योंकि जहां तो एक तरफ वह इसका विरोध करते हैं वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी ७५ फीसदी के बजाय १०० फीसदी बढ़ाने को कहती है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि उनके इस संशोधन को मान कर १०० फीसदी टैक्स कर दे।

जहां तक चौथी योजना का संबंध है उसके बारे में इतनी बड़ी पुस्तिका हमें वितरित की गयी है। जहां तक योजना में कमी का प्रश्न है वह १४ सौ करोड़ से १० सौ करोड़ तो कर दिया गया है। ४०० करोड़ की कमी कर दी गयी है। पहले केन्द्रीय सरकार का पैसा ६९ प्रतिशत था लेकिन अब लड़ाई की भयंकरता आ गयी उसके कारण वह ६० प्रतिशत ही रह गया। अब जो बाकी योजना रह गयी उसमें हमें अन्न की पैदावार को बढ़ाना है। मैं हरीशकुमार जी से पूछता हूं कि क्या अन्न का उत्पादन घटा दिया जाय, क्या तीन योजनाओं में जो शिक्षा-सिंचाई चिकित्सा और स्वास्थ्य के कामों में प्रगति हुई है उसको चौथी योजना में घटा दिया जाय। एक प्लान तो हमारा प्रदेश वैसे ही पीछे है, इसको माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने भी माना है। यह चौथी योजना इस हिसाब से बनायी गयी थी कि एक योजना पिछड़े पन को हम बराबर कर लें और उतने आगे अगर हम न भी आ पावें तो आधी प्लान के बराबर आगे तो आ जायं। उसी पवित्र भावना से प्रेरित होकर इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करने की बात सोची गयी है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के आक्रमण से इसकी और भी अधिक आवश्यकता हो गयी।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर हमने एक प्रस्ताव पास किया कि हम सब यहां पर एक हैं, हमारी एक राय है, एक आवाज है, और सब एक ही बात कहेंगे। अतः आपका मतभेद हो, यहां आपकी मनोभावना को जाहिर करता है। कागज में प्रस्ताव करने से, अखबारों में बयान देने से, लाल स्याही लगाकर शहीद होने से काम नहीं चलेगा। इस भयंकर परिस्थिति में तो चौथी योजना की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिये, अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य के प्रबन्ध को आगे बढ़ाने के लिये आपको इस कठिन समय में सरकार को पूरी शक्ति के साथ मदद देना है। इसके लिये जो आपने वचन दिया था उसको आप निबाहिये।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने इस बिल के सिद्धान्त को स्वीकार तो कर लिया है।

श्री जे० पी० मिश्र—

अगर इस विधेयक के सिद्धान्त सारे सदन को स्वीकार हैं तो मैं अपनी बात को लौटाता हूं। मेरा यह सुझाव है कि ६० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत यानी केवल १५ प्रतिशत जो सरकार ने इस विधेयक में बढ़ाया है उसे यह सदन सर्व सम्मति से स्वीकार कर ले। इतना ही मुझे कहना है। आपके आश्वासन के बाद अब मैं बैठता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मिश्र जी की बातों का जवाब तो मैं नहीं देना चाहता क्योंकि मैं समझता हूं कि उससे सदन का समय खराब होगा। शहीदों की पहचान तो रणक्षेत्र

[श्री राधेश्याम शर्मा]

के मैदानों में होगी। माननीय मिश्र जी इस विधान सभा में जो बार बार इस तरह की बातें करते हैं वह कुछ अच्छा नहीं लगता। जहां तक इस टैक्स को लगाने का प्रश्न है जहां तक समाजवादी पार्टी का सम्बन्ध है—समाजवाद शब्द से ही मालूम पड़ता है कि इस टैक्स को लगाने में सोशलिस्ट पार्टी को कभी कोई आपत्ति नहीं रही है, न रह सकती है। यह तो समाजवादी सिद्धान्त की बात है। परन्तु आपके द्वारा मैं माननीय मिश्र जी को बतलाऊं कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को जरा देख लें। उससे ऐसा लगता है कि आज से ६–७ माह पहले ही आप अपनी इस किताब को लिख चुके थे, इसमें कोई आपात काल की बात नहीं थी। आपने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में कहा है—"चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधन जुटाने के उद्देश्य से, अन्य बातों के अतिरिक्त आमोद कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, यू० पी० एन्टरटेनमेन्ट ऐंड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ में संशोधन करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।" अब इसमें आप कोई आपात काल की बात जोड़ते हैं तो यह तो श्रीमन, इस सरकार के दिमाग की बात है। पहले में इसमें आपात काल की कोई बात नहीं थी। इसमें साफ लिखा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधन जुटाने के उद्देश्य से यह कर लगाया जा रहा है।

अब प्रश्न यह है कि योजनाओं के मामले में समाजवादी सिद्धान्त क्या है? सवाल तो यह है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो कुछ आपने किया है उससे उत्तर प्रदेश ने खेती के क्षेत्र में या अन्य औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्रगति की है और क्या उसकी एसी स्थिति है कि उसके ऊपर इस तरह का टैक्स समान रूप से लगाया जाय? आपसे मैं कहूंगा कि अगर आप इस टैक्स को लगाना चाहते हैं तो आपको समाजवाद के आनुपातिक दृष्टिकोण से कुछ लोगों पर कमी करनी पड़ेगी। अगर आप इसको एक तरफा सब लोगों पर लगा देते हैं—जैसे बड़े आदमियों पर तथा जो मजदूर केवल १४ आने पाता है उस पर भी समान रूप से ही लगाते हैं, तो इससे बड़ी मुश्किल पड़ेगी। मैं सोचता हूं कि अगर आप थर्ड क्लास के लोगों को इससे बरी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। थर्ड क्लास में अधिकतर गरीब लोग ही जाते हैं इसलिये गरीब लोगों को आप छोड़ दें और बड़े लोगों पर ७५ प्रतिशत के बजाय शतप्रतिशत भी कर दें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार के दिमाग में मैं यह बात पहुंचाना चाहता हूं। इसके ऊपर लम्बा लेक्चर देकर कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। आशा है कि सरकार इस सुझाव को स्वीकार कर लेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, इस पर मुझे विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे विरोधी दल के आदरणीय सदस्य भी इस पर कोई विशेष एतराज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके समाजवादी विचारधाराओं के अनुसार ही यह एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ाया गया है। तो इस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो माननीया मुख्य मंत्री और माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा से अनुरोध करता हूं और उनको सूचना देता हूं कि जितने सिनेमा मालिक आज सिनेमा का प्रदर्शन करते हैं, मेरे आंकड़े के अनुसार वे इस प्रदेश से करीब ३६ करोड़ रुपया लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या माननीया मुख्य मंत्री ने और माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने कभी भी यह सोचने का प्रयत्न किया है कि इस प्रदेश के जिन सिनेमा मालिकों को अपने सिनेमा हाउसेज द्वारा बाहर से फिल्में मंगा कर प्रदर्शन करने पर ३६ करोड़ सालाना प्राफिट मिलता है, उनसे भी इस संकट के समय कुछ लिया? करीब तीन चार सौ सिनेमा हाउसेज इस प्रदेश में हैं। माननीय शर्मा जी अगर आंकड़े चाहेंगे तो मैं उनको दे दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

यह आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये तथा इस आपात काल में सरकार को मजबूत बनाने के लिये जो यह एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया गया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या वह सिनेमा मालिकों की आय ३६ करोड़ सालाना बता रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

हां, वह मालिकों की यह आय बता रहे हैं।

श्री कृष्णा नन्द राय—

श्रीमन्, बलवानसिंह जी को सहानुभूति होगी के सिनेमा मालिकों से, उन का भी सिनेमा चलता होगा, हमारे जिले में भी सिनेमा मालिक श्री बलवान सिंह जी के मित्र हैं या उन का कोई फेडरेशन है, ज्यादा उनको मालूम होगा। इसमें जो ६० प्रतिशत कर अब तक लगता था उसको १५ प्रतिशत और बढ़ाया जा रहा है और उसी के लिये यह संशोधन आया है। सारा सदन इस से सहमत है और यहां की विचार धारा से मुझे मालूम होता है कि अगर इसको १०० प्रतिशत भी कर दिया जाय तो किसी को आपत्ति न होगी लेकिन आज जो भीड़ दिन प्रति दिन सिनेमा में बढ़ रही है और एक एक कस्बे में सिनेमा खुलते जाते हैं और एक दो लाख की पूंजी को इनवेस्ट करने के बाद और बम्बई से फिल्म मंगाकर जो यह मालिक करोड़ों रूपए का लाभ उठा रहे हैं। मैं उनको आंकड़े दे सकता हूं कि ३६ करोड़ रुपया यह लोग बिना किसी कार्यकुशलता के सिनेमा जाने वालों से साल भर में लेते हैं लेकिन आज तक इस सरकार ने एक भी पैसा कर नहीं लगाया। मेरा सुझाव है कि सरकार इस सिनेमा मालिकों से फौरन प्रोफारमा अकाउन्ट्स को मांगे कि कितनी बिक्री होती है और कितना उन का खर्च स्टाफ पर होता है, कितने को वे फिल्में मंगाते हैं और अन्त में कितनी नेट बचत उनको होती है और उस बचत का कम से कम २५ प्रतिशत सरकार कर के रुप में लें।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा यह बताएं कि जो कुछ आप कह रहे हैं उस प्रकार का प्राविधान इस विधेयक में हो सकता है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

वह हो सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपकी बात से मुझे यह मालूम होता है कि आप इस चीज को जिस स्प्रिट से ले रहे हैं उसको आप उचित मानते हैं और इसी दृष्टि से आपने मुझ से यह पूछा है। यदि मंत्री जी भी यह घोषणा कर दें कि वह ऐसा करने को तैयार हैं उस हालत में मैं एक मिनट में अभी उस प्रकार का संशोधन पेश कर दूंगा जिस के अनुसार सिनेमा मालिकों के मुनाफे का २५ प्रतिशत सरकार को मिलेगा। यह ६० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत चौथी योजना के लिये किया जा रहा है, आज आपातकाल भी है और इस दृष्टि से अगर यह १०० प्रतिशत भी कर दें तो अच्छा है। लेकिन मुझे बहुत खेद और बहुत दुख है कि सिनेमा मालिक जो आज लूट मचाये हैं उनसे सरकार पैसा लेने नहीं जा रही है।

एक शब्द में और कहूंगा। अभी साल भर पहले इसी सदन में श्री मुजफ्फर साहब ने एक पैसेंजर टैक्स लगाया था और रोडवेज की बसों के मुसाफिरों पर यह कर लगाया गया था और उस वक्त भी उसका इस दल की और उस दल की ओर से विरोध किया गया था कि गरीब

[श्री कृष्णानन्द राय]

आदमी जो इन बसों से सफर करते हैं या जो मध्यम वर्ग के लोग इन बसेज पर चलते हैं, उनके साथ यह ज्यादती होगी । आज माननीय भानु प्रताप सिंह और श्री बलवान सिंह जी जिनके पास फियट कारें हैं उनके के ऊपर कोई ऐसा कर नहीं लगता, उस वक्त भी सुझाव दिया गया था कि जिस प्रकार और पैसेन्जर्स पर यह कर लगाया जा रहा है वैसे ही इन कारों के पैसेन्जर्स या मालिकों पर लगाया जाय, लेकिन वह नहीं माना गया । आज चौथी योजना के लिये और आपात काल के कारण गरीब जनता तो हर तरह का कर देने के लिये और हर प्रकार के बलिदान के लिये तैयार है, लेकिन श्रीमन्, मैं आपक माध्यम से इस सरकार से यह अवश्य निवेदन करुंगा कि वे टैक्स इस तरह से लगावें कि जनता के मन में यह भावना हो कि उनके प्रति कोई अन्याय नहीं हो रहा है । और अगर वह न्यायपूर्ण लगाया जायगा तो जनता का मनोबल इतना ऊंचा है कि वे अधिक से अधिक टैक्स देने को तैयार है । मेरे विचार में यदि सिनेमा देखने वालों पर टैक्स लगाया जाता है तो सिनेमा के मालिकों पर आवश्यक टैक्स लगना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं जनता को टैक्स देने में कोई एतराज न होगा और वे खुशी खुशी टैक्स देंगे । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह टैक्स का प्रस्ताव आया है । अगर जो हमारे सुरक्षा के प्रयास हो रहे हैं और सुरक्षा के लिये जो साधन इकट्ठे किये जा रहे हैं, उनके लिये यह टैक्स होता और उसके लिये इस सदन से हमारी सरकार मांग करती तो उस समय तक के लिये जिस समय तक कि संकट का समय हो एंटरटेनमेंट पर टैक्स बढ़ाने में कोई आपत्ति न होती और बढ़ाना भी चाहिये था क्योंकि जितनी भी सुख सुविधा की चीजें हैं या जितना भी हमारा वेस्टफुल एक्सपेंडीचर है, उसको काटने का मौका है । लेकिन सरकार ने जो श्रंखला बनायी ह चौथी पंच वर्षीय योजना के लिये, उसकी यह पहली कड़ी है । इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये संशोधन जुटाने के उद्देश्य से, कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है । मैं इसालिये इसका विरोध करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने योजनाकाल में अपनी संपत्ति को बढ़ाया है उन पर टैक्स लगाने का तो कोई कदम उठाया नहीं गया है परन्तु जो टैक्स हमारे सदन के सामने आये हैं, जैसे किसानों की मालगुजारी तथा लगान पर, भूमि और भवन पर, वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर, उनसे गरीब लोगों पर भार पड़ा है । मैं इसीलिये इसकी मुखालिफत करता हूं क्योंकि इससे उनकी मुसीबत को बढ़ाया गया है ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो इस बिल को लाये हैं, माननीय बनारसीदास जी जो उस मीटिंग में थे जो कानपुर में हुई थी और माननीय चरणसिंह जी जो प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री हैं देखें कि कानपुर में जो १४ तारीख को मीटिंग हुयी, उसमें मजदूरों के संघ के नेता भी मौजूद थे । उसमें मजदूरों ने यह तय किया कि वे सुरक्षा कोष में एक दिन का वेतन जो लगभग ४ १/२ लाख रुपये के होता है, वह स्वेच्छा से देंगे तो दूसरी युनियनों को मिलाकर कुल १० १/२ लाख रुपया होता है लेकिन उस दिन जितने मजदूरों के संघ वहां मौजूद थे उन्होंने ४ १/२ लाख रुपया देने का निश्चय किया । उसके बाद लोगों ने अपील की कि उद्योगपति भी सुरक्षा कोष में कुछ देवें । हमारे मंत्री जी ने भी अपील की, लेबर कमिश्नर ने भी अपील की, लेकिन वे उद्योगपित केवल हंसते ही रहे और एक भी उद्योगपति खड़ा नहीं हुआ । उसके बाद कानपुर के जिलाधीश ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली और उसमें कहा कि कानपुर के मिल मालिक भी सुरक्षा कोष में पैसा दें, लेकिन वे इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि लोग उनके पास जायें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तब वे कुछ दें। इस समय राष्ट्र संकट में है और उन्हें स्वेच्छा से देना चाहिये। यह टेन्डेंसी है और हम इसके ऊपर जगते हैं या नहीं? सरकार हमारे गरीब आदमियों पर टैक्स लगाने जा रही है जिनके बेटे लद्दाख, नेफा और कश्मीर में लड़ते हैं, वे टैक्स भी देते हैं, सुरक्षा कोष में भी पैसा देते हैं, उनके अन्दर उत्साह भी है, उनका मनोलब भी ऊंचा है और हर तरह का त्याग करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपार संपत्ति इस योजना के जमाने में इकट्ठा कर ली है उनके लिये सरकार क्या करने जा रही है? माननीय मुख्य मंत्री इसका जवाब दें। आज राष्ट्र संकट में है अभी १ महीने पहले पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट थी जिसको सरकार ने स्वीकार किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिनकी तनख्वाह १,००० रु० से ज्यादा है उनकी तनख्वाह को रोक दिया जाय राष्ट्रीय संकट के नाम पर। एक तरफ तो सरकार उस समिति की सिफारिश के अनुसार ३,००० रु० साल और अधिक देने जा रही है और दूसरी तरफ टैक्स के रूप में २५० रु० साल लेगी, इसका क्या औचित्य है? मैं तो कहूंगा कि पे कमेटी ने जो रिकमेन्डेशन दी है १,००० रु० के ऊपर वालों के लिये उसको इस समय स्थगित कर दिया जाना चाहिये। आज हमारी योजनायें चल रही हैं उनमें बहुत कुछ ऐसे खर्च हैं जिनको वेस्टफुल खर्चा कहा जा सकता है। सरकार को ऐसे खर्चों को मजबूती के साथ रोकने की जरुरत है। प्लानिंग के अन्दर जो भी वेस्टफुल एक्सपिंडिचर है उसकी जांच पड़ताल करे और वह मैं इसलिये कहता हूं कि इसी सदन में माननीय फूल सिंह ने जब वे उद्योग मंत्री थे कहा था कि स्माल इंडस्ट्रीज के लिये जो कर्ज दिया जाता है उसका ८० फीसदी दुरुपयोग होता है। आज योजना के युग में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो शोषण करता है, तिकड़म करके अधिकारियों से मिल कर गरीब आदमी को लाभ नहीं होने दे रहा है। इस प्रकार के खर्चों को काटना है। वरना प्रदेश को जो चौथी योजना के लिये ४०० करोड़ का प्रबन्ध करना है वह पूरा नहीं हो सकेगा, इस कर से ७५ लाख रु० मिल जाने से ही सरकार का काम थोड़े ही चलने वाला है। ये साधन तभी जुटाये जा सकेंगे जब सरकार अपने खर्चों के बारे में जो वेस्टफुल हैं ड्रास्टिक ऐक्शन लेगी। हमारा सूबा दूसरे सूबों की अपेक्षा, जहां कांग्रेस की ही सरकार है ५ साल पीछे हैं इसलिये जब तक प्रदेश की पूरी आर्थिक व्यवस्था और मंत्रिमंडल के सोचने के तरीके में मौलिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता। आप गंभीरता से सोचिये कि जो हमारी पूरी इकोनोमी है उसको एक नयी दिशा, नये मोड़ और नये रास्ते पर ले चलना है। वरना जैसे इस समय चल रहा है उससे काम नहीं चल सकता। मैं केवल सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आज राष्ट्र के सामने संकट है और यह संकट जैसा मैं महसूस करता हूं ६ महीने या साल भर का नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका मुकाबला करना पड़ सकता है। आज दुश्मन के जो इरादे हैं हमारी सरहद के ऊपर, जो देश के अन्दर और बाहर प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, आज चीन का जो इरादा है जो कि विश्व युद्ध चाहता है और वह बहाना ढूंढ़ता है उसके लिये जिससे भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था तबाह हो जाय, इसलिये मैं कहता हूं कि अपनी व्यवस्था, जमतंत्र और राष्ट्र की रक्षा करता है तो हमको पूरे देश के तौर तरीके में परिवर्तन करना पड़ेगा।

श्रीमन्, मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गयी है और अगर वह उसको पूरी नहीं करेंगी तो इस देश की जनता का सबसे बड़ा भाग जो यहां बसता है उसकी आगे आने वाली संतान उनको कोसेगी कि ऐसे अवसर पर जब एक मोड़ दिया जा सकता था उन्होंने वह मोड़ नहीं दिया और बाहर भीतर की शक्तियां जो उनको तबाह करने पर तुली हुई थीं उस समय उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली। कामन मैन पर तो वह टैक्स लगाने जा रही हैं लेकिन सिनेमा का मालिक जो रुपया कमाता है उस पर वह प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहती। एक रिक्शा वाले पर तो ५ आने के टिकट पर १ आना टैक्स पड़ेगा लेकिन हजरतगंज में बसन्त सिनेमा का जो मालिक हैं, जो लाखों रुपये कमाता है उस पर वह कोई टैक्स नहीं लगाना चाहतीं। इससे क्या भावना पैदा होगी? सरकार इस मौके पर उन्हीं गरीबों का जो पहले से त्याग कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिये हर प्रकार का त्याग कर रहे हैं उनको और संकट में डालना चाहती है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को तमाम टैक्सेज में जो वह सदन में पेश करने वाली हैं उनमें एक मौलिक परिवर्तन करना चाहिये।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मुझे हैरानी होती है जिस समय यह तर्क उपस्थित किया जाता है यदि प्रस्तुत विधेयक विद्यमान संकट से संबंधित होते तब तो हम इसका स्वागत करते और इसके पक्ष म अपना मत व्यक्त करते। हैरानी इसलिये होती है कि आज एमर्जेंसी का मुकाबला करने के लिये जो तैयारी करनी है उस तैयारी को और योजनाओं को अलग अलग करके सोचा जाता है। यदि माननीय मित्रों ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा उनके सामने प्रस्तुत की गयी है, जो छोटी सी पुस्तिका उनको देखते तो उनको ज्ञात होता। चतुर्थ पंचवर्षीव योजना में तीन चौथाई रुपया केवल कृषि के उत्पादन के लिये खर्च होने वाला है। यदि माननीय मित्रों की सलाह को मान कर इस योजना को समाप्त कर दिया जाय और उनके तर्क को मानकर एक पैसा भी उपरोक्त योजना पर खर्च न किया जाय तब भी जो मौजूदा खर्च है प्रशासन का उसमें ५४५ करोड़ रुपये का गैप है और उस गैप से फायनेन्स कमीशन केवल ३७२ करोड़ रुपया हमको देगा और १७३ करोड़ रुपये का उसमें गैप रह जाता है जिसको राज्य सरकार को किसी तरह से पूरा करना है। जहां तक योजना की बात है १४०० करोड़ रुपये की योजना राज्य सरकार की ओर से पेश की गयी है। अगर काट पीट कर १०५० करोड़ की रह जाय तब भी मान्यवर, हमारी आवश्यकता का क्या हाल होगा ? इधर भी माननीय सदस्यों की दृष्टि होनी चाहिये कि लगभग ४०० करोड़ रुपये से ज्यादा की आवश्यकता होगी। अगर हम किसी तरह से आधी रकम की पूर्ति कर भी लें और १०० करोड़ की इकोनोमी करें तब भी हमारे सामने इमर्जेन्सी का सवाल है। बाराहोती में चीनी सेना के आने से पहले दूसरी स्थिति थी और अब उसके दाखिल हो जाने के बाद ३५०० करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस तरह से ३१८ करोड़ रुपया की रकम अगले पांच वर्षों में हमें अपने साधनों से जुटानी होगी। केवल ५० लाख रुपया हमें इस मौजूदा विधेयक के द्वारा मिलेगा। ३१८ करोड़ रुपये की आवश्यकता है और ५० लाख रुपया इस टैक्स से हमें मिलेगा। बहुत से हमारे विचारवान व्यक्तियों ने कहा कि सिनेमावालों के मालिकों से टैक्स वसूल क्यों नहीं किया जाता है ? उनके ऊपर भूमिभवन कर लगा हुआ है। हमारी सरकार आमदनी पर कर लगा सकती है। जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है केन्द्रीय सरकार का विषय है। हम उनको छू नहीं सकते हैं। हमारे माननीय मित्र यदि आंकड़े दृष्टि में रखते तो ऐसी बातें न कहते और वे स्वंय इमर्जेन्सी के लिये कहते हैं कि हमारी सेनाओं की अगर सीमा के ऊपर अपने दायित्व का निर्वाह करना है तो वह भूखे पेट नहीं किया जा वकता है।

इमर्जेन्सी की वजह से खाद्यान्नों की कमी रहेगी। उसकी पूर्ति के लिये तीन चौथाई रुपया हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खर्च करने जा रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि अन्न का जुटाना कम महत्व का विषय नहीं है। आज इमरजेन्सी की वजह है योजनाओं को अलग नहीं किया जा सकता है। उनका आग्रह हो सकता है और जिधर राज्य सरकार का ध्यान है और सेन्ट्रल प्लानिंग कमीशन ने भी उसकी राय को स्वीकार किया है कि डिफेंस ओरियंटेड प्लान होना चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि हमें सड़कों के विषय पर विशेष रूप से विचार करना होगा और सेनाओं के लिये हमें पुलों का निर्माण करना होगा और जल्दी करना होगा और युद्ध सामग्री इकट्ठा करनी होगी। हमें एक लाख से ज्यादा होम गार्ड्स को ट्रेन्ड करना है। क्या बिना बन्दूक के केवल आशीर्वाद के भरोसे ही यह काम हो जायगा ?

इन सारी बातों को हमें करना है। मैं जानता हूं कि हमारे मित्र हम से ज्यादा समझते हैं। कल विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने बातचीत के दौरान में कहा कि क्या बतायें अजीब विडंबना है। राय साहब हम आपकी बात का हृदय से स्वागत करते हैं और इमर्जेन्सी के मौके पर हमें ऐसे बिलों का विरोध नहीं करना चाहिये और राज्य सरकार को हमें अपना सहयोग देना चाहिये। लेकिन ऐसा विशस सर्किल बन गया है कि खत जरुर लिखा जायगा चाहे मजमून कुछ न हो, बहस जरुर की जायगी, प्रवर समिति का प्रस्ताव जरुर पेश किया जायगा और दूसरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और कहा जायगा कि हम तन मन धन से देश के ऊपर बलिदान होने के लिये तैयार हैं। आपके तन मन धन के बलिदान करने की बात का आज नहीं तो आने वाला जमाना फैसला करेगा कि ऐसे अवसर पर जब सारा राष्ट्र एक संकट से घिरा हुआ था उस समय ये लोग देश की जनतांत्रिक व्यवस्था को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं, उपहास कर रहे थे। अन्त में मैं आग्रह करूंगा और और राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे मौके पर जहां तक साधन जुटाने का प्रश्न है उसमें कुछ लोग ऐसा समझे और शायद एक आध वाक्य ऐसा कहा गया कि हम सहयोग करना चाहते हैं हमारी तरफ से आपके सहयोग की भूख रहती है। अगर आप हमारे ऊपर अहसान नहीं करना चाहते हैं तो भारत जननी पर अहसान कीजिये जो आज संकटापन्न है जिस प्रकार आज शत्रुओं ने बुरी दृष्टि लगा रखी है, इस प्रदेश की आठ करोड़ जनता यह अपेक्षा करती है कि अन्तिम विजय भारत की हो। दर्मियान में हम कैसे साधनों को जुटायें वह हमारा दायित्व है। अन्तिम परिणाम की ओर दृष्टि रखते हुये मैं उधर के बैठने वालों से आग्रह करूंगा कि केवल बहस के लिये बहस नहीं करनी चाहिये, आपसे अनजाने में ऐसी भूल हो रही है जिस के लिये उनको भयंकर रूप से प्रायश्चित करना होगा।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आज के हालात को देखते हुये सरकार का यह कर्तव्य है कि हर प्रकार से धन जुटाने का प्रयत्न करे। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। जहां तक सेंटर से पैसा मिलने का सवाल है हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिये कि सेंटर पर बोझ न डालें और जहां तक मुमकिन हो सके वहां तक कोशिश करें कि अपने प्रान्त के अन्दर ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करें। लेकिन धन इकट्ठा करने के लिये भी आप दुहेंगे उसी गाये को जिससे दूध निकल सकता है। आप पचास लाख रुपया सिनेमा टैक्स बढ़ा कर इकट्ठा करना चाहते हैं। मुझे खुशी होती कि आप ऊंचे टिकटों पर सौ डेढ़ सौ प्रतिशत टैक्स लगा देते। आज प्रान्त के अन्दर हजारों की तादाद में सिनेमाघर मौजूद हैं क्यों नहीं आप उनका राष्ट्रीय करण कर देते? तमाम खेल का रुपया प्राइवेट लोगों की जेब में जाता है वह सारा का सारा सरकार के पास आ जाना चाहिये। उससे आपको जितना धन मिलेगा इस टैक्स में दस बीस पचास साल में नहीं मिल पायेगा। उनके पास रोटी कमाने के दूसरे साधन भी हैं। उनके सिनेमाओं की बिल्डिंग का राष्ट्रीयकरण करके अपने हाथ में ले लें और जितना मनोरंजन का सामान है उस पर फिर टैक्स लगाने की जरुरत नहीं रह जाती। उससे जनता अच्छी फिल्में भी देख सकती हैं, अच्छी फिल्में भी बन सकती हैं, और सरकार का खजाना भी भर सकता है। जहां तक रामायण राय जी ने कहा कि हमें बन्दूकों की जरुरत है इस में दो रायें नहीं हो सकतीं कि किसी भी सरकार की अपनी रक्षा के लिये अस्त्र-शस्त्र की जरुरत हुआ करती है। क्या हमारी सरकार ने कभी यह सोचा कि प्राइवेट लोग, जिनके पास दो-दो, चार-चार शस्त्र मौजूद हैं-- मैं कहना नहीं चाहता था, मैं इशारतन कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में आपने जहां जहां नगरों के अन्दर शिक्षा देने का प्रबन्ध किया है आपने लकड़ी की बन्दूके चलाने को दिया। लकड़ी की बन्दक आप खरीद सकते हैं लेकिन असली बन्दूक नहीं दे पाये। किसी को एक बार भी गोली चलाने का मौका नहीं मिला।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

इसको हाउस में न कहें इस समय तो अच्छा रहेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं आपको रास्ता सुझा रहा हूं। हर जिले के अन्दर लोगों के पास २-२, ३-३ व ४-४ शस्त्र मौजूद हैं। आज इन आर्म्स को लेकर कुछ अपनी आर्मी में भरिये। आप इस तरह से इन्हें हस्तगत करके हजारों नहीं लाखों आदमी को प्रशिक्षण दे सकेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कम से कम फिर ऐसी बात आप इस समय हाउस में तो न कहें, इस बात को समाप्त करें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जैसा कि अभी माननीय सदस्य रामायणराय जी ने कहा तो आप उनके कहे के मुनासिब बन्दूको के लिये धन तो जुटाना चाहते हैं, लेकिन इधर ध्यान नहीं देते हैं।

श्री रामायणराय—

क्या उन बन्दूकों से लड़ाई लड़ी जायगी ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

यदि उनसे लड़ाई नहीं भी लड़ी जायगी तो आन्तरिक सुरक्षा के लिये तो वह हमारा बहुत काम देंगी। युद्धकाल में देश की आन्तरिक सुरक्षा भी अति आवश्यक है——

श्री अध्यक्ष—

इन सब बातों से विषयान्तर ही नहीं हो रहा है, अपितु वे अनावश्यक और समय को देखते हुये अनुपयुक्त भी हैं। आप विषय पर आ जायें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अब श्रीमन्, मैं उसी विषय की ओर आता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको लाजिमी तौर पर सिनेमा की टिकट दर को बढ़ाना ही है तो ऊंचे दर्जे वालों पर टैक्स बढ़ायें। उन पर चाहे आप १०० प्रतिशत बढ़ायें, चाहे डेढ़ सौ और चाहे ३०० प्रतिशत बढ़ायें, उस में मुझे कोई एतराज नहीं है। किन्तु आप उस क्लास पर बढ़ायें जो पे कर सकता है। लेकिन जो लो क्लास के लोग हैं अति गरीब हैं जो किसी तरह से ५ आने वाला टिकट लेकर देख लेते हैं, जिनके पास अन्य कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, जिसके पास अन्य कोई मन बहलाने का साधन नहीं है, उनके टिकटों पर आपको किसी प्रकार के करों की वृद्धि नहीं करनी चाहिये। मैं इसका बहुत ही विरोध करता हूं।

दूसरी बात श्रीमन्, जो मैंने कही वह यह है कि सिनेमाओं का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। जिस पर सरकार कहेगी कि उनकी व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिये रुपया कहां से आयेगा। मैं कहता हूं कि आपने जिस तरह से जमींदारी उन्मूलन किया और जमींदारी बांड्स लोगों को दिये, उसी तरह से आप इसका भी राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, इस तरह से आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन आप करना तो चाहें।

श्री अध्यक्ष—

यह भी विषयान्तर है, राष्ट्रीयकरण की बात करना।

श्री ऊदल—

तो फिर उनके मालिकों पर टैक्स लगाइये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

हां, उन पर आप अतिरिक्त कर लगाइये। होना यह चाहिये कि सिनेमा की आमदनी का अन्धाधुंध पैसा जिनकी जेब में जाता है, तो उन्हीं से पैसा लेने की सरकार को कोशिश करनी चाहिये। गरीबों की छोटी छोटी जेबों में सरकार को हाथ नहीं डालना चाहिये। ऐसा करने से यदि आपको ५०-५० लाख रुपया एक जगह से मिल सकता है तो आपको ऐसा ही करना चाहिये। यदि सरकार इस पर ध्यान दे तो ज्यादा मुनासिब होगा। कहते हैं कि संविधान के अन्दर २५०रु० से ऊपर टैक्स लगा नहीं सकते हैं, इसके लिये आपको केंद्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहिये, इसके लिये नियमों और संविधान में इसकी व्यवस्था करानी

चाहिये । तो इस बिल के अन्दर अभी बड़ी गुंजाइश है, संशोधन करने की, बहुत गुंजाइश है अदला बदली करने की, पुनः करों के निर्धारण की अभी बड़ी गुंजाइश है, इसलिये ज्यादा मुनासिब होगा कि कुछ दिन के लिये इसे आप प्रवर समिति में अवश्य भेज दें । मैं समय के लिये नहीं कहता दो महीने या तीन महीने, कुछ दिनों के लिये इसे भेज दिया जाये, ताकि इसे सही रूप में लाया जा सके । मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि इस आपात काल के लिये सरकार पैसा जुटाये, लेकिन साधन ऐसा होना चाहिये जिससे बिना किसी को कष्ट हुए ज्यादा से ज्यादा धन मिल सके ।

श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति के सामने इस बिल को भेजने का जो प्रस्ताव है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । संशोधित धारा में कहा गया है इंटरटेनमेंट टैक्स ऐसी दर से लगाया जायगा जो प्रवेश शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगी । मैं नहीं समझता हूं कि केवल १५ सैकड़ा बढ़ाने के उद्देश्य के लिये इतनी छोटी सी बात के लिये इसे प्रवर समिति में भेजने की क्या आवश्यकता है ? मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में भेजने का सुझाव केवल अपोज करने की नीयत से किया गया है । आज तक केवल एक सदस्य प्रवर समिति में बोले थे जो कमला सिंह हैं । लेकिन आज वे सदन में नहीं हैं फिर भी मालूम पड़ता है सारा विरोधी दल प्रवर समिति सिंह हो गया है । विरोध के पक्ष में कोई तथ्य नहीं है । बहुत सारे लोग एक फिल्म सैकड़ों बार देखते हैं, यदि उन पर थोड़ा सा कर और बढ़ा दिया जायेगा तो वे कुछ कम बार सिनेमा देखेंगे, इसके अतिरिक्त उससे कोई और नुक्सान नहीं होगा । जिनको आप गरीब और रिक्शावाले कहते हैं यदि वे थोड़ा कम सिनेमा देखेंगे तो क्या नुक्सान हो जायेगा ? वरन उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी रहेगी । इस बिल के रत्ती भर विरोध करने की आवश्यकता नहीं है तब भी कहा जाता है कि उसको प्रवर समिति में भेजा जाय । आज सारी सरकार की नीति पर आक्रमण किया जा रहा है । कहने के लिये तो विरोधी दल यह कहता है कि हम सरकार का साथ देने के लिये तैयार हैं लेकिन दूसरी तरफ विरोधी दल के श्री मायर जी कहते हैं कि लकड़ी की बंदूकों से ट्रेनिंग दी जा रही है और हमारे जवान लकड़ी की बन्दूकों से लड़ रहे हैं । क्या सारे सिपाहियों ने ४ सौ पैटन टैंकों को लकड़ी की बन्दूकों से खत्म किया ? हमारे एक सिपाही ने ५ पैटन टैंक को उड़ाया है । क्या यह लकड़ी की बन्दूकों से संभव था ? हमारे सिपाही जब लड़ाई के मैदान पर सुनेंगे कि हमारे विधायक यह कहते हैं तो उन पर क्या असर होगा ? आज पाकिस्तान की सेनाओं से हमारा घोर युद्ध हो रहा है । चीन की सेनायें सिक्किम की सीमा पर खड़ी हैं, लद्दाख पर खड़ी हैं और बाराहोती जो हमारे गढ़वाल में है वहां पर खड़ी हैं, दुश्मन हमारे सिर पर है, ऐसी संकटकालीन अवस्था है । जब भारत का एक-एक नागरिक आज जीवन मरण के प्रश्न में उलझा हुआ है तो हमें यह कहना चाहिये कि सरकार जरूरत के मुताबिक कर लगाये, हमसे सब कुछ ले ले, हम सब कुछ देंगे, जितना कर जरूरी हो आप लगाइये ताकि हमारे जवान लड़ें, हमारे देश पर जो आक्रमण हो रहा है उसका विरोध किया जाय और हमारी देश विजयी हो । क्या हम इस समय जब देश के बहादुर जवान अपने देश की रक्षा में जुटे हैं, छोटी छोटी बातों को उठाकर केवल विरोध के लिये विरोध करें ? मैं समझता हूं आज का विरोध यह दिखलाने के लिए वोटरों से कहा जाय कि हमने टैक्स का विरोध किया । मैं समझता हूं कि यह विरोध करने का समय नहीं है । आज जो संकट राष्ट्र के सामने है उसमें हमें संसार को यह दिखला देना है कि हमारे सिपाहियों में वह शक्ति है, हमारे राष्ट्र के अन्दर वह प्रतिभा है कि हम अमेरिकन पैटन टैंकों को इतनी शीघ्रता से सफाया कर सकते हैं । मैं तो कहता हूं कि ईश्वर की देन है कि हमारे जवानों ने इतना शौर्य दिखाया है और आज पाकिस्तान को इतना नुकसान उठाना पड़ा है आप क्या देख रहे हैं सारे हिन्दुस्तान में कितना जोश है ।

हमारे कुछ भाइयों को शुबहा था कि कुछ लोग पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं लेकिन वह भी आज हमारे साथ हैं, आपको मालूम है कि आज के युग में जातिभेद चल नहीं सकता है । क्रिश्चियन ने जगह जगह पर भारत के लिए दुआयें मांगी हैं । आज इसी लखनऊ के दोनों कीलर भाइयों ने शत्रु के

[श्री मुकदीलाल बैरिस्टर]

एरोप्लेन को नष्ट किया है । तो जो लोग यह कहते हैं कि फलां क्रिश्चियन हैं, फलां मुसलमान हैं वह सब गलत। सबसे पहला परम वीर चक्र एक मुसलमान अफसर को मिला है, हम सब पहले भारतीय और बाद में और कुछ हैं। एक सदस्य ने आप (स्पीकर) से कह दिया कि मुकंदीलाल बधाई के योग्य नहीं हैं क्योंकि इसका एक दामाद पाकिस्तान आरमी में है। मैं बता देना चाहता हूं कि सन् ४६ से मेरी एक लड़की पाकिस्तान के जिस भाग में टीचर थी वहां उसने एक इंडियन क्रिश्चयन कैप्टन बेरी से शादी कर ली। वह मेरा दामाद पाकिस्तान में एरोड्रोम में आफीसर है परन्तु उसके दो भाई भारत में हमारे एयर फोर्स में हैं और एक नेवी में हैं। वही एक अकेला क्रिश्चियन पाकिस्तान में है। अगर इस तरह की बात इस समय में कही जाती है तो उसके लिये बहुत ज्यादा दुख है। हमारे दामाद कर्नल हेड को महावीर चक्र मिला है। हमारा बड़ा लड़का मेजर जनरल है। छोटा मौट में मेजर है।

जहां तक हमारी आर्मी का संबंध है हमारी आर्मी कोई बाहरी आर्म्स से नहीं लड़ रही है, अमेरिका के बने आर्म्स से वह नहीं लड़ रही है, ब्रिटिश या रशियन हथियारों से वह नहीं लड़ रही है हमारी सरकार आर्म्स तैयार करा रही है और अपने बनाये हथियारों से वह लड़ रही है। तो मैं विरोधी दल के वक्ताओं से प्रार्थना करूंगा कि एक शब्द भी यहां पर इस तरह का नहीं कहना चाहिये कि जिससे हमारे सेनानी हतोत्साह हों और जिससे यह मालूम हो कि हमारे देश के लोगों के अन्दर उत्साह नहीं है। यदि इस प्रकार के बिल का विरोध किया जाता है और इस प्रकार के विधेयक को पास करने में देर लगाई जाती है तो यह हमारी सरकार के रास्ते में देश की रक्षा में बाधा पड़ती है। ऐसी हालत में मैं विरोधी दल के भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि विरोधी दल को सरकार का साथ देना चाहिये। जिससे हम सब मिलकर इस कठिन समय में शत्रु को परास्त कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अभी उधर से माननीय रामायण राय जी ने यह कहा कि भारत माता की रक्षा का ध्यान करके कम से कम इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिये था। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत माता की रक्षा के नाम पर यदि आप भारत की जनताके धोती और कुर्त्ता भी ले लेना चाहें तो उसको भी सब देने के लिये तैयार हैं, दे रहे हैं और देंगे। परन्तु नाच गाने के लिये एक पैसा भी देना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपकी योजनाओं में जो कुछ भी हुआ है वह सब नाच गाना ही हुआ है। नाच गाने के लिये इस समय देश एक धेला भी देने के लिये तैयार नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि देश की जनता का कृपा करके मनोबल न गिराइये। इस समय जब हमारे कानों में तलवारों की झंकार, टैंकों की झनझनाहट और तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही हो उस समय देश की जनता से खिलवाड़ मत कीजिये और नाच गाने का तमाशा हमको न दिखाइये। जितना रुपया इन योजनाओं के लिये लिया गया है वह सब केवल नाच गानों के लिये खर्च किया गया है। यह सत्य है और मैं इसके प्रमाण दे सकता हूं। मैं रामायणराय जी से पूछना चाहता हूं कि जिस पुस्तिका का उन्होंने जिक्र किया है, उसके किस पेज पर कहां भारत माता की सुरक्षा के नाम पर कोई चीज रखी गई है? जहां तक सुरक्षा का सवाल है मैं इसी पुस्तिका से निवेदन करना चाहता हूं कि अन्त में निष्कर्ष जहां दिया गया है कि इसी चौथी योजना में कहां कहां क्या क्या खर्च किया जाय उसमें यदि हम देखें तो जहां बाराहोती, उत्तरकाशी पिथौरागढ़ या अन्य हमारे जो प्रांत के हिस्से सीमा पर पड़ते हैं जिनका नाम लिया जा रहा है उस नाम पर वह खर्चा दिया है। उसके आगे यह लिखा है कि केवल १९६१–६२ के लिये। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना का कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। हमारी योजनाओं के लिये कोई प्राविजन इसमें नहीं रखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। देश के अन्दर उस समय इमरजेंसी थी इसलिये वह रखा गया था। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कृपा करके देश के मस्तिष्क को, उसकी विचार धारा को, उसकी बहादुरी की धारा को मत रोके। यदि आप ७५ प्रतिशत के स्थान पर शत प्रतिशत भी रख दें तो देश की रक्षा के नाम पर हम वह भी देने के लिये तैयार हैं। हम सरकार के सामने यह बात रखना चाहते हैं कि इसमें यह योजना वाली बात और तमाशेवाली बात को निकाल दीजिये। उसके स्थान पर देश की रक्षा के लिये शत प्रतिशत नहीं बल्कि २०० प्रतिशत भी आप करें उसमें भी हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन केवल नाच गाने के लिये आप करते हैं तो हम इसको उचित नहीं समझते हैं। ब्लाकों में कुछ ही लोगों को, जो अपने संबंधी होते हैं उन्हीं को कर्जा दिया जाता है और जिस कार्य के लिये दिया जाता है वह रुपया उस कार्य में खर्च भी नहीं होता है। इस तमाशे को हमें बन्द करके, जितनी ग्राम सेविकायें हैं उनको नर्स बना कर भेजना चाहिये, जो ग्राम सेवक हैं उनको होम गार्डस में भरती करना चाहिये, प्रांतीय रक्षक दल को प्रांतीय सेना में भरती करना चाहिये। आज आवश्यकता इसी बात की है। माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा जी ने कहा टैक्स तो सिनेमा पर लगा रहे हैं, उसका कोई प्रभाव गरीबों पर नहीं पड़ेगा। जो फिल्मों का आज आप निर्माण करते हैं उनको अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रचार के लिये, अपने प्रचार के लिये, और दुनिया भर में तमाशे के प्रचार के लिये आप उन्हें दिखाते हैं। इस इमरजेंसी में, प्रचार के लिये आप सिनेमा घरों में भी दिखाते हैं। यह ठीक है, इससे मनोबल बढ़ता है। हमने अपने नौजवानों के कारनामें देखे हैं। जैसा मुकन्दी लाल जी ने कहा, इसी लखनऊ शहर के दो नौजवानों ने, दो भाइयों ने पाकिस्तान के हवाई जहाजों की धज्जियां उड़ा दीं, मगर उन्हें इस सरकार ने दिया क्या ? ३ हजार रुपया।

श्री रामायणराय—

मैं एक सूचना दे दूं। माननीय मुकन्दी लाल के लड़के ने ८ टैंक्स बरबाद किये और उसे वीर चक्र इसी लड़ाई में मिला है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

वह तो केंद्रीय सरकार ने दिया, हमारी सरकार ने क्या दिया ? हमारी सरकार इतना ही करती कि उनके बच्चों की शिक्षा बिलकुल फ्री कर देती। ३ हजार रुपया देकर उनका मजाक उड़ाया। जो वीर हमारे देश की रक्षा में लगे हैं, अपना रक्त चन्दन की तरह माता के चरणों में चढा रहे हैं, सीमा पर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, उनके लिये हम अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिये तैयार हैं, परन्तु इस नाच गाने के लिए हम कतई देने के लिये तैयार नहीं। गाजीपुर का जो अब्दुल हमीद रहने वाला है, जिसने देखते देखते पाकिस्तान के टैंक्स के छक्के छुड़ा दिये, जिसने उन टैंकों की इज्जत एक इक्के से ज्यादा नहीं समझी, उसको आपने क्या दे दिया ? १० हजार रुपये दे दिये। हमसे इन लोगों के लिये, देश की सुरक्षा के लिये, जो भी मांगिये हम देने के लिये तैयार हैं, लड़ाई के लिये हमारा सब कुछ ले लीजिये, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे प्राण भी ले लीजिये, मगर इस समय कृपा करके कोई दूसरा लक्ष्य रहने दीजिये। यह बच्चों का तमाशा जैसा लक्ष्य छोड़िये।

जहां तक अन्न की बात है, अन्न अधिक पैदा करने के लिये कहा गया, यह जो योजना की पुस्तक बटी है इसमें आपने उसके लिये क्या किया है ? तीसरी योजना के मुकाबले चौथी योजना में सिंचाई विभाग के लिये केवल ६.४ प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है। चौथी योजना में आप इतना रुपया खर्च करने जा रहे हैं। मगर सिंचाई पर ६.४ प्रतिशत ही ज्यादा रखा है तीसरी योजना से। और दूसरी तरफ बड़े-बड़े उद्योगपतियों को कर्जा देने के लिये, बिड़ला और डालमियां को मदद देने के लिये तीसरी योजना से चौथी योजना में २०.५ प्रतिशत ज्यादा रुपया रखा है। यह कानपुर के बड़े-बड़े मिल वालों के लिये है। रिहन्द की बिजली बिड़ला साहब को उत्पादन लागत से भी ९ प्रतिशत कम पर दी जाती है, मगर वही बिजली सिंचाई के काम के लिये साढे ९ प्रतिशत अधिक पर दी जाती है। यही हमारी योजना है ? इसी से अन्न अधिक पैदा होगा ?

[कुंवर श्रीपालसिंह]

आज जो रिक्शा वाला है, एक खोंमचे वाला है, जो भारत माता के लिए आज अपने प्राण दे रहा है, अपना रक्त दे रहा है, उस पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप टैक्स लगाइये सिंघानिया पर, आप टैक्स लगाइये बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर, आप जितना टैक्स उन पर लगायगे। हम उससे भी डेढ़ सौ प्रतिशत अधिक लगाने को तैयार हैं। हम उसका कतई विरोध नहीं करेंगे। इस समय हम इतना ही चाहते हैं कि आप इस नाच गाने वाली बात को निकाल दीजिये। इस चौथी योजना में यदि आप सुरक्षा के लिये, अपने नौजवानों के लिये जो कि आज देश की रक्षा में लगे हुये हैं, हमसे जो भी चाहेंगे हम आपको विश्वास दिलाते हैं, उसे हम देने के लिये तैयार हैं, हम एक लफ्ज भी उसके विरोध में नहीं कहेंगे, बल्कि उसको और बढ़ाइये। इस पुस्तक में, जो चौथी योजना की मिली है। इसमें सुरक्षा के नाम पर एक वाक्य भी नहीं कहा गया है। फिर हमसे कहा जाता है कि हम पेट काट कर दें। हमारे प्राण इस समय देश की रक्षा में लगे हैं, बेईमानों ने जो आक्रमण किया है उनसे जूझने में लगे हैं ऐसे समय हमें यह योजना दिखाई जाती है। आज जनता की विचारधारा दूसरी तरफ लगी है। इस वक्त आप यह बेवक्त की शहनाई न छेड़िये और इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दीजिये। मेरा विश्वास है वहां इस विधेयक से यह धारा अवश्य निकाल दी जायेगी।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

सदन में जो आमोद प्रमोद के ऊपर १५ फीसदी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करती हूं और विरोधी दल की ओर से जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है उसके मैं विरोध करती हूं।

मान्यवर, विरोधी पक्ष से दो तीन तर्क उपस्थित किये गये हैं। पहिली बात तो यह कही गई कि जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं और गरीब लोग हैं उनके ऊपर इस टैक्स का भार पड़ेगा अगर आप जो ऊंचे क्लास में सिनेमा देखते हैं उन पर टैक्स लगा देते तो कोई बात नहीं थी। जहां तक अर्थ शास्त्र का नियम है, हमारी जो आवश्यकतायें है उनको तीन हिस्सों में बांटा गया है। अनिवार्य आवश्यकतायें, आराम की आवश्यकतायें और बिलासिता संबंधी आवश्यकतायें। जो देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उस देश में बिलासिता संबंधी आवश्यकताओं के लिये कोई स्थान नहीं है और यह निश्चय करना पड़ता है कि हमारे जो सीमित साधन हैं उनका किस प्रकार से इस्तेमाल करें, जिससे मैक्सिमम यूटीलिटी उन सीमित साधनों द्वारा कर सकें। अपने प्रदेश की जो आर्थिक उन्नति है उसके लिये मैं कहना चाहती हूं कि जहां एक ओर आप यह कहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिये यदि आप देते, आप धोती कुर्ता भी मांगे तो हम देने के लिये तैयार हैं। तो आप यह बात भी बहुत अच्छी तरह समझ लें कि केवल इस तरह के भाव व्यक्त कर देने से ही हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। उसके लिये हमें अपने को पीछे से तैयार करना पड़ता है। जब हमारे देश की दूसरे देश वाले मदद नहीं कर रहे हैं मगर हम केवल अपने हथियारों से लड़ रहे हैं। इसका कारण हमारी योजना थी। इन्हीं योजनाओं में डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है। आज दुनिया इस बात को मानती है कि अमेरिका के जो पैटन टैंक थे, सैबर जैट्स थे उनसे हमारे एंटी एयर क्रैफ्ट गन अच्छे थे। हमारे कारखानों में तैयार हुई चीजों का सारी दुनिया में तहलका मच गया है कि ऐसे कौन से यंत्र इनके पास हैं जिनसे इतने बड़े बड़े ताकतवर हवाई जहाज गिराये जा रहे हैं। तो हमारे पीछे वह हमारी योजना थी जिसमें हमने पिछले वर्षों खर्च किया और आज भी जो हमारे उत्तर प्रदेश की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वह करीब करीब १४५० करोड़ रुपये की है उसमें से हम लोगों को प्लानिंग कमीशन की ओर से १०५० करोड़ रुपये तक की मदद मिलेगी। जो मदद हमें अपनी करनी है उसमें लोन वगैरह ले करके भी ५० प्रतिशत का गैप रहेगा और उस गैप को पूरा करने के लिये हमें अभी से इसको सोचना है।

आप यह सोचें आज यह जो लड़ाई है यह समाप्त हो जायेगी ऐसी बात नहीं है। हमें तो तैयारी करनी है आगे आने वाले वर्षों के लिये और उस तैयारी के लिये जरूरी है कि हमारी

आर्थिक योजना जो आज चल रही है वह ठीक से चलाई जाय और इसीलिये खास तौर से उत्तर प्रदेश के ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि जहां एक ओर डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाया जाय। दूसरी ओर अनाज की जो उपज है वह भी बढ़ाई जाय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विशेषकर उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना की जो शस्य श्यामला भूमि हैं, जो हमारे देश का उपजाऊ हिस्सा है उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि हम अनाज के प्रोडक्शन को इतना ज्यादा बढ़ा दें कि अगर अमेरिका हमको गेहूं नहीं देता है या दूसरे देश नहीं देते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर शान के साथ युद्ध प्रयत्न कर सकें और हम किसी भी प्रकार किसी के आगे न झुकें। इस तरह से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें मुख्य तौर से आप देखेंगे कि हमें खर्च करना पड़ेगा इर्रीगेशन के ऊपर, खर्च करना पड़ेगा फर्टीलाईजर के ऊपर, हमें खर्च करना पड़ेगा, उन सब साधनों के ऊपर जिनसे खेती की उन्नति हो सके। साथ साथ, आपने यह भी पढ़ा होगा, कल ही में पढ़ रही थी कि प्लानिंग कमीशन ने यह कहा है कि इस समय एमर्जेंसी के समय प्लानिंग में से जितना रुपया जरूरत हो सुरक्षा के काम में उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, उसके लिए बार बार प्लानिंग कमीशन से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये हम साधन जुटाकर के रखेंगे और अगर हमें जरूरत पड़ती है बाराहोती में चीनियों से मुकाबिला करने की या और जगहों पर भी देश के दूसरे हिस्सों में हमको मदद पहुंचानी पड़ती है तो उसके लिए हम अपने प्रदेश में इतना अनाज उत्पन्न कर लें कि दूसरे प्रदेशों को भी भेज सकें और अपने प्रदेश का मीडेफिसिट पूरा कर सकें। भाइयों, लड़ाई केवल बातों से नहीं जीती जा सकती, लड़ाई केवल सेन्टीमेंट्स से नहीं जीती जा सकती।

श्री अध्यक्ष--

यहां भाई नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

लड़ाई के लिए हम आज जो पचास लाख या ८० लाख रुपया इस टैक्स के द्वारा प्राप्त करने जा रहे हैं वार्षिक रूप से वह हमारा एक एक पैसा लगने जा रहा है अपने प्रदेश की उस आर्थिक उन्नति में जिसके आधार पर हम आगे का युद्ध चला सकते हैं और एक पोजीशन पर बैठकर सम्मान के साथ दूसरे राष्ट्र से समझौता कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज भारतवर्ष के वीर जवानों ने अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के द्वारा अपनी शूरवीरता दिखलाकर दुनियां में भारत का स्थान और नाम ऊंचा किया है तो आज हमारी तरफ दुनिया की नजर है और लोग समझ रहे हैं कि भारतवर्ष भी कुछ करना जानता है। तो यह क्यों? क्योंकि आज हमारे में भरोसा है, हम समझते है, कि पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमने बड़े बड़े कल कारखाने बनाये थे,हमने जो भिलाई में, दुर्गापुर में, राऊरकेला में लोहे के कारखाने बनाये थे, उनसे हम बम का गोला या टैंक बनाने के लिए लोहा ले सकते हैं। हमने टैंक का कारखाना बनाया, हमने हवाई जहाज का कारखाना बनाया, यह सारी चीजे पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर बनाई गईं, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री ने नहीं बनाया है। आज भी चार बड़े-बड़े कारखाने उत्तर प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनने जा रहे हैं। अगर हम टैक्स के द्वारा रुपया नहीं इकट्ठा करते हैं तो उनको हम केवल कर्जे से नहीं पूरा कर सकते हैं। प्रदेश की जनता आज देश की मदद के लिए और अपने जवानों की मदद के लिए जब हर तरह का त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार है तो मुझे विश्वास है कि इस टैक्स को भी जिसको लोग साधारण रुप से अनुभव भी नहीं करते हैं क्यों कि जब वह सिनेमा देखने जाते हैं तो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि दो आना ज्यादा दे रहे हैं कि चार आना ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि वह तो एक शौक के ऊपर जाते हैं। इसलिये उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इस टैक्स को वह आसानी से दे सकते हैं।

यह कोई नाचने गाने वालों का टैक्स नहीं है बल्कि नाच गाना देखने वालों का टैक्स है और यह टैक्स लगाकर केवल चुड़ियां खनकायी जायंगी इस तरह का तर्क उपस्थित करना उचित नहीं है। आज के जमाने में भारतवर्ष को इससे भी ज्यादा त्याग और बलिदान करने के लिए

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

तैयार होना पड़ेगा । आज अस्सी लाख की बात है, कल एक करोड़ की भी हो सकती है । यह तो दुनियां का इतिहास है । इंग्लैंड के अन्दर भी जब लड़ाई हुई थी तो वहां पर जो टैक्स ३३ प्रतिशत था करीब एक साल की लड़ाई के बाद ५० प्रतिशत बढ़ गया था और लोगों ने बड़ी खुशी खुशी से दिया था । यह तो हमारे यहां ही अपोजीशन का रोल होता है कि वह यह भी नहीं देखते कि लड़ाई का समय है, संकटकाल की स्थिति है और उसके लिए हमको किस तरह तैयारी करनी पड़ती है । आप लोगों ने तो हमेशा ही इमर्जेन्सी की खिलाफत की है, हमेशा ही आपने पंच वर्षीय योजना की खिलाफत की है। लेकिन आज भारतवर्ष की जनता इस बात को जानती है, हमारे नव जवानों को इस बात का भरोसा है कि अगर वह दो गोली दुश्मन के सीने में मारते हैं तो चार गोली हमारे कारखानों से आकर उनका स्थान ले लेती है, इसलिए वह लड़ रहे हैं। हमको अमेरिका का मुंह नहीं देखना है रूस का मुंह नहीं देखना है, हम तो अपने बल पर खड़े हैं, और अगर यह लड़ाई जैसा कि भुट्टो महाराज ने कह दिया कि हजार वर्ष चलती है तो वह तो दूसरे की मदद की बात करते हैं, लेकिन हम तो अपने कल कारखानों की ताकत पर कहते हैं कि हम अपने ही हथियारों से लड़ेंगे ।

आज अमेरिका ने जो शस्त्रास्त्र पाकिस्तान को दिये थे और उनके लिये पाकिसतन ने जो वायदा किया था, उसने उसको तोड़ दिया है लेकिन हमने इतनी बड़ी लड़ाई अपने शस्त्रास्त्र से लड़ी है । यह किसकी देन है ? यह देन पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस योजनाबद्ध वैज्ञानिक विकास की ही है जिसने देश की इन्डस्ट्रिलाइजेशन की ओर आगे बढ़ा दिया है । देश की लड़ाई तभी खड़ी जा सकती है जबकि देश आर्थिक भित्ति पर मजबूत खड़ा हो जाय । आज १७ सालों के बाद यह सरकार यह कह सकती है कि हमारा देश आज आर्थिक भित्ति पर खड़ा है । इन पंच वर्षीय योजनाओं के द्वारा हमने जो कार्य किये हैं उनसे हमारे देश के सैनिकों का मनोबल ऊंचा हुआ है । इसलिये सरकार को भी यह विश्वास है कि इस योजनाबद्ध विकास के लिये जो हम समय समय पर टैक्स लगाते रहे हैं, वह उचित ही हैं । जब कि हमारे देश की साधारण जनता गरीब है तब आमोद-प्रमोद के ऊपर टैक्स लगाना न्यायसंगत ही कहा जा सकता है । इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में एक निवेदन कर दूं । इस संबंध में माननीय रक्षपालसिंह, राजेन्द्रसिंह और माननीय काशीनाथ आदि का जो संशोधन खंड २ में है उसमें यह लिखा है कि "पचहत्तर प्रतिशत" के स्थान पर "सौ प्रतिशत" कर दिया जाय । अनुच्छेद १९९ के अन्तर्गत कोई भी विधेयक या संशोधन जो कर से संबंध रखता है, चाहे वह आरोपण हो, उत्पादन हो या विनियमन हो, वह धन विधेयक कहलाता है और धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद २०७ में यह उपबंध है कि कोई विधेयक या कोई संशोधन ऐसा नहीं आयेगा जब तक कि राज्यपाल की सिफारिश न हो । तो इसमें राज्यपाल की सिफारिश ७५ प्रतिशत की है, १०० प्रतिशत की नहीं है । इस कारण उनका संशोधन अनुच्छेद २०७ के अन्तर्गत अमान्य होगा । इस कारण से मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

हमारा संशोधन तो है नहीं । हम तो उसका विरोध करेंगे । और यह बात तो संशोधन के समय आनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं चला जाऊंगा । इसलिये सदन को सूचना दे रहा हूं कि उसको मैंने अस्वीकार किया है । दूसरे संशोधन में यह प्रतिबन्ध रखा गया है, "युद्ध समाप्त होने की तिथि से सौ प्रतिशत शब्द निरस्त हो जायगा ।" इसमें मेरा निवेदन यह है कि युद्ध समाप्त होने वाली बात पर तो कुंवर श्रीपालसिंह जी लड़ ही रहे थे, विधेयक में कहीं भी युद्ध का उल्लेख नहीं है, इसलिये आपका यह संशोधन भी निरर्थक प्रतीत होता है ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

उद्देश्य और कारण में इसका उल्लेख होना चाहिये था लेकिन उसमें कोई संशोधन आ नहीं सकता क्योंकि वे इस बिल का भाग नहीं हैं। लेकिन इस विधेयक के सिलसिले में जो भी चर्चा हुई वह सब लड़ाई के संबंध में ही हुई है।

श्री अध्यक्ष--

मुझे एतराज न होता अगर इस संशोधन विधेयक में कहीं युद्ध शब्द आ जाता। जो मूल संशोधन इस समय प्रस्तुत है उसमें पहले आप संशोधन लाते कि "युद्ध तक ऐसा रहेगा" और फिर उसके बाद परन्तुक उसमें जोड़ते तो ठीक हो जाता। लेकिन चूंकि मूल संशोधन में "युद्ध" शब्द नहीं आया है, इसलिये मुझे कठिनाई हुई। इसलिये इसको भी मैंने अस्वीकार किया है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, यह बिल जिन हालात में पेश हुआ है और जिस वक्त पेश हुआ है, उन सब बातों को सामने रख कर मैं यह समझता हूं कि आज रुपये पैसे की जरूरत का जहां तक सवाल है, मौजूदा हालात को देखकर मैं इसका समर्थन करता हूं। (इस समय १२ बजकर ४५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए)। लेकिन इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ समर्थन करता हूं कि अगर जरूरत पड़े देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिये तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितने आपके प्लान है मुख्य-मुख्य चीजों को छोड़ कर जैसे अन्न का उत्पादन है, या लड़ाई सम्बन्धी और किसी चीज का उत्पादन है, बाकी जितने प्लान्स है उन सब के रुपये को आप देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिये तबदील कर देंगे। इसके साथ ही साथ इस सिलसिले में कुछ सुझाव म आपके सामने रखना चाहता हूं। इंटरटेंनमेंट टैक्स के सिलसिले में जितने टैक्स छिपाये जाते हैं और जितनें टैक्स बचाये जाते हैं खासतौर पर उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज सिनेमाओं के अन्दर क्या होता है? अगर आप गौर के साथ देखें तो रोजाना पचासों आदमी हर सिनेमा हाउस में फ्री पास लेकर जाते हैं ....

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उनको भी टैक्स देना पड़ता है।

श्री रियासत हुसैन--

उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो सिनेमा के मालिक होते हैं वे अपने आप उनको ले जाकर बैठा आते हैं कि आप बैठिये। मुझसे भी दसों दफा सिनेमा हाउस के मालिकों नें कहा कि आप बैठिये, आपको टैक्स वगैरह देने की क्या जरूरत है? इस तरह से उनका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, न उसकी कोई जांच होती है और न कोई उसे देखने के लिये ही जाता है कि वहां क्या हो रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स भार नहीं पड़ता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप ऐसे सिनेमा मालिकों का प्रासिक्यूशन करें जो इस तरह से टैक्स का नुकसान करते हैं। साथ ही आप इस तरह का प्रतिबन्ध लगा दें कि जब तक कोई बोना-फाइडी आपका नौकर न हो, तब तक दूसरा कोई बिना टैक्स दिये वहां नहीं बैठ सकता है।

दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि हर शहर में बड़े-बड़े आदमियों ने कुछ क्लब बना रखे हैं। मिसाल के तौर पर लायन क्लब ही है। इसमें बड़े-बड़े अधिकारी तथा बड़े बड़े तिजारती लोग सदस्य होते हैं और वे भी उस क्लब में रिक्रिएशन के लिये ही बैठते हैं। मैं चाहता हूं कि जब वह भी एक रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट सेंटर है तो उस क्लब के ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिये। लेकिन वह सरकार को टैक्स नहीं देते हैं बल्कि एक तरह से टैक्स का एवेजन करते हैं। मैं मुरादाबाद का ही एक केस बतलाऊं कि आज से दो साल पहले १० अक्तूबर को मुरादाबाद में शकीलाबानो भोपाली का कव्वाली का एक प्रोग्रोम हुआ जिसमें २५ हजार रुपये के टिकट बिके। लायन क्लब के मेम्बरों ने जिलाधीश, बी० डी० ओ० तथा अन्य अधिकारियों से मिल कर उस प्रोग्राम के लिये एंटरटेनमेंट टैक्स के लिये एक्जेम्शन ले लिया, इसलिये कि इससे मिले रुपये का कुछ जुज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

कल्चरल प्रोग्राम सम्बन्धी किसी संस्था को या किसी दूसरे फंड को दिया जायगा । २५ हजार रुपये का तो टिकट बिका और लगभग १ हजार सरकारी कर्मचारियों को— थानेदार से लेकर कांस्टेबिल्स तक को शकीलाबानो भापाली का प्रोग्राम देखने के लिये फ्री कर दिया गया और उनसे कोई एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लिया गया । इस सिलसिले में आज से दो साल पहले मैंने एक सवाल भी किया था जो असेम्बली के प्रोग्रेशन के चक्कर म आ गया । उसका जवाब आया होगा लेकिन वह इस सदन के सामने नहीं आया । तो ऐसी बातें आये दिन होती हैं । कहीं कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर, कहीं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के नाम पर उनको एंटरटेनमेंट टैक्स से बरी कर दिया जाता है । मैं चाहता हूं कि इस तरह का रिक्रिएशन का जहां प्रोग्राम हो उस पर भी आप इस टैक्स को लगावें । इससे जो रुपया आयेगा वह पब्लिक फंड में आयेगा जो वार फंड में खर्च होगा या और दूसरे अखराजात होंगे । जब तक कोई प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिये न हो, या जब तक कोई स्पेशल चीज प्रोपेगेंडा के रूप में लोगों को दिखलाने के लिये न हों, कोई भी रिक्रिएशन का प्रोग्राम एंटरटेनमेंट टैक्स ऐक्जेम्पटन होना चाहिये । साथ ही एक्जैम्शन की पावर आप जिलाधीन को हर्गिज मत दें । यह पावर जो एक्जैम्शन की है वह डायरेक्ट गवर्नमेंट अपने पास रखे और उसे जिलाधीश को न दें, क्योंकि उन के लोकल ताल्लुकात होते हैं और मुरव्वत होती है और इस तरह की चीजें चलती हैं और वह एक्जम्पशन दे दिया करते हैं जिससे सरकार के कर का नुकसान और इवेजन होता है ।

एक बात मैं और कहूंगा कि आपने यह कर की दर बढ़ाई लेकिन आप ने हर एक क्लास पर एक सो ही दर बढ़ा दी । मैं चाहता हूं कि यह प्रतिशत प्रोपोर्शनेट रखी जाय ताकि जो छोटे क्लास के लोग ८–१० आने का टिकट लेते हैं उन पर कम बोझ पड़े और जो ढाई रूपये वाले दर्जे में जाते हैं उन पर ज्यादा पड़े । इस चीज को सामने रख कर आपको रेट प्रतिशत का रखना चाहिये ताकि गरीब पर कम बोझ पड़े और बड़े लोगों पर ज्यादा पड़े । इससे इस चीज में इंसाफ हो सकेगा कि गरीब क्लास के लोग जो अपनी थकान को दूर करने के लिये महज समय पास करने के लिये सिनेमा जाते हैं उन पर कम बोझ पड़ेगा और जो बड़े लोग तफरीह के लिये जाते हैं उन पर अधिक बोझ पड़े और उन की हैसियत को देखते हुए उन्हें वह बोझ मालूम न होगा ।

इसके अलावा जो सिनेमा मालिकान हैं वह आपको क्या देते हैं, जो आयकर लगता भी है वह आपको नहीं मिलता, वह केन्द्र लेता है । जो टिकटों की बिक्री से रिक्रियेशन टैक्स लिया जाता है वह सिनेमा मालिक पर नहीं पड़ता । आप सिनेमा मालिक पर भी कुछ कर लगायें कि वह अपने टिकटों की बिक्री का कुछ प्रतिशत आपको दे, जब आप उससे भी लेंगे तो देखने वालों और दिखाने वालों दोनों पर कर लग सकेगा । मैं फिल्म कम्पनी की बात नहीं करता क्योंकि हमारे प्रदेश में वह नहीं हैं लेकिन बम्बई में उनसे भी लाखों रुपया, कहीं २० लाख कहीं ३० लाख छिपा मिल रहा है लेकिन उनके अलावा आप के यहां भी कुछ लोग ऐसी कम्पनियां बना लेते हैं कि जिनका काम एन्टरटेनमेंट करना है, जो कानट्रैक्ट्स लेती हैं और जगह जगह अपने शो दिखाती हैं, उनसे भी आपको हर शो पर एक मखसूस रकम हासिल करना चाहिये ताकि आप की चौथी योजना या वार फंड में मदद मिल सके ।

इतना कहकर मैं चाहूंगा कि आप इस बिल को पास करने से पहले इन तमाम बातों को सामने रखें और जब आज लड़ाई का सवाल है, हमें रुपया इकट्ठा करना है और अगर जरूरत हो तो इस वक्त सारे प्लान के रुपए को वार के लिये कनवर्ट कर दें और अगर ऐसा न किया तो इसका असर जनता पर बुरा पड़ सकता है और उस को आप रोक नहीं सकेंगे और ऐसे समय में यह मुनासिब न होगा ।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मुझे खेद है इस बात का कि विरोधी दल ने कल वाक-आउट किया जब कि यह एमर्जेंसी पीरियड है । हमारा एक और सवाल है कि आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुर्बानी का वक्त है तो ऐसा ऐक्शन उचित नहीं था। मैं नहीं कहता कि अपोजीशन के दिल में या उनमें कुर्बानी का जज्बा नहीं है लेकिन मुझे दुःख हुआ क्योंकि ऐसी बात का असर बुरा पड़ता है। आज सब सहमत हैं, मुझे इसकी खुशी है।

पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब किसी देश के ऊपर जंग आ पड़ती है तो उस देश का हर घर, हर फर्दोबशर अपनी आजादी क लिये ही होता है उसका अपना कुछ नहीं रह जाता। हर एक चीज देश की आजादी के लिए कुर्बान की जाती है। मैंने अपनी जिन्दगी में दो बड़ी लड़ाई और दो छोटी लड़ाइया देखी हैं और मुझे अनुभव है, यद्यपि वे हिन्दुस्तान में नहीं हुईं, कि वहां के मुल्कों ने, जहां वे हुईं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी, जितनी वे कर सके थे, की। मैं आज यह भी फख्र करता हूं अपने सूबे का खासकर, इसलिए भी कि हमारे सूबे का ही रहने वाला वह व्यक्ति था जिसने दुश्मन के सैवर जैट को मार गिराने का उद्घाटन किया। यह हमारे सूबे को फ ख्र का बाइस है। आज सारे भारत में हमारे सूबे के उस नौजवान की तारीफ हो रही है। श्री कीलर की, जिसने सेबर जैट को गिराने के कार्य का इनआगरेशन किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह सूबा, जिसके नौजवान ने इन-आगरेट किया हो, उसके रहने वालों को तन, मन और धन से हर प्रकार की सहायता करनी चाहिए और हिन्दुस्तान के जितने भी सूबे हैं, उन सबसे आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो जो चीज आज रखी गयी है ऐसी नहीं है कि जो देश की आजादी से बढ़कर हो।

अभ: माननीय मुकन्दीलाल जी ने कहा कि इस देश की ओर से सब जातियां लड़ रही हैं, चाहे हिन्दू हों, मुसलमान हों या ईसाई हों। यह खुशी का बाइस है कि आज दुश्मन को भी पता चल गया होगा कि जब-जब हम पर मुसीबत आती हैं, हम एक तन होकर उसका मुकाबला करते हैं। हमारे यहां के क्रिस्चियनों ने भी कुर्बानी की है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी जो माली हालत है, उसके मुताबिक जो वे कर सकते हैं, जरूर करेंगे। तो अगर एन्टरटेनमेंट टैक्स, जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने सुझाव दिया है और जिसकी मैं तारीफ भी करता हूं, बढ़ाना है तो सिनेमा के मालिकों पर भी बढ़ाया जाय। इसके लिए हमारी सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए।

आज मुझे माननीय श्रीपालसिंह जी के भाषण को सुनकर भी खुशी हुयी है क्योंकि उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि जनसंघ के रवैये में भी तब्दीली आयी है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिये, क्रिश्चियनों के लिये और और जातियों के लिये भी तारीफ की है। यह खुशी का बाइस है कि जनसंघ के लोगों के हृदय में भी परिवर्तन मालूम हुआ है। अब मालूम हो गया है कि कोई भी जाति हो, वह अपने मुल्क के लिए वफादार है, फैथफुल है और लौल है। ऐसी हालत में जो आज हमारे देश की है, जबकि देश की आजादी की रक्षा के लिए डंका बजा हुआ है और सारे राज्य हर प्रकार से तैयार हैं, आपको इस प्रकार के टैक्स लगाये जानें में किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हमें जैसे भी हो देश की आजादी के लिए ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी करनी चाहिए।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

अधिष्ठाता महोदय, जिस प्रकार की सरकारी लोगों की बात सुनीं और जो बिल सभा में टैक्स के लिये पेश है और उसके उद्देश्य जो इसमें वर्णित हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के साधन जुटाने के लिये और सारी बातों को बड़े गौर से देखने के बाद अधिष्ठाता महोदय, सरकार की कुत्सित मनोवृत्ति का पता चलता है। हमारे ऐसा नौजवान यह अर्थ निकालता है कि सर-कार के सारे क्रिया-कलापों से एक युद्ध का वातावरण इस देश और प्रदेश की ७ करोड़ जनता पर पैदा कर दिया जाय। लेकिन जो सरकारी पक्ष है जो उनके तौर तरीके हैं हुकूमत के देश को चलाने के उनमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली न आने पाये और सरकार इस तरह से चले जैसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग सरकार में बैठे हैं वे बिलकुल महसूस नहीं कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

रहे हैं कि इस मुल्क की आजादी खतरे में है। चीन और पाकिस्तान से इतना खतरा है, इसका अहसास सबको है, लेकिन आज कुर्सियों पर जो बैठे हुए हैं उनको इस खतरे का सही अन्दाजा नहीं है। अगर होता तो मैं मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं कि इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को फाड़ कर फेंक देना चाहिये था, इस योजना से मुल्क की हिफाजत नहीं हो सकती जो १८ साल से इस मुल्क को कोई राहत नहीं दिला सकी। शासन का जो तौर तरीका है उसीसे यह सारा संकट खड़ा हुआ है। सारी जनता इस बात को महसूस करते हुए भी और यह समझते हुए कि पाकिस्तान और चीन का झगड़ा इसी ने खड़ा किया है, लेकिन यह देश हमारा है, आज इस मनोवृत्ति के साथ जनता जुटी हुई है। लेकिन सरकार की कुत्सित मनोवृत्ति टैक्स लगाने की और तरह-तरह के आम जनता को परेशान करने वाले काम कर रही है।

युद्ध काल में देश और अधिकारियों के क्या तौर तरीके होते हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। १९४० में इंगलैंड युद्ध में था और हिटलर के बम गिर रहे थे तो चर्चिल ने किस तरह का इंतजाम किया देश के लिये, उसको देखें। क्या उसने उस जमाने में जनता के ऊपर कोई टक्स बढ़ाया? मनोरंजन टैक्स का बहुत से समाजवादी सिद्धान्त के आधार पर समर्थन करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मनोरंजन का सम्बन्ध देश की तन्दरुस्ती के साथ है, यह कर राष्ट्र की तन्दुरुस्ती पर है। मनोरंजन और देश की तन्दुरुस्ती का कितना निकट सम्बन्ध है, इसको देखा जाय। १९४० में जब हिटलर के हवाई जहाज इगलैंड पर बम गिरा रहे थे, लुई फिशर जब लन्दन पर उतरा तो उसने देखा कि इगलैंड की एक फौज की टुकड़ी फुटबाल खेल रही है और दूसरी टुकड़ी जर्मन हवाई जहाजों के गिराने में व्यस्त थी। यह देख कर उसने लिखा "ग्रेट चैलेंज" में किएक हिटलर नहीं हजार हिटलर पैदा हों तो भी इंगलैन्ड को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जिस देश के लोगों का दिमाग संतुलित हो कि युद्ध काल में मनोरंजन के साधन को समुचितरूप से संचालन कर सकते हों वह राष्ट्र कभी गुलाम नहीं हो सकता।

रामायण राय ऐसे लोग कहेंगे कि योजना पर हमारे युद्ध की शक्ति मुनहसिर है। कौन सी योजना? जो १८ साल से चल रही है और उसमें भ्रष्टाचार बेरोजगारी, अन्न की कमी और गैर इंसाफी को प्रश्रय मिला है? इस योजना से बल नहीं मिल सकता। इसमें आमूल परिवर्तन करना होगा। युद्ध काल में केवल दो योजनायें चल सकती हैं। एक फौज का सामान बनेगा, जैसे टैंक, हवाई जहाज, गोला व बारूद और दूसरे अन्न की पैदावार बढ़ाई जायगी और उसके लिये सिंचाई के साधन जुटाये जायं, जो जमीन काबिले खेती है उसे खेती में लाया जाय। ऐसी योजना नहीं बनाई जा सकती जिसके जरिये करोड़ों रुपये के कर्ज दिये जायं सगे सम्बन्धियों को, जो रुपये को लेकर गुलछर्रे उड़ाते हैं। जिनका मकसद यह होता है कि खूब सरकार का पैसा लो और खूब मौज उड़ाओ। कुंवर श्रीपालसिंह ने ठीक ही कहा है कि इस तरह की योजना के लिये अगर पैसा जुटाने को कहा जाता है तो उनका जैसा आदमी एक पैसा भी टैक्स के नाम पर जुटाने को तैयार नहीं है। अलग से इसकी योजना बननी चाहिये, जब चीन और पाकिस्तान का संकट आ गया है। इस समय इस बात का ऐलान करना चाहिये था कि पहले जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बना हुआ है वह स्थगित होता है और जब तक युद्ध काल रहेगा तब तक हम यही दो योजनायें चलायेंगे, फौज का सामान तैयार करेंगे और अन्न पैदा करेंगे। आपने अपनी मिनिस्ट्री के साइज को छोटा नहीं किया। इंग्लैंड के हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्स पढ़िये। सीक्रेट सेशन काल किया गया। आप भी इस बात का ऐलान करते कि सारे देश और प्रदेश में लामबन्दी होगी। २१ वर्ष से २५ वर्ष के नौजवान फौज में भरती होंगे। किसी को फियट गाड़ी नहीं दी जायगी। लेकिन यहां तो पर्मिट दिये जाते हैं और उसकी पर्मिट पर विरोधी पक्ष के लोग खरीदे जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह का आरोप आप को नहीं लगाना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह आरोप नहीं है, सही बात है। सरकार की जो कुत्सित मनोवृत्ति है उसकी मैं विवेचना कर रहा हूं। विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी भी संकटकाल में बहुत बढ़ जाती है। हमारी बात को सुनना चाहिये। लेकिन बनारसीदास जी ने एक मीटिंग में जब उनसे एक सज्जन ने प्लान के बारे में सवाल किया तो उसको उन्होंने बदतमीज कह दिया। इस तरह से एक केबिनेट रैंक के मिनिस्टर द्वारा जनतांत्रिक परम्परा में इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता। डेमोक्रैसी में जनता के बीच में हर बात को सुनना पड़ता है और अपने खिलाफ बात सुन कर उसे हंसते हुये जवाब देना चाहिये। यही डेमोक्रैटिक स्प्रिट है। यह नहीं होना चाहिये कि सभा में बोलें तो पुलिस से निकाल दिया। कैलाश प्रकाश जी, जगवीर जी के इलाके में गये। वहां कैजुअल्टी लिस्ट आई थी। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने में कितने आदमी मारे गये। बड़ा मातम था, लेकिन वहां शहनाई बज रही थी क्योंकि कैलाश प्रकाश जी आये हुये थे। कैलाश प्रकाश जी के आगमन पर, जबकि यह संकटकाल है और इस समय यह बात है कि किस तरह से हम चलें जिससे खर्चा कम हो, उस समय बाजा बज रहा है और मंत्री जी जा रहे हैं, उनके ठाठ में, रुतबे में और अय्याशी में तनिक भी कमी नहीं है। "अय्याशी" शब्द में बुरे शब्द के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं बल्कि ठाठ-बाट से रहने और फियेट पर चलने आदि की बात है।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं बता दूं। आप कह रहे हैं कि बाजा बजाया गया। माननीय जगवीरसिंह वहां मौजूद नहीं थे, वहां के प्रिंसिपल आये थे। और उन्होंने कहा कि बाजा बजा, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वहां वह पहुंच नहीं पाये थे इसलिये वे आलोचना कर रहे थे। उनसे किसी ने असत्य कहा। वैसे कोई खास बात नहीं थी। कालेज के लड़कों ने कुछ अपने बाजे बजाने की बात की। माननीय कैलाशप्रकाश जी ने मना कर दिया था कि यह मौका नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय काशीनाथ जी, आप अपने भाषण की गरिमा को बढ़ाने के लिये "अय्याशी" शब्द को निकाल दें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप जो ठीक समझें निकाल दें। लेकिन मैं ठीक समझ रहा हूं और मैंने इस शब्द के बाद कह भी दिया है।

श्री जसरामसिंह--

श्रीमन्, इनके पास आलोचना के सिवाय और कोई बात नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं एक-एक हरकत की आलोचना करने के लिए यहां बैठा हुआ हूं। अभी सदस्य ने कहा कि यह गलत था। लेकिन हमें मालूम है कि यह सही है। उनके सामने बाजा न बजा हो लेकिन जब माननीय हरगोविन्द सिंह बलिया गये थे तो नाच हुआ था। ऐसे गये गुजरे मन्त्री के स्वागत में हर स्टेशन पर नाच हो, यह कहां तक ठीक है? जो पीछे के दरवाजे से मंत्री बन कर बैठा है। इस संकट काल में हरगोविंद ऐसा मन्त्री इलाहाबाद में जुडीशियल मजिस्ट्रेट के पास जा कर यह कहता है कि इस मुकदमें को सेशन कमिट करो। वह मुकदमा मिस्टर बी० डी० मुकर्जी का है। हमने जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया था कि सेशन कमिट कर दिया गया। जब बाद में पता चला कि गलत जवाब दे दिया है तो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत को इंफ्लूयेंस कर रहा है कन्हैयालाल जी मिश्र के जरिये। इस संकट काल में जो मंत्री झूठ मूठ मुकदमों को सेशन में भिजवाये इस तरह से, वह देश और देश का दुश्मन होगा। उसको मैं राजद्रोही की संज्ञा से विभूषित करना चाहता हूं और हमसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं बल्कि देश और प्रदेश के साथ हैं। देश और प्रदेश को जो नुक्सान पहुंचा सकता है हम उसकी मुखालफत करेंगे। आप देश के प्रतिनिधि नहीं हैं, यह सरकार देश की प्रतिनिधि नहीं है और विरोधी दल के लोग गठरी नहीं हैं कि जहां चाहें वहां रख दें। हमारे पास भी दिमाग है और हम सोचते हैं कि कैसे देश का भला होगा। जहां तक

[श्री काशीनाथ मिश्र]

देश और प्रदेश की प्रति भक्ति का सवाल है, हम कोई पाकिस्तानी या मुसलमान नहीं हैं जो डर जायेंगे। बहुत से मुसलमान भी देशभक्त हैं। लेकिन लोगों का ऐसा दिमाग बना हुआ है कि हर किसी के लिये कह देते हैं कि यह देशद्रोही है। इस तरह का लोगों का दिमाग बना हुआ है।

इस टैक्स के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ा रिग्रेसिव टैक्स है और यह गरीब आदमियों पर टैक्स है। इससे ेश का लाभ होने वाला नहीं है। एक तो यह सरकार इस योजना को खत्म करे। अलग से योजना बनाये, जिसमें दो बातें जरूरी होनी चाहिये। एक तो अन्न की पदावार ज्यादा से ज्यादा हो और फौजी सामान को मुहैया किया जाय। लेकिन यह इस बात में बैठें हैं और लाल बहदुरजी की सरकार इसलिये बैठी है कि य० एन० ओ० क्या कर रहा है। सीज फायर हो जाय तो मामला खत्म हो जाय।

गांधी जी का नाम आप बराबर लेते हैं। गांधी ने कहा कि मैं बहुत खुशी के साथ अहिंसा और शान्ति म विश्वास रखता हूं, लेकिन मैं श्मशान की शान्ति नहीं चाहता। अगर मुझे हिंसा और कायरता मे चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा। तो आप कायरता न दिखलाएं भले ही हिंसा करनी पड़, गांधी जी के शब्दों के मुताबिक। श्रीमन् आज जब बोल रहे थे तो आप ने सही ही कहा कि जो बड़-बड़े सिनेमा के मालिक हैं यह करोड़ों रुपया पैदा करते हैं, उनकी तरफ सरकार की दृष्टि नहीं जाती। साधारण आदमी, गरीब, मजदूर और रिक्शा वाला अगर सिनेमा देखता है तो उस पर कर। आप लग्जरी के सामान पर कर क्यों नहीं लगाते? मोटर, सिगरेट आदि जो लग्जरी के साधन हैं उन पर टैक्स लगाइये। आप जमीन पर कर लगाते हैं जब कि १४ करोड़ रुपया पूंजीपतियों पर सेल्स टैक्स का बकाया पड़ा है। रामरतन गुप्त की तरफदारी करने वाले एकबार भी नहीं कहेंगे कि १४ करोड़ पूंजीपतियों पर जो बकाया है उसको सरकार क्यों नहीं वसूल करती? इन सब टैक्सों से नौ करोड़ रुपया मिलेगा और १४ करोड़ आपका बकाया पड़ा है सेल्स टैक्स का। उसको सख्ती से क्यों नहीं वसूल कर रहे हैं? बहुत कहने सुनने से हुकुम सिंह जी न वसूली गांवों में बन्द की है नहीं तो भादों के महीने में दस-दस रुपये की वसूली के लिय किसानों क बैल नीलाम होते हैं। और करोड़ों रुपया बकाया है उसके लिए सांस नहीं लेते। कह रहे थे कि हाईकोर्ट में मामला है। हाईकोर्ट में कोई मामला नहीं है। कितनी कुर्की और वारंट गया जिन पर टैक्स बकाया है? बाबू गेंदा सिंह जब एक सेर का चावल देवरिया म बिकता था तो यहां सदन में ला कर दिखलाते थे। आज देवरिया मे १८-२० आने सेर चावल बिक रहा है तो बाबू गेंदा सिंह मंत्री बन कर आज चुप हैं। बाबू गेंदा सिंह कहते थे कि उत्तर प्रदेश के जितने चीनी मिल मालिक हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। उससे १६ करोड़ सालाना की आमदनी होगी। आज वह उस तरफ बैठे हुये हैं, क्यों नहीं वह सुचेता जी को सलाह देत ह कि बजाय गरीबों पर टैक्स लगाने के वह चीनी मिलों को नेशनलाइज कर लें? एम्पलायमेंट पर टैक्स लगा रहे हैं। बेचारे बाबू लोग जो, दो सौ, तीन सौ, चार सौ रुपया तनख्वाह पाते हैं उन पर टैक्स लगा रहे हैं। उनकी दस पांच लाख की मदद से राष्ट्र की सुरक्षा होगी? गरीबों के टैक्स से आप राष्ट्र की सुरक्षा कर नहीं सकते। जब तक आप करोड़पतियों के द्वार नहीं खटखटायगे, जिनके पास करोड़ों रुपया भरा है, उनसे वसूल नहीं करेंगे तब तक देश की हिफाजत आप नहीं कर सकते हैं।

देश पर आयी विपत्ति का नाम लेकर गरीब जनता पर टैक्स लगाना आपका केवल स्वांग है। यह आप स्वांग कर रहे हैं जो देश संकट का बहाना ले रहे हैं। आप तो गरीब जनता पर टैक्स लगाना ही चाहते थे, बहाना ढूंढ़ रहे थे जिसके लिये आपको यह बहाना स्वांग रखने का मिल गया है। गरीब जनता पर लगाये गये टैक्स का जब हम विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि देश के दुश्मन हैं। इस तरह कह कर आप हमारी जबान बन्द नहीं कर सकते हैं। सच्चाई छिप नहीं सकती है। आपके इन आरोपों से मैं तनिक भी डिगनेवाला नहीं हूं। यदि आप को टैक्स लगाना है तो करोड़पतियों और बड़े-बड़े चीनी मिल मालिकों पर लगाइये। एक बड़े रायटर ने लिखा है कि "कुछ लोगों को कुछ समय तक गुमराह किया जा सकता है, लेकिन बहुत

लोगों को बहुत दिनों तक गुमराह नहीं किया जा सकता है।" इसलिये इस एमरजेंसी का नारा लगाकर कब तक आप अपना काम चलाते रहेंगे ? बहुत दिनों तक आप का यह नाटक चलने वाला नहीं है। आप तो जनता से त्याग की बात करते हैं किन्तु आप के कारनामे स्वयं प्रभावी नहीं हो रहे हैं। आप अपने चरित्र से, आप अपने चाल चलन से और हुकूमत से कोई ऐसा परिवर्तन करके दिखायें, कोई ऐसा कदम उठायें जिससे आम जनता समझे कि वाकई में देश पर खतरा है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ७ करोड़ लोग हमारे मंत्रियों से संकट का अधिक एहसास कर रहे हैं। कानपुर के मजदूरों ने अपना एक दिन का वेतन देकर ५ लाख रुपया सुरक्षा के लिये दे दिया, किन्तु वहां के पूंजीपतियों ने एक पैसा नहीं दिया। उनके विरुद्ध आप कोई कदम उठायें, इसलिये भी कानून बनना चाहिये कि जितनी आपकी आमदनी है, उसका हम हिसाब-किताब ले लेंगे। मैं इसका घनघोर विरोध करता हूं और देश और प्रदेश से आशा करता हूं कि जिनके पास देशभक्ति है, अगर देशभक्ति है तो जितने टैक्स बिल आये हैं हाउस के अन्दर उसमें से एक भी वे पास नहीं करेंगे।

श्री नवलकिशोर (ज़िला बरेली)--

अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है, इसका मैं समर्थन करता हूं और प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन है, उसका मैं विरोध करता हूं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने देखा कि २४-२५ भाइयों ने संशोधन प्रस्ताव पर बड़े कष्ट के साथ दस्तखत किये हैं। मैं इसकी आलोचना नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार से विरोध करना तो अब एक रोटीन की बात हो गयी है। काशीनाथ जी हमारे बड़े दोस्त हैं....

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरे दस्तखत इस पर नहीं हैं।

श्री नवलकिशोर--

मुझे खुशी है कि भाई काशीनाथ जी ने अपने को इससे डिएसोशिएट कर लिया है। मैं मानता हूं कि काशीनाथ जी में बड़ा जोश है, और उनमें एनर्जी भी है, लेकिन वह उसका मिस्-यूज न करें तो वह देश का बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। इस टैक्स के द्वारा ५० लाख रुपया एक साल का इकट्ठा होगा, जिसके माने यह हैं कि ६ नया पैसा पर कैपिटा प्रति वर्ष टैक्स पड़ रहा है ? यानी आधा नया पैसा फी व्यक्ति प्रति माह। इसके अतिरिक्त आखिर सिनेमा देखने वाले कितने लोग हैं ? देश की ८०-९५ प्रतिशत जनता तो ऐसी भी है जो सिनेमा देखने जाती नहीं है, केवल शेष २०-२५ परसेन्ट लोग हैं जो पिक्चर देखने जाते हैं। इस तरह से यह टैक्स केवल १०-१५ प्रतिशत जनता पर कन्फाइन्ड होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं माननीय नवलकिशोर जी को बतला दूं कि अमेरिका में सबसे बड़ी सिनेमा इंडस्ट्री है और उसके बाद भारत का ही नम्बर आता है, जिसमें इतने लोग सिनेमा देखते हैं।

श्री नवलकिशोर--

देखिये एक निवेदन मैं आप से कर दूं जैसे शान्ति से मैं दूसरों की स्पीच सुनता हूं और आपकी भी सुनी, वैसे ही आप मेरी बात सुनें। मान्यवर, मैं यह अर्ज कर रहा था कि मुझे ताज्जुब हुआ कि समाजवादी पार्टी का एक होनहार नौजवान जो समाजवाद के स्वपप्न देखता हो वह बहक कर यह कहे कि टैक्सेशन न हो और विशेषकर इंटरटेनमेंट ऐंड बेटिंग टैक्स न हो जो सबसे इन्नोसेन्ट टैक्सेशन है। उन्होंने प्लानिंग कमीशन पर भाषण दे डाला। अगर उन्होंने विधेयक पढ़ा हो तो तीन लाइन्स में एम्स ऐंड आबजेक्ट्स में दिया हुआ है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये साधन जुटाने के लिए यह कदम उठाया गया है। मैं कहना चाहता हूं और शायद माननीय काशीनाथ को याद होगा कि साढ़े १४ सौ करोड़ रुपये का चौथा पंचवर्षीय प्लान ड्राफ्ट केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन के सामने पेश किया गया। उन्होंने पूछा कि यह सरकार अपने साधन से कितना जुटा सकती है ? मान्यवर आप को याद होगा, आप एक अध्ययनशील व्यक्ति हैं, कि प्रथम पंचवर्षीय। योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कोटा हमें केन्द्रीय सरकार से

[श्री नवलकिशोर]

मिला या प्लानिंग कमीशन से मिला वह हमारी आवश्यकताओं के अनुपात से काफी कम था। यह सही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहली दफा ६९ या ७० प्रतिशत फंड्स हमें मिले केन्द्रीय सरकार से और आपको यह भी याद होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां हमारे खर्चे और आमदनी में २० करोड़ का गैप था वहां तीसरी पंच वर्षीय योजना में ५०४ करोड़ पर उसे खत्म होना था और उस पर ५२७ या ५२८ करोड़ कुल व्यय होने वाला है, यानी जो हमारा ओरीजिनल शिड्यूल बना था उससे हम आगे बढ़ गये।

एक बात यह कही गयी कि प्रदेशीय सरकार को कोई अर्जेंसी नहीं महसूस होती है और उन्होंने कुछ किया नहीं, सो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी फाइनेंस कमीशन की प्रदेशीय सरकार से बातचीत हुई। जहां तक मुझे मालूम है कि पिछले पांच सालों में फाइनेंस कमीशन ने केवल डेढ़ सौ करोड़ रुपये दिये थे उत्तर प्रदेश को, मगर इस बार उन्होंने ३७३ करोड़ देने का वादा किया है। फिर उसमें ७० करोड़ डेफिसिट सरकार को रहेगा। केन्द्रीय सरकार ने साफ कह दिया कि आप चाहे जितन बड़ी योजना चाहें बना लें, हम तीन साल का अनुपात निकाल कर ६० प्रतिशत से ज्यादा नहीं देंगे। मैं चाहता था कि काशीनाथ मिश्र जी बढ़ कर दरख्वास्त करते कि साढ़े १४ सौ करोड़ से बढ़कर १८ सौ करोड़ का प्लान बनाओ तो मुझे खुशी होती लेकिन मुझे डर है कि साढ़े चौदह सौ करोड़ भी अगर केन्द्रीय सरकार ने मान लिया तो हमें अपने साधन से ५८० करोड़ इकट्ठा करना पड़ेगा और १०५० करोड़ भी मान लिया तो भी ४०० से ४३० करोड़ रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा। और अगर इतना साधन इकट्ठा करना है तो उसमें से हमने पेश कितने के लिये किया है, सिर्फ ५० लाख रुपये के लिये जो आमदनी इस से होने वाली है। तो उसमें इतना शोर। वे विरोधी पार्टियां जिनका विश्वास निरोधन में नहीं है वे अगर इसका विरोध करतीं तो मुझे खेद नहीं होता, लेकिन समाजवादी पार्टी विरोध करे टैक्सेशन का क्योंकि सोशलिज्म के माने ही हैं अटमोस्ट टैक्सेशन। हां, अगर इस बात को कहें कि टैक्सेशन गरीबों पर हो रहा है, न हो तो ठीक है। उन्होंने, लगता है कि चारों बिलों के लिये यह सब बात कही है कि शायद अलग-अलग मौका न मिले बोलने का तो मुझे कहना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ इन्टरटेनमेंट टैक्स के लिये यह कहा है तो यह और भी बेतुकी बात है। अगर हम अपने फोर्थ प्लान को साढ़े १४ सौ करोड़ से ११ सौ करोड़ पर ले आयें तो भी साढ़े ४ सौ करोड़ के साधन जुटाने पड़ेंगे। इसमें अगर यह मान लिया जाय कि रेवेन्यू से २०० करोड़ मिलेंगे या कुछ और भी इन्तजाम हो जाय तो फिर उसके बाद भी २००, २५० करोड़ जुटाना पड़ेगा इस मौजूदा इमरजेन्सी के खर्च को छोड़ते हुये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के इन्नोसेन्ट बिल का विरोध नहीं होना चाहिये और खासकर ऐसी हालत में जबकि आज देश में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई है।

मैं अपने भाई काशीनाथ जी को यह भी बतलाऊं कि मुझे इस बात की खुशी है कि प्रदेशीय सरकार ने एक इकानामी योजना बनाई है जिसके आर्डर कुछ हो गये हैं और कुछ इशु होने वाले हैं। उसके अन्तर्गत कुछ सेविंग होने वाली है। उसमें करीब ४ करोड़ ६८ लाख बचाने की योजना है, ४ करोड़ और भी शायद बच जाय। अगर इसका हिसाब लगाया जाय तो उस हिसाब से लगभग ८।। करोड़ की बचत आगे आने वाले समय में होने की बात है। अगर सरकार ने इतनी बचत कर ली यद्यपि फिर भी थोड़ी बहुत गुन्जायश बाकी रह ही जावेगी। अगर इस सम्बन्ध में काशीनाथ जी कोई सुझाव देंगे तो सरकार उनको मानेगी और तब सरकार को बधाई देने की बात होगी यदि उसने ८।। करोड़ रुपये की बचत कर ली। इसलिये मेरे दोस्त का यह कहना कि सरकार को अहसास नहीं है, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो माल बाहर से आता है उस पर आप टैक्स क्यों नहीं लगाते। मैं काशीनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्सेशन की पावर है, वह सीमित पावर है। टैक्सेशन की जितनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है उसको ध्यान में रखते हुये काशीनाथ जी और उग्रसेन जी ऐसा कोई सुझाव देंगे तो मेरा विश्वास है, सरकार उस बात को मानेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर सिपाही जो खेल कूद करते

हैं उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। मैं खेल-कूद की अहमियत को मानता हूं, लेकिन मैं यह नहीं समझा कि उस खेल-कूद से इस टैक्सेशन की बात का क्या सम्बन्ध है? गाने बजाने की बात से इसका क्या सम्बन्ध है। अगर मन्त्री एन० सी० सी० की परेड में जाता है और वहां पर मिलिटरी बैंड बज जाता है तो इसमें क्या बड़ी बात है और काशीनाथ जी को इसमें क्या आपत्ति है? अगर मंत्री जी के जाने पर मिलिटरी ट्यून बजती है और उनको जोश दिलाने के लिये इस तरह का बाजा बजता है तो यह कोई शिकायत की बात नहीं है। मैं तो मन्त्री जी से कहूंगा कि काशीनाथ जी की मीटिंग में वह बैन्ड बजवा दें ताकि उनको यह कहने का मौका न रहे। सोशलिस्ट पार्टी से जो उम्मीद थी वह हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई। आज सारा पब्लिक ओपिनियन मोबलाइज हो गया है, लेकिन काशीनाथ जी वही अपनी पुरानी बातें कहते रहते हैं।

मान्यवर, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं, कि काशीनाथ जी ने कहा कि इनके स्वागत में बाजा बजता है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि अगर बाजा बजाया गया है तो सरकार से मैं कहूंगा कि कम से कम एक मीटिंग में माननीय उग्रसेन और काशीनाथ जी की में भी मन्त्री जी बाजा बजवा दें। अगर ऐसा हो जाय तो कम से कम आपको कहने का और शिकायत करने का मौका नहीं रहेगा और आपकी शिकायत खत्म हो जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हमारे क्षेत्र में देहातों में इतने लोग हमारे पास आते हैं जो मन्त्रियों की सभा से बहुत ज्यादा होते हैं। इनके यहां तो ४ आदमी ही आते हैं . . . .

श्री नवलकिशोर—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि उन्होंने बहुत-सी बातें कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि करोड़पतियों पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? मगर वह भूल गये कि टैक्सेशन के ९५ परसेंट ऐवेन्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हैं। जहां तक इंटरटेनमेंट और बैटिंग टैक्स का सम्बन्ध है, उसका बोझा ९० परसेंट उन पर पड़ने वाला है जिनकी आदनी १०० रुपये से ऊपर है। तो इसमें थोड़ा कनफ्युजन उनको हो गया और करोड़पतियों की बात में वह फंस कर रहे गये।

फिर उन्होंने कहा कि इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना वाली किताब को खत्म कीजिये। और यह बात कोई दूसरी पार्टी कहती तो समझ में आ सकता था, लेकिन यह काशीनाथ जी कहते हैं। क्या वह सोशलिस्ट पार्टी के एम्स को भूल गये? इसमें मैं आपसे सौ फीसदी ऐग्री करता हूं कि खाद्यान्न और फौज के सामान को बढ़ाइये। मैं यह भी बता दूं कि जिस समय नैशनल डेवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग हुई तो उसमें यह विचार हुआ कि आज की आपतकालीन स्थिति को देखते हुए हम अपने प्लान को कैसे बनायें? तो उन्होंने डिफेंस ओरिएंटेड प्लान बनाने की बात तय की जिसके अन्तर्गत प्रधान मंत्री को अधिकार दिया कि वह जिस तरह जितना चाहें प्लान में फंड्स को डिफेंस की तैयारी में डाइवर्ट कर सकते हैं और डिफेंस से कनेक्टेड इंडस्ट्रीज और फूड के अन्दर ले जा सकते हैं। तो केन्द्रीय सरकार के सामने तमाम स्टेट गवर्नमेंट अपना फैसला कर चुकी हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि आप कुछ आदमियों को थोड़ी देर के लिये बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन सभी को हमेशा के लिये बेवकूफ नहीं बना सकते। यह बिलकुल ठीक बात उन्होंने कही। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी चूंकि वह हर एक को हमेशा के लिये बेवकूफ नहीं बना सकती थी, जनता के सामने एक्सपोज होनी शुरू हो गयी। लिहाजा बलनान सिंह आपको छोड़ गये, क्योंकि जिसमें सेंस आता जाता है वह आपको छोड़ते जाते हैं। डा० लोहिया को तो छोड़ दिया गया, अब काहे परेशान होते हैं? (एक आवाज--आपने थोड़े ही छोड़ा?) खैर, अदालत पर मैं चार्ज लगाने वाला नहीं हूं, बहरहाल वह छूट गये, आपके मन की बात हो गयी।

[श्री नवलकिशोर]

एक बात उन्होंने कही कि करोड़ों रुपया जो सेल्स टैक्स का बकाया है वह वसूल होना चाहिये। मैं सौ फीसदी इत्तफाक करता हूं कि जितने एरियर्स हैं उनको जल्द से जल्द वसूल किया जाय। भाई बलवान सिंह जी कह रहे हैं कि आप तो अपोजीशन की तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि आपदकालीन स्थिति में हमने तमाम विरोध को खत्म कर दिया---न यह पार्टी न वह पार्टी। आज तमाम देश एक सूत्र में हमने खड़ा कर दिया। मैं अगर आपके मन की बात कहता हूँ तो आप कहते है कि विरोधियों की बात कहते हो।

अब मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के ५ लाख कर्मचारियों से कि बावजूद इसके कि पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है, उसके मातहत १९ करोड़ रुपये का बोझ प्रदेशीय सरकार ने ओढ़ना स्वीकार किया है। लेकिन आप आश्वासन दें कि जब तक इमरजेंसी इस देश में है, चीन और पाकिस्तान का खतरा है, हम बावजूद उस रिपोर्ट के बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं लेंगे और उसको सरकार के खजाने पर छोड़ते हैं।

इस बात में मैं उग्रसेन जी के साथ हूं कि केन्द्रीय सरकार भी हमारे लिये बहुत सी प्राबलम्स पैदा करती है। एक साल के अन्दर दो दो मर्तबा आई० ए० एस० अफसरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गयीं और इसका बोझा पब्लिक एक्सचेकर पर नाहक पड़ेगा जो कि आजकल की इमरजेंसी में फिट-इन नहीं करता है। कमिश्नरों की तनख्वाहें साढ़े २२ सौ से बढ़ा कर साढ़े २७ सौ कर दी गयीं। यह चाहे सेंटर ने किया हो या किसी ने किया हो, उचित नहीं हुआ और मैं चाहता हूं कि हमारी ये फीलिंग्स सेंटर तक पहुंच जानी चाहिये। ब्युरोक्रेसी के आगे झुक जाना, यह गलत तरीका है जो कि न हो तो ज्यादा अच्छा है।

यह तो काशीनाथ जी ने अपनी बातें कह दीं। कुछ उनकी जाती शिकायतें थीं हमारे साथियों से। अच्छा होता कि उन शिकायतों को इस टैक्सेशन मेजर के साथ शामिल न किया जाता। लेकिन अब मैं उनसे यह कहूंगा कि इस पंचवर्षीय योजना की किताब को फेंकने की बात न कीजिये। उसमें बुद्धिमत्ता के साथ तरमीम कीजिये। प्लानिंग को निकाल देंगे तो यहां पर सोशलिज्म के बजाय फासिज्म हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

एक सवाल करना चाहता हूं कि आप जब प्राक्कलन समिति के चेयरमैन थे तो आपने जो कट किये कि बजट से कट होना चाहिये तो वह सरकार ने माने भी नहीं? आप गलत मानते हुए भी गलत कहते हैं, हम गलत मानकर सही।

श्री नवलकिशोर---

खैर, इससे कम से कम यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार पर अब पक्षपात का दोष लगाया नहीं जा सकता। रामसुन्दर पांडेय जी मेरे बड़े मित्र हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि हाउस के बाहर तो वह मेरी बात से सहमत हो जाते हैं लेकिन उन्होंने कसम खा रखी है कि यहां हमेशा मेरी मुखालिफत करेंगे। तो मैं उनकी कसम तोड़ना नहीं चाहता। मैंने यह नहीं कहा कि एस्टीमेंट कमेटी की सिफारिशें सरकार न माने। सरकार आज जागरूक है। इस मौके पर भी अगर हम जब्त से क्रिटिसिज्म करें तो मैं उसको उचित मानता हूं, लेकिन अगर यह कहना शुरू कर दें आपद्कालीन स्थिति की उसको अवेयरनेस और कांशसनेस नहीं है और इन बातों को कह कर आप मासेज को मोबिलाइज करना चाहते हैं तो यह गैरमुमकिन है। तो आप अपने फर्ज को अदा कीजिये। अपने क्रिटिसिज्म को सीमा के अन्दर रखिये। प्लान तो डिफेंस ओरिएन्टेड प्लान होगा ही। इस लड़ाई ने हमारी बेसिक वैल्यूज को बदला है। इस युद्ध के बाद हिन्दुस्तान को मजबूरन दुनिया की जो ३-४ टाप मिलिटरी पावर्स हैं उनमें उसको भी एक ऊंचा स्थान लेना होगा, अगर हिन्दुस्तान को जिन्दा रहना है। लेकिन आज तो वार टाइम

है। इस समय तो हमें अपने साधनों को मोबिलाइज करके अपने पूरे कोआर्डिनेशन के साथ, भेदभाव को भुला कर, जो इमरजेन्सी हमारे सामने है, उसमें मदद करनी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक देश के स्वाभिमान का सवाल है, उसके गौरव का सवाल है, उसकी इन्डिपन्डेन्ट और सावरैन्टी का सवाल है, हमारे देश की ४७ करोड़ जनता में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसे समय में कम्प्रोमाइज करने के लिये तैयार होगा, जैसा कि उग्रसेन जी ने कहा है। लेकिन उन चीजों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने सिर्फ एक एमण्डमेण्ट है कि बजाय ६० प्रतिशत के यह टैक्स ७५ प्रतिशत हो, इसको आप पास कर दें। मैं बलवान सिंह जी से भी यही दरख्वास्त करूंगा। इस बिल का समर्थन करते हुये मैं अपनी स्पीच समाप्त करता हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु---(जिला आगरा)

श्रीमन्, सभी पार्टियों के रेप्रेजेन्टेशन हो चुके हैं। मैं दस बजे से लगातार २ बजे तक बैठा रहा पर मुझे मौका नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता---

आपको भी मौका मिलेगा।

*श्री बलवानसिंह---

श्रीमन्, मैंने बड़े गौर से अपने योग्य साथी श्री नवलकिशोर जी का भाषण सुना। उनकी हमेशा की एक आदत है और अच्छी आदत है कि वह हमेशा सरकार का सहयोग तो करते हैं, जहां तक बिल का सवाल है। उसके बाद वे बड़ी चुटकी भी लेते हैं। खैर, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब अपने साथियों में से कोई साथी कोई गलतफहमी की बात कर देता है। मैं नहीं चाहता कि विरोधी दल ने कोई बात आपस की हो। क्योंकि हम एक दूसरे के रंग को पहिचानते

(इस समय १ बजकर ४९ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

हैं। वे अपनी कुछ आदतों को छोड़ दें-ये छेड़खानी जैसा कि माननीय काशीनाथ मिश्र जी कह कर गये थे। हम भी सब जानते हैं और १०१ चीजें ऐसी गिना सकते हैं परन्तु हमें जिम्मेदारी के साथ अपनी पार्टी के सिद्धान्तों को रखना चाहिये अपनी पार्टी की चीजों को रखना चाहिये। इधर उधर की चीजों को रखने और कहने से क्या लाभ ?

एक चीज मैं कहना चाहता हूं। कहा गया कि पचास लाख रुपये की बात है। खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। आपको चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये, सिर्फ आपको यह महसस हुआ भी तो यह कि इन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ाया जाय। जहां तक इसका सवाल है, श्रीमन्, इसके लिये कोई भी दो राये नहीं हो सकती कि अगर मुल्क इस वक्त तकलीफ में है, मुल्क को जरूरत है पैसे की तो आमोद-प्रमोद को क्या, हम हर चीज को छोड़ सकते हैं। अगर जरूरत पड़े हमारी जिन्दगी की तो उसको भी हम मुल्क के ऊपर न्योछावर कर सकते हैं। किन्तु क्या यह आपका प्रोसीजर ठीक होगा, सवाल इस बात का है। आया यह ५० लाख रुपया जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये लेने जा रहे हैं और जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि बूंद-बूंद से समुद्र भरता है, तो क्या यह कदम आपका ठीक भी है या नहीं, इसको आपने सोचा है ? जहां तक वार का सवाल है, उसके लिये तो हम ले नहीं रहे हैं। वार फंड का कोई सवाल आयेगा तो उस पर अलग से विचार किया जा सकता है। लेकिन यह इंटरटेनमेंट टैक्स का सवाल आ रहा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये। तो मैं शान्ति प्रपन्न शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में उन गरीब भाइयों से भी पैसा लेना जरूरी हो गया है जो अपनी दिन भर की मेहनत के बाद १ रुपये ६ आने या १ रूपये ६० पैसे में सिनेमा देख कर अपना इंटरटेनमेंट कर लिया करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवान सिंह]

अभी काशीनाथ जी ने कहा कि जिस वक्त वर्ल्ड वार चल रही थी तो इंग्लैंड के अन्दर चर्चिल ने कहा कि सिपाही अपने सोने के घंटे कम न करें, कम्पलसरी रेस्ट रात को हो जाया करता था और उसने कहा कि रात को न सो सकें तो दिन के अन्दर सोयें। यह बात चर्चिल ने वर्ल्ड वार टू के समय कही कि जहां तक उनके आराम का ताल्लुक है किसी चीज में कमी न की जाय। लेकिन हमारे यहां यह हालत है कि ५० लाख रुपये के लिये इंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं जबकि १४ करोड़ रुपया हमारा अभी वसूल होने को पड़ा है। अगर मैं पूछ लूं माननीय नवलकिशोर जी से जो कि आंकड़े बहुत ज्यादा याद रखते हैं, कि जितना आप का एरियर है उसका सालाना इन्टरेस्ट कितना आता है, तो शायद जितना आप लेना चाहते हैं इस टैक्स के जरिये उतने के लिये जो एरियर्स पड़े हुये हैं यू० पी० के अन्दर मालदार लोगों पर उनका इन्टरेस्ट ही काफी हो जाता है।

श्री नवलकिशोर—

मैं बता दूं कि जितना सेल्स टैक्स का एरियर है उस पर इन्टरेस्ट भी लगता रहता है।

श्री बलवान सिंह—

मेरा यह कहना है कि सरकार के पास जितने उपाय हैं क्या उन सब उपायों को इस्तेमाल करने के बावजूद वह इस इंटरटेनमेंट टैक्स पर आयी है? जहां तक दूसरा सवाल आ रहा है मालगुजारी का उसके ऊपर तो हमारे साथी नवलकिशोर जी भी, राममूर्तिजी भी और मैं समझता हूं हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी भी अपने दिल के अन्दर सोचेंगी कि जो गरीब आदमी हैं जिनकी जोतें लाभकर नहीं हैं उन काश्तकारों के ऊपर इस मालगुजारी का भार डालना उनकी कमर को तोड़ना है। उस मामले में हमारा घोर विरोध होगा और मैं समझता हूं सरकार को भी अक्ल आयेगी कि वह उसमें अनइकोनामिक होल्डिंग्स जो हैं उनको इससे मुक्त करेगी, इससे सूबे के अन्दर जोश आयेगा। जिन लोगों के पास आज पैसा है उन पर आप इसका बोझ डालिये, दुगुना डालिये, तिगुना डालिये, उसमें हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन आपने यह जो शुरूआत की है पचास लाख रुपये से लेकर जो मालगुजारी तक जाना चाहते हैं उसका घोर विरोध प्रजा सोशलिस्ट पार्टी करेगी। यह इंटरटेनमेंट टैक्स अगर वार के लिये और मुल्क को मजबूत करने के लिये होता तो उसमें कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन वह चीज नहीं है और जो सरकार का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का विरोध है।

एक चीज और मैं कह दूं, आप उपाय जानना चाहते हैं तो माननीय नवल किशोर जी शायद भूल गये इस चीज को कि ३ हजार करोड़ ब्लैक मनी हिन्दुस्तान के अन्दर पड़ी हुई है। आप जानते हैं कि इनकम टैक्स पर ९५ परसेंट टैक्स लेते हैं मालदार आदमी पर लेकिन उसके बावजूद भी वह इनकम टैक्स का कितना इवेजन करता है, यह इस चीज से जाहिर है कि आज कानपुर के करोड़पतियों के पास आठ-आठ-दस-दस कारें एक-एक के पास हैं और हर कमरा उनका एयर कंडीशन्ड है। इसके अलावा आज भी वहां जहां चाहें दस लाख बीस लाख और एक एक करोड़ रुपये तक खर्च करने में वे समर्थ हैं। अगर सरकार यह कहे कि वह तमाम उपायों को सोच कर यह विधेयक लाई है, तो यह उचित नहीं है। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे सरकार को काफी रुपया मिल सकता है। आस्टेरिटी से बहुत बचत हो सकती है। क्या इस सरकार ने कोई आस्टेरिटी की है? मेरा खयाल है कि राममूर्ति जी मुझ से सहमत होंगे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की क्या जरूरत है और क्या एक-एक मिनिस्टर ४, ५ विभागों को नहीं सम्भाल सकता है? १० साल हो गये, पहले कहा गया था सरकार की तरफ से कि इस तरफ ध्यान दिया जायगा और बचत की जायगी। नवल किशोर जी कहते हैं कि वह ४ करोड़ रुपये की बचत करने के उपाय कर रहे हैं। २०० करोड़ रुपये में कितना वेस्टेज होता है? कितनी आस्टैरिटी इसके अन्दर आप ला सकते? जब श्री सी० बी० गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर हुए तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी आस्टैरिटी योजनायें आवेंगी। लेकिन ५ साल

हो गये और कोई योजना इसकी नहीं आई और न एडमिनिस्ट्रेशन में बचत की कोई योजना ही आई है। लोगों को शायद भ्रम है कि मैं भी लखपति हूं। लेकिन यू० पी० में जो सीलिंग के अन्दर है वह कोई बड़ा आदमी नहीं हो सकता।

श्री नवलकिशोर--

मैं आपकी आज्ञा से बलवान सिंह जी को यह बता दूं कि वह मियां बीबी कुल दो आदमी हैं और आमदनी बेहद हैं।

श्री बलवानसिंह--

अच्छा है, नवल किशोर जी बड़ी गहराई से देखते रहते हैं। कृष्णानन्द राय जी भी काबिल आदमी हैं, वकील हैं, तो उससे ज्यादा आमदनी किसी काश्तकार की नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी आमदनी २, ३ हजार रुपये की तो होगी ही।

यह सरकार सोचे कि ३ पंचसाला योजनाओं के बाद भी गरीब आदमी जो कपड़ा इस्तेमाल करता है उसकी औसत अभी बढ़ी नहीं है। सन् १९४७ के ही समय का उसका अब भी औसत कपड़े का है। वह पहले से कम कपड़ा इस्तेमाल कर रहा है। उसकी आमदनी का जरिया नहीं बढ़ा है। गरीब आदमी को आपकी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचा है। जिन लोगों को २०० करोड़ रुपया आप देते हैं। अगर उनसे पंचसाला योजनाओं के लिये रुपया मांगते तो बेहतर होगा। आज भी अकेला कानपुर शहर ऐसा है जिसमें आपने पच्चीसों करोड़ रुपया योजनाओं के लिये दिया हुआ है। अगर उनसे आप ५ या ६ परसेंट भी ले लें तो आपको काफी रुपया मिल जायगा, इनकम-टैक्स को छोड़ कर। वहां से आपको करोड़ों रुपया मिल सकता है।

क्या इस सरकार ने कभी विरोधी दल के नेताओं को बैठाकर पूछा कि कौन से उपाय रुपया हासिल करने के हैं? मुझे दुख है कि कभी भी विरोधी दल के नेताओं को सरकार ने अपने विश्वास में नहीं लिया। अगर यह सरकार हमारे साथ बैठे तो हम इन्हें बताने के लिये तैयार हैं कि कहां कहां रुपये के स्रोत हैं। बशर्ते कि आप उनसे वसूल करें। आप और हुकुम सिंह जी बैठे हुए हैं, गरीब आदमी पर मालगुजारी का बोझ बढ़ाना ठीक नहीं है। हमारा यह कहना है कि १०० रुपये से कम की आमदनी वाले पर या जिसके पास २, ३ एकड़ ही जमीन है उसे आप खुदा के वास्ते छोड़ दें। आज चीन का हमला किसी जमीन के लिये नहीं है। तीसरा युद्ध किसी जमीन या मार्केट के लिये नहीं होगा। यह होगा आइडियालाजी के लिये, विचारों के लिये। हिन्दुस्थान की जनता को यह एहसास नहीं होने देना चाहिये कि हम लोग अमीरों के लिये हैं, गरीबों के लिये नहीं है या उनकी हमें कोई चिन्ता नहीं है। टाटा-बिरला हिन्दुस्थान की जमीन पर पलते हैं और जिनके पास ३०० करोड़ रुपये का खजाना हो तो वह चीन के लिये एक कहने की बात होगी क्योंकि रेड कम्युनिस्ट हिन्दुस्तान के काश्तकार में रिवोल्यूशन की कोशिश करेगा और प्रचार करेगा। इस लिये हमारा इस सरकार से कहना है कि सरकार अपने टैक्सेशन के तरीके को बदले। यह कोई ५० लाख रुपये का सवाल नहीं है। गरीब मेहनत और खून दे सकता है। उसके पास रुपया नहीं है। उसका लड़का लड़ाई पर है, और जायगा। आज वह चीन जो १०, १५ साल पहले अफीम के नशे में रहता था हमारे लिये खतरा हो गया है। हम उससे डरते हैं नहीं। हमारी सेनाओं ने बड़े-बड़े अमरीकन टैंक जिन्हें अजेय कहा जाता था उनको खिलौनों की तरह तोड़ा है। हिन्दुस्थान ने आज बड़ी हिम्मत के साथ अयूब और पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और उनकी जमीन पर लड़ाई लड़ी है। इसलिये चीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की आपको अगर जरूरत है तो इन बिलों से है जो टैक्स लगाने के लिए आप ला रहे हैं। इनसे लोगों का मनोबल गिरेगा। इसलिये गरीबों पर टैक्स लगाये जाने का मैं विरोध करता हूं और वार के लिये जो टैक्स लगाया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आमोद-प्रमोद पर टैक्स लगाने का संशोधन विधेयक लाया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इसमें १०-११ लाइन्स हैं लेकिन हमारे विरोधी दल के भाइयों को ऐसा लगता है मानो बजट सेशन में वे भाषण दे रहे हैं। श्रीमन्, पाकिस्तान के हमले के बाद, चीन के अल्टीमेटम के बाद, हिन्दुस्तान के देशवासी बिलकुल बदल गये हैं। लोगों के सोचने की मनोवृत्ति ही बदल गयी है। जैसा हमारा विचार होता है उसी के अनुसार हम २४ घंटे सोचते हैं, चाहे अपने परिवार में हों या परिवार के बाहर हों। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विरोधी दल के भाइयों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वे अपनी जगह पर अडिग हैं। जिस तरह की बातें वे हमेशा से कहते चले आये थे उसी तरह की बातें आज भी कह रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप ही इस तरह से जनता के मनोबल को गिरा रहे हैं। जो उनके इस प्रकार के भाषण हो रहे हैं वे ही जनता के मनोबल को गिरा रहे हैं। जनता जिस तेजी के साथ अपने देश प्रदेश की रक्षा के बारे में सोच रही थी, आज उनके सोचने में आपने बाधा पहुंचाई है। जो ऐसी हालत आपने पैदा कर दी है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है।

इस प्रकार से ५० लाख रुपया टैक्स का बढ़ कर अगर सरकार को मिल जाता तो क्या परेशानी हो जाने वाली थी। उग्रसेन जी के दल को तो किसी टैक्स का उसूलन ही विरोध नहीं करना चाहिये। लेकिन उनके साथियों को सुनने से ऐसा लगता है कि न जाने उत्तर प्रदेश पर कौन सी आपत्ति आ गयी है, इन बिलों के आ जाने से। वैसे यह बिल केवल १० लाइन का है, इसमें कोई अधिक बोलने की बात नहीं है। चूंकि हम योजनाओं के लिये रिसोर्सेज तलाश कर रहे हैं, वार के लिये रिसोर्सेज तलाश कर रहे हैं, उसके अन्तर्गत ही हमने इसके द्वारा ५० लाख रुपया वसूल करने की बात तय की है। इन दोनों चीजों के लिये सरकार यह विधेयक बहुत सोच विचार कर लायी है। अतः इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, न जनता में इसको घुमाये जाने की आवश्यकता है। किसान तो सिनेमा देखता नहीं है। सिनेमा देखने वाले तो थोड़े से लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है और समय होता है। उनसे पैसा लेकर प्रदेश की आमदनी को बढ़ाया जा रहा है। इसमें कौन सी विरोध की बात है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

मान्यवर, यह बिल जो इस प्रदेश की सरकार ने पेश किया है उसका मैं दिल से समर्थन तो करता हूं लेकिन यह कहता हूं कि अगर इस वक्त यह न होता तो अच्छा था। खैर, जो मेरे दिल की बात है, वह तो मैं कहूंगा ही। पहली बात तो यह है कि "मृदुता मम कायरता जानत, अयूब यह देख और हठ ठानत"। अयूब जी हमारे शांति के नारे को देखकर और हठ ठानना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि आज साढ़े १२ बजे तक जो सीज फायर होने वाला था हो भी गया हो और हम लोग ५ अगस्त के स्थान पर हट कर चले जायं। मैं नहीं जानता कि आगे क्या हो लेकिन अगर सीज फायर हो जाने की बात सही है तब तो कोई बात ही नहीं है। इस पर हमको फिर से सोचना चाहिये। फिर भी यह विधेयक जो हमारी सुचेता जी ने पेश किया है उसका इस समय मैं विरोध तो नहीं करता हूं और न समर्थन ही करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि और जराये से कुछ रुपये पैसे मिल जाते तो उसे मैं उचित समझता। मैं भी चाहता हूं कि अपने देश की भलाई के लिये और उन्नति के लिये सरकार को ज्यादा से ज्यादा धन मिल सके और उसमें विरोधी दल तथा सरकारी पक्ष के सदस्य मिल कर सरकार को अपनी पूरी इम्दाद दें। यह जो उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट और बेटिंग टैक्स विधेयक आया है उसमें क्या है? इसमें यह कहा गया है कि सरकार यह चाहती है कि चौथे प्लान के लिये और देश में तमाम डेवेलपमेंट करने के लिये रुपये की बहुत जरूरत है। इस संकट के समय में जब कि चीन हमारे देश को हड़पना चाहता है, उसे हमको यह दिखला देना है कि आज का हिन्दुस्तान कुछ साल पहले का हिन्दुस्तान नहीं है, अब वह काफी होशियार और मजबूत हो गया है और वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीन को इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इस लड़ाई में हमारे और उनके भी काफी लोग मरे हैं लेकिन इससे हमको निराश नहीं होना चाहिये क्योंकि देश के ऊपर अपने को बलिदान करने के लिये हम सदैव तैयार रहें हैं और रहेंगे। आज हम चीन को दिखला देंगे और उसको सिखला देंगे कि हम क्या हैं। आज हमारी चीन और पाकिस्तान के साथ टक्कर है। यह बात सही है कि आज हमें अपने देश के लिये पैसे की जरूरत है और हम यह चाहते हैं कि हर शख्स दिलोजान से, तन मन धन से इस सरकार की पूरी मदद करे ताकि हम चीन और पाकिस्तान या और कोई भी तान हो उसे खाकिस्तान कर दें।

पाकिस्तान हमारे हिन्दुस्तान का ही एक अंग था और हमेशा रहा है लेकिन अंग्रेजों के जमाने में हिन्दू और मुसलमानों को अलग-अलग करने के विचार से देश का गलत बंटवारा करवा दिया गया लेकिन आज हम चाहते हैं कि वह बटवारा खत्म होकर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक होकर रहे और हिन्दू मुसलमान आजादी से रहें। यह जो लड़ाई चल रही है हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में यह समाप्त हो जाय और हम अंग्रेजों को एक बार नसीहत दे दें कि हम ने उसकी बंदरबांट की नीति समाप्त कर दी। हिन्दू और मुसलमान भाई मिलकर देश में रहें और इस चीन के महाज पर दोनों मिलकर लड़ें और उसको दिखा दें कि हिन्दू और मुसलमान देश की आजादी के लिये सिर चढ़ाने के लिये तैयार हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारे मुसलमान भाई जो इस देश में बसे हैं उनसे जो डर है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी फौजें अगर हारतीं होतीं तो यह बलवा करते लेकिन आज ईश्वर की असीम कृपा है कि हमारी फौजें आगे बढ़ीं हैं और जो मुफ्त टैंक अमरीकनों ने पाकिस्तान को दिये हैं उन को हमारे पंजाबी जवान अपने ग्रेनेट्स से सिर खोलकर इस तरह से उड़ाते हैं, चाहे हाथ कट जाय लेकिन पंजाबी जवान उन टैंकों को आगे बढ़ने नहीं देते, जब तक टैंक फूट नहीं जाता वह अपनी जान हथेली पर रखकर बराबर काम करते हैं। ऐसी हालत में आज सरकार यह टैक्स ही क्या और ज्यादा भी टैक्स लगाये तो हम देने को तैयार हैं। इन चन्द शब्दों के बाद मैं दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका देना चाहता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यबाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। आज जो एंटरटेनमेंट के संबंध में सदन में डिबेट चल रहा है, मैं उस का स्वागत करता हूं और वह इसलिये कि आज हमारा राष्ट्र एक असाधारण परिस्थिति से गुजर रहा है। इस समय सरकार का कर्त्तव्य है कि इमरजेंसी मीट करने के लिये जितने साधन जुटाये जा सकते हैं उनको जुटाना अनिवार्य है। मुझे सरकार से यह शिकायत नहीं है कि वह कर लगा रही है उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं लेकिन शिकायत यह है कि जो और अधिक कर जहां लगाया जा सकता है और जिन की शक्ति कर देने की है उन पर उचित टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। जितना उनको देना चाहिये और जो देश की असाधारण परिस्थिति की मांग है उस को देखते हुए हमारी सरकार का उस दिशा में प्रयास अधूरा है।

इस विधेयक के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि जो लोग सिनेमा जाते हैं उन को कुछ अधिक कर देना चाहिये और वह सरकार ने इस बिल के द्वारा आयद कर दिया है, वह टैक्स जनता को देना चाहिये, इस में कोई दो राय नहीं हैं। इस से जो लोग सिनेमा देखने जाते हैं उन को थोड़ा सा पैसा और अधिक देना पड़ेगा और वह देश की असाधारण परिस्थिति के अनुकूल होगा। दूसरे कोई बहुत बड़ा इजाफा इस में नहीं किया जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग इन सिनेमाओं को रन करते हैं और उनसे लाखों रुपया कमाते हैं, उन पर सरकार ने इस असाधारण परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये कौन-सा कर लगाया है। सरकार कहती है कि आयकर केंद्रीय सरकार लगाती है और उसके पास उसकी पावर नहीं है ताकि वह उन पर अधिक कर लगा सकें। लेकिन जिन्होंने दुनिया की लड़ाईयों के इतिहास को पढ़ा है और जो कौमें लड़ाई में जुट चुकी हैं और उन मुल्कों में जो कर वहां की जनता पर लगाये हैं उनके बारे में वह जानते होंगे। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार उसको

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

समझे कि हम कौन से जराये इस्तमाल कर सकते हैं और अधिक से अधिक कर ऐसी परिस्थिति में कहां से जमा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिनके पास कारें हैं और जो उनके पास दौलत है उसका असेसमेंट कर के हम उन पर वार टैक्स लगावें। मुझे खेद है कि हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि हम नहीं लगा सकते और हमें पावर नहीं है उनको टच करने की और वह कहते हैं कि १२ हजार से ऊपर की आय पर हम कर नहीं लगा सकते। मैं बताना चाहता हूं कि इस हाउस को पूरा अधिकार है कि वह उनके हिसाब किताब और हैसियत की जांच करायें, उनके जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, या जो सिनेमा के लाइसेंस होल्डर हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने का हमारी सरकार को पूरा पूरा अधिकार है और चूंकि उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है इसलिये मेरी सरकार से यह शिकायत है कि उन पर अवश्य टैक्स लगना चाहिये। जिसके पास जितनी बड़ी सम्पत्ति है, जिसकी जितनी आमदनी है उसको उसी प्रोपोर्शन में टैक्स देना चाहिये। जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपिल्स हैं उनकी कसौटी पर कस कर माननीय सदस्यों को यह बताना चाहिये था कि टैक्स जस्टीफायेबिल है या नहीं लेकिन इसका कोई जिक्र माननीय सदस्यों ने नहीं किया है। जो बातें तर्कसंगत नहीं हैं मैं समझता हूं उनका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि लड़ाई के संबंध में भी जबकि चीन का हमला हिन्दुस्तान पर हुआ, हमने देखा कि जितने भी छोटे छोटे आदमी हैं, उन्होंने दिल खोलकर धन दिया लेकिन जितने भी बड़े-बड़े आदमी हैं, उन्होंने यह समझकर कि उन्हें कोई मुसीबत नहीं है, नहीं दिया है। अगर हिन्दुस्तान आजाद न होता, यहां पर बैटिल ग्राउंड होता और एटम बम की लड़ाई होती तो देखते कि इन की तिजोरियां कहां पर रहतीं, कल कारखाने कहां रहते। जो लोग इतनी गैरजिम्मेदारी के बातें करते हैं, जो लोग ४० करोड़ जनता की रक्षा के लिए अपने धन और अपनी दौलत को नहीं लगा सकते हैं, जब कि मुल्क के गरीब लोग करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। मैं सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि यह टैक्स ईमानदारी के साथ लगना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि गरीबों पर जो टैक्स लग रहा है वह बेईमानी से लग रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिये।

यहां पर कहा गया कि हमारे सदन को बड़े-बड़े लोगों पर टैक्स लगाने का कोई अख्तियार नहीं है, मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि वे फाइनेंस के और टैक्सेशन के जो प्रिंसिपिल्स हैं, उनको समझें। यहां पर बड़े-बड़े जानकार लोग हैं, जिन्होंने फाइनेंस के प्रिंसिपिल्स को पढ़ा है, मुल्क के फाइनेंस को स्वयं देखा है, वे इस तरह की दलीलों को न दें। आपने किसानों के ऊपर और गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाया लेकिन जिनकी अरबों रुपये की सम्पत्ति है उन पर किसी रूप में आपने टैक्स नहीं लगाया है। यह तो असाधारण परिस्थिति का टैक्सेशन है। आपको कहना चाहिये कि असाधारण परिस्थिति का टैक्स होने के कारण आपको देना पड़ेगा। हमको कन्विंस करना चाहिये सरकार को कि इंसीडेंस आफ टैक्सेशन सब के ऊपर बराबर होगा। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति की इन्कम के मुताबिक, हर आदमी की आमदनी के मुताबिक उसे टैक्स देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जब बंटवारा खुदा के यहां से हुआ था तो सारे फाइनेंसेज की अक्ल चन्द व्यक्तियों को दी गयी, गैरों के पास दिमाग खाली है, यह समझ कर नहीं चलना चाहिये।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, आज इस बिल पर विवाद हो रहा है, माननीय मुख्य मंत्री ने हमारे पूरे प्रयास के बावजूद भी छोटी सी प्रार्थना विरोधी दल के नेताओं की नहीं मानी। कल यह कहा गया था सदन त्यागते समय कि माननीय मुख्य मंत्री अगर एक दिन का और विचार करें और विरोधी दल के नेताओं से बात करें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। यह कर वही देगा जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मनोरंजन करेगा, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य सिनेमा देखने न जाय तो उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आयेगी, इसलिये अगर टैक्स लग जाय तो कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन इतना अवश्य है कि इस कर का जो प्रभाव पड़ेगा वह उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो मध्यम वर्ग के हैं। आज इन चलचित्रों का महत्व और बढ़ गया है क्योंकि संकटकाल में बहुत से लोग जिन्होंने पहले ४,५ से ज्यादा चलचित्र नहीं देखे वे भी सीमा पर तैनात हमारे जवानों के कला कौशल की न्यूज रील देखने जाने लगे हैं। आज लोग हर सिनेमा इसीलिये जाते हैं कि देखें कोई नई न्यूज रील आयी है। तो जहां समाचार हमको पत्रों आदि से मिलते हैं वहां सिनेमा से भी देखने की लोगों में उत्कंठा होती है कि अपने जवानों की बहादुरी देखें। जहां एक ओर आज हम कहते हैं कि सिनेमा मनोरंजन देता है वहीं यह बात भी सही है कि चलचित्रों में हमारा देश दुनिया में दूसरे नम्बर पर है। इस उद्योग ने काफी तरक्की की है लेकिन इसमें कुछ लोगों की मनोपली है। हमारे प्रदेश में जितने सिनेमा घर हैं और जो उनके मालिक हैं उनके अलावा और किसी को सिनेमा नया खोलने की इजाजत नहीं दी जाती है, जब कि शहरों की आबादी पहले से काफी बढ़ गयी है। परिणाम यह होता है कि जहां ४ सिनेमा हाउसेज की आवश्यकता है वहां २ ही सिनेमा हाउसेज चले आ रहे हैं जिससे जनता को भी काफी परेशानी होती है। मैं चाहता हूं कि सिनेमा मालिकों की मनोपली को समाप्त करने के लिये सरकार को उचित कदम उठाने चाहिये। मैंने अपने यहां के जिलाधीश को बतलाया कि हमारे यहां पर एक सिनेमा है जो सिनेमा ऐक्ट के बिल्कुल विरुद्ध काम करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि यदि संबंधित मंत्री हमारी बात न सुनें तो फिर बहस का क्या लाभ है। हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाय।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

सिनेमा घरों पर अगर आप कर लगाते हैं तो आपको यह भी सोचना होगा कि वहां आपकी बहू बेटियां जाती हैं और हमको स्वयं उनके साथ जाना पड़ता है। हमारे यहां दो फिट चौड़ा दरवाजा है जिसमें से सब को निकलना पड़ता है और जो सिनेमा ऐक्ट के खिलाफ भी है। मैंने जिलाधीश से शिकायत भी की थी। उसमें काफी गुंडागर्दी होती थी। चलचित्रों को चलाया जाय, कर लगाया जाय लेकिन उन स्थानों पर सरकार के जो दायित्व हैं उनका सरकार को पूरे तौर से पालन करना चाहिये। फिर यह भी देखने की बात है कि स्टंट पिक्चर्स जो आते हैं उनमें बहुत कम लागत लगती है। उसके लिये प्रदेश में एक समिति बननी चाहिये कि प्रदेश में कितने चल चित्र एक वर्ष के अन्दर आये। नये चल-चित्र जब आते हैं तो सिनेमा मालिकों को उसमें मुनाफा कम मिलता है। २० से ३० प्रतिशत तक मिलता है। लेकिन जो पुराने चल चित्र आते हैं उनमें ज्यादा मुनाफा ७५ से ८५ प्रतिशत तक मिलता है। सही स्थिति का अवलोकन करने के लिये आप यह देखेंगे कि जहां सिनेमा मालिकों ने पैसा कमाया है जैसा कि कृष्णानन्द राय जी ने कहा वहां उनसे जनता में राजनीतिक, सामाजिक जागृति भी हुई है और ज्ञान में वृद्धि हुई है। सरकार को चाहिये कि वह एक समिति का निर्माण करे और वह समिति तय करे कि प्रदेश में कितने चल चित्र आते हैं और वह सिनेमा घरों पर टैक्स लगाने के बारे में विचार करे और वह प्रति चल चित्र टैक्स लगाये, प्रदेश में प्रवेश पाने के लिये १ हजार प्रति चलचित्र अथवा दो हजार प्रति चल चित्र जैसे भी वह उचित समझे। उससे भी हमारी आमदनी बढ़ेगी। लड़ाई के दौरान भी मनोरंजन की आवश्यकता रहती है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया तथा अन्य

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

मुल्कों में भी और पहले भी जब मानव सभ्य नहीं थे मनोरंजन की व्यवस्था लड़ाई के मोर्चे पर रहती थी। यह नहीं कि उनके हौंसले पस्त कर दिये जायं और रात-दिन मातमपुरसी होती रहे।

इस संबंध में नगरपालिकाओं तथा कारपोरेशन्स ने ५ रुपये अथवा १० रुपये प्रति शो के हिसाब से टैक्स लगाया है जिसे सरकार ने परमिट कर दिया और सिनेमा मालिकों ने हाई कोर्ट में रिट मूव किया है। जब ५ अथवा १० रुपया प्रति शो सिनेमा मालिक बरदाश्त करने को तैयार नहीं हैं तो जैसा कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि वे ३६ करोड़ के लगभग कमाते हैं इतना कमाने पर भी अपना मुनाफा देने को तैयार नहीं होंगे। जहां तक शराब की बात है वह भी इसी तरह की है जैसी कि सिनेमाओं की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सिनेमाओं की हालत अच्छी नहीं है। जो लोग कालेज में होने वाले प्रोग्राम को नहीं देख सकते हैं, जो लोग रवीन्द्रालय में बाहर के आये हुए लोगों के स्वागत में डांस नहीं देख सकते हैं और बाहर से जो आर्टिस्ट आते हैं उनका प्रोग्राम देखने के लिये जो लोग नहीं जा सकते हैं जैसे आपके रिक्शा चालक और मजदूर वगैरह नहीं जा सकते हैं वे लोग दस आने या बारह आने खर्च करके सिनेमा में जाकर फिल्म देख सकते हैं। अब हम यह तय करने जा रहे हैं कि १५ परसेंट और टैक्स लगाया जाय। मैं समझता हूं कि यह टैक्स बहुत वजनदार है क्योंकि इसमें जो छोटे लोग हैं वे ८० पैसे वाले क्लास में ही जाते हैं। जो लोग २ रुपये ८० पैसे वाले क्लास में जाते हैं वे कहने को भले ही कह दें कि हम ८० पैसे वाले क्लास में देखते हैं। लेकिन वे लोग इस क्लास में बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि उन को ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा।

जो सुझाव आये हैं उनकी ओर मंत्री जी को ध्यान रखना चाहिये जिससे हमारा प्रदेश आगे तरक्की कर सके। जब हमने सिनेमाओं के ऊपर टैक्स लगा रखा है तो सरकार का यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह देखे कि सिनेमाओं में कोई गड़बड़ी न हो। जैसे अभी एक माननीय सदस्य न बताया कि सिनमाओं म जितनी सीट्स होती हैं, गैदरिंग ज्यादा होने पर और कुर्सी डालकर सीट्स बढ़ा दी जाती हैं जिसकी परमीशन उनको नहीं है। इधर से हमारे इंसपेक्टर और सरकारी अधिकारी उदासीन रहते हैं। इसीलिये ज्यादा गड़बड़ी होती है। वहां पर सैनीटेशन और जनता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिये। पूर्वी इलाके बहुत उपेक्षित हैं यह मैं नहीं कहता, लेकिन यदि आप वहां जायं तो वहां के सिनेमाओं की हालत आपको अच्छी नहीं मिलेगी। वहां के सिनेमा घर अजीब तरह के छोटे छोटे हैं और एयर कंडीशन्ड भी नहीं हैं। साउन्ड भी अच्छी नहीं होती और आई साइट को भी अफेक्ट करती है और फिर भी रेट्स वही हैं जो यहां पर हैं। इसलिये सिनेमा ऐक्ट बना हुआ है उसको सख्ती के साथ एन्फोर्स किया जाय। जो एयर कंडीशन्ड न हों, जिनकी साउन्ड अच्छी न हो, जहां बैठने से आई साइट पर अफैक्ट पड़ता हो, जिनमें बैठने से एपीडेमिक फैलने का डर हो, जहां पर कानों की शक्ति कम होती हो, वहां उनकी हालत ठीक कराई जाय। जहां पर घिसी पिटी पुरानी मशीनें हैं उनको बदलवाया जाय। सरकार को रुपया मिल जाता है, इसके बाद वह नहीं देखती कि जनता के प्रति सरकार का और सिनेमा मालिकों का क्या दायित्व है? सिनेमा दर्शकों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि जहां आप टैक्स की बात करते हैं वहां सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखिये।

दूसरी बात यह कही जाती है कि समाजवाद उस समय तक नहीं पनप सकता जब तक जन-जन अपना योग नहीं देता। उस समय तक उसके दिल में देश के निर्माण की भावना नहीं होगी कि मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। इसलिये इनका बड़ा महत्व है। लेकिन इसके दुरुपयोग और सदुपयोग पर विचार करने का अधिकार जरूर होता है। यह कर जो हमारे सामने लाये गये हैं वह इमर्जेंसी से संबंधित नहीं है। पिछले दिनों में माननीय गुप्त जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक बिल पेश किया था आयात कर के नाम से। उन्होंने

लगान पर २५ प्रतिशत कर लगाया था इसलिये कि चीन का हमला हुआ था। डाक्टर जेड० ए० अहमद और दूसरे लोगों ने उसका समर्थन किया था। लेकिन आज जो नये कर आये हैं उनमें कोई लिमिट नहीं है वह परमानेंट कर रहेंगे चाहे लड़ाई भी खत्म हो जाय। माननीय अशोक मेहता जी इकोनामिक्स के बड़े दार्शनिक हैं। जब उन्होंने यहां पर तिलक हाल में सम्बोधन किया तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी परियोजनाओं को गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में पहुंचाना है। हमें बीमारी से लड़ना है, हमें गरीबी दूर करनी है, बेकारी दूर करनी है, उसके लिए कर लगाने होंगे। माननीय मेहता जी की बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। कौन नहीं चाहता बीमारी दूर हो, बेकारी दूर हो, माननीय पांडेय जी ने बताया कि इस प्रदेश में १६ लाख टी०बी० के मरीज हैं। इसके अलावा दूसरी बीमारियां और महामारियां हैं। अस्पतालों में दवा है तो डाक्टर नहीं है। उसके लिए टैक्स की आवश्यकता होगी। लेकिन प्रश्न है कि कैसे प्राथमिकता दी जाय। अस्पताल खोलने हैं तो कहां खोलने हैं। अगर बीमारी का विनाश किया जाय तो कौन-सी बीमारी का पहले विनाश किया जाय। जो इस प्रदेश का नतृत्व करते हैं वह तो सोचते हैं कि किसी तरह से रुपया मिल जाय। वह सर दर्द के लिए रिसर्च करवायेंगे लेकिन टी०बी० को राष्ट्रीय संकट नहीं मानेंगे क्योंकि टी० बी० मध्यम वर्ग के लोगों और मजदूरों में ज्यादा है और सर दर्द उनको होता है। टी० बी० इसलिए हो रही है क्योंकि खाद्यान्नों में मिलावट हो रही है। प्रश्न यह है कि टैक्स के पैसे से किस को प्राथमिकता मिले। लखनऊ और आगरा में हवाई जहाज के स्टेशन खुलेंगे। इससे साधारण जनता को क्या सुविधा मिलेगी? वह रुपया वेस्ट होगा। हवाई जहाज स्टेशन खोले गये तो उनका फायदा किसको मिलेगा, चन्द मुट्ठीभर इंसानों को। जिस तरह का विकास आवश्यक है, उस तरह की चीजें यदि हों तो योजनाओं से, परियोजनाओं से हमारा किसी का विरोध नहीं होगा। कांग्रेस सरकार जो बहुत त्याग-तपस्या का नारा लगाती है और जन-जन से त्याग करने के लिये कहती है उसके लोग विलासिता में डूबे हुये हैं। वे कारों में चलते हैं, उनके बच्चे अपने साथ कारों में कुत्तों को बिठाकर घूमते हैं, जबकि करोड़ों इंसान को भोजन नहीं मिलता है। ऐसी दशा में लगाये गये टैक्सों का विरोध किया जायेगा। जहां तक देश का ताल्लुक है, देश पर कोई आपत्ति आती है तो टैक्स तो मामूली बात है, लोग जान तक दे सकते हैं, लोग अपना स्वत्व तक मिटाने को तैयार हो सकते हैं और लोगों ने यह कर के भी दिखाया है, पिछले आक्रमण के समय में भी लोगों ने सर्वस्व त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया था। सवाल यहां पर यह है कि हम इन टैक्सों का कोई मौलिक विरोध नहीं करते हैं लेकिन जहां तक उसे प्रयोग करने का सवाल है हमारा उससे मौलिक विरोध है। जैसा कि अभी हमारे किसी माननीय सदस्य ने कहा जहां पर बेकारी होती है, भुखमरी होती और जहां पर नौकरशाही हावी हो जाती है, उस समय वहां पर झोपड़ियों में से इन्कलाब उठता है। और झोपड़ियों से उठा हुआ इन्कलाब आपकी नौकरशाही और पुलिस रोक नहीं सकती है। वह इन्कलाब जो दूसरे देशों में आया और यहां भी यही स्थिति रहेगी तो एक दिन अवश्य आयेगा। इस इन्कलाब से यदि आपको देश को बचाना है तो कम से कम ब्यूरोक्रेसी पर आप अवश्य कदम उठाइय, उसे सुधारिये। इन शब्दों के साथ में इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे आपको यह सूचना देना है, सरदार अमरसिंह सहगल, विधान मंडल समुदाय क तत्वावधान में विधान मंडल के सदस्यों को युद्ध के संबंध में आज सायंकाल ४ बजे तिलक हाल में सम्बोधित करेंगे। यह फ्रंट से आये हैं, यहां पर अपनी आंखों देखी बातें बतायेंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न कहना है, यह जो सूचना दी गयी है, यह पूरे एक पेज पर दी गयी है जब कि यह सूचना आधे ही पेज पर दी जा सकती थी। आधा कागज अपव्यय किया गया है, एमरजेंसी में आधा कागज बचाया जा सकता था।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि यहां पर मेरी अनुपस्थिति में दो सदस्यों के द्वारा मेरा नाम लिया गया है। मैं आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि काशीनाथ जी ने जिस तरह से मेरा नाम लिया है, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई और विरोध में बैठने वाले किसी दूसरे सदस्य से भी मेरी इस संबंध में बात चीत नहीं हुई थी, न मैंने यह बात कही, यह मेरे बारे में मेरा नाम लेकर बिलकुल असत्य बात कही गयी है। मैं दूसरे कांग्रेसी सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि गलत फहमी मुझे है या उन्हें है, इसे देख लिया जाय, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। उन्हें मेरे सम्बन्ध में मेरी अनुपस्थिति में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी। क्षेत्र म चलें और देखें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

यह जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है और उसके ऊपर जो संशोधन पेश किया गया है, उसके पक्ष में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं दो तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि देश पर बड़ा संकट है और देश के जवान जो आज मोर्चे पर लड़ रहे हैं उनके दिमागों को बल प्रदान करने के लिये हमें अपने मन को, अपने राजनीतिक मन को भी उतना ही मजबूत और हौंसले वाला बनाना होगा। यह तभी हो सकता है जब हम अपने मनसा-वाचा-कर्मणा से वैसा ही व्यवहार करें और उसी के अनुसार कदम आगे को बढ़ायें। यह सही है कि संकटकालीन स्थिति है और आज से नहीं है, चीन के हमले से है, आगे कब तक यह रहेगी, यह कहना कठिन है। अभी हमने सुना कि पाकिस्तान ने भी सीज फायर मान लिया है। 'बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरये खूं न निकला'। खैर, चीन कहता था कि तीन दिन के बाद परिणाम भुगतने पड़ेंगे लेकिन आज चीन ने कह दिया कि हिन्दुस्तान हमारी तरफ तम्बू उखाड़कर भाग गया तो यह राजनीतिक दांवपेंच तो चलता रहेगा, जिन्दगी के ये मेले हरगिज कम न होंगे। सवाल यह है कि आपकी तहजीब, आपके तमद्दुन, आपके रहन-सहन में क्या असर पड़ा और जिसके लिये आपको टैक्स लाना पड़ा। मैं काशीनाथ जी की राय से बिलकुल सहमत हूं कि दिन भर की थकान के बाद खेलकूद होना चाहिये और हमारे शान्तिप्रपन्न जी ने १३ लाख खर्च करके रवीन्द्रालय बनवा दिया उसके लिये हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप थके मांदे लोगों को जबरदस्ती ले जाते हैं और दिखलाते हैं और इसके लिये आप इक्केवाले, फुटपाथ पर बैठने वाले सब पर ७५ फीसदी धमक दिया। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते।

अगर देश के लिये रुपये की जरूरत है हम तैयार हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि आज जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, क्या इनके दिल में अहसास हुआ है कि देश में इमरजेंसी है। माननीय कैलाश प्रकाश जी गुलावटी, जिला बरेली के जो माननीय जगदीश शरण जी आपके क्षेत्र में गये हैं और वहां उनका स्वागत बाजे बजा-बजा कर किया गया। एक ओर मोर्चे पर जवान मर रहा है दूसरी ओर यह हमारे मंत्री, यह हमारे कांग्रेस के महान् कार्यकर्त्ता हैं! मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा, हमें खुशी होगी कि आपसी मेल जोल बढ़ाने के लिये वे घोषणा करें और पांच आदमियों, माननीय हुकुमसिंह विसेन, माननीय बनारसीदास, माननीय कमलापति त्रिपाठी और माननीय गिरधारीलाल को लेकर एक कमेटी बना लें, हमारे नेगी साहब को भी इसमें रख लें तो एतराज नहीं होगा, तो इस देश और प्रदेश का कितना बड़ा कल्याण होगा। एटली साहब ने हमसे रंगून में कहा था कि उनके पास एक टुटी कार थी और उसी पर उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हमारे मंत्री आज भी जब दौरे पर जाते हैं तो १८, १८ कारें उनके पीछे चलती हैं लेकिन मैं आज कहता हूं कि मैं कभी इस तरह से देखूंगा तो अब उन्हीं कारों के आगे लेट जाऊंगा और चाहूंगा कि वह कारें उग्रसेन के सीने पर से निकल जायं। लोग कहते हैं कि छोटी-छोटी बातों में मत पड़ो लेकिन राष्ट्र के जीवन में छोटी-छोटी बातों का ही बहुत बड़ा असर होता है। अमर शहीद बापू का चित्र हमारे सामने है। वह छोटी-सी छोटी बात की भी कितनी परवाह रखते थे। लेकिन आज, आज यह देखिये तीन लाइन की सूचना, एक पृष्ठ पूरा कागज बरबाद। अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं ऐसे आफिसर को मुअत्तल कर देता। आप

कहेंगे कि आपकी हुकूमत नहीं होगी । ठीक है, आगे क्या बात होगी कौन जानता है लेकिन इतना कह सकता हूं कि इन छोटी-छोटी बातों पर रोक लगाना आवश्यक है । माननीय नवलकिशोर जी प्राक्कलन समिति में थे इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी कि आफिसर लोग जब दौरे में जायं तो शीतताप नियंत्रित डिब्बे में यात्रा न करें । तो दास साहब के पहले जो मुख्य सचिव थे उन्होंने लिखा था कि सचिव लोग दिन भर के थके मांदे होते हैं और अगर वे रातभर गहरी निद्रा में नहीं सोयेंगे तो फिर दूसरे दिन कार्य करने में असमर्थ होंगे । ऐसा कह कर उन्होंने अपना शीतताप नियंत्रित डिब्बे में दौरा नहीं छोड़ा ।

आज कहते हैं कि इमरजेंसी है तुम सिनेमा का टैक्स दो । अगर टैक्स लेकर आप शीतताप नियंत्रित डिब्बे में चलेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं । हम तो यह समझते हैं कि आज देश को सैनिकों के लिये अस्पताल बनाने की जरूरत है । आप इस दारुलशफा को सैनिक अस्पताल क्यों नहीं बना देते । दिल्ली में जो अग्रिम मोर्चे से आये हुए घायल सैनिक हैं उनको यहां पर रखिये । हमको झोपड़ी दे दीजिये । हमारे पास तो रहने के लिये भी खपरैल का मकान है । तो हम झोपड़ी में जाकर भी रह सकते है लेकिन घायल लोगों के लिये इसको अस्पताल बना दीजिए । इसी तरह से एक हजार से अधिक जो लोग पाते हैं उनके वेतन को कम कर दीजिए । हम तो यह कहते हैं कि आप सिनेमा का भी राष्ट्रीयकरण कर दीजिए । इससे जनता के पास पैसा आयेगा । वैसे तो जो पैसा आपके पास आता है उसको भी पृथ्वीराज कपूर और वैजन्तीमाला ले जाते हैं तो उसका भी उतना उपयोग नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिये । इस तरह के आप सुधार कीजिए तो आपको अधिक पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी । लोगों के पास जो बैंक में है उसमें १० हजार उनके पास छोड़कर उनका सारा धन ले लीजिए । हमारा विरोध केवल इस आधार पर है कि आप देश की सुरक्षा के नाम पर यहां पैसा मांगते हैं लेकिन हम यह कहते हैं कि देश की सुरक्षा का यह तरीका नहीं है । यह तरीका तो कांग्रेस की गद्दी की सुरक्षा का है । अगर सरकार अपने स्वार्थ में इस प्रकार से पैसा खर्च करेगी तो हम उसका विरोध करते रहेंगे । अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हम अपने सिद्धान्तों से गिर जायंगे । एक महीने से अधिक युद्ध को हो गया लेकिन हम देखते हैं कि सेक्रेटेरिएट के काम-काज में कोई फर्क हमको दिखाई नहीं देता है । उसी तरह से गुलाब के फूल को ४, ४ दफा पानी दिया जाता है । हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है । हमारे यहां गरीब को पेट भर रोटी भी नहीं मिलती है । इनके यहां इस तरह से पैसा खर्च किया जाता है । एक टैक्स यह बढ़ाया जा रहा है । इसी तरह से और टैक्स भी लगाये जा रहे हैं । यह सब पैसा आप योजनाओं के नाम पर मांगते हैं । मगर योजनाओं में क्या होता है । इस तरह की योजनाओं को आप बनाकर राष्ट्र का नाश कर रहे हैं । अगर राष्ट्र को बचाना है तो योजनाओं के लिये जो आपने यह बड़ी बड़ी पोथियां बनाई हुई हैं इन सबको जलाना पड़ेगा । क्या नतीजा इन योजनाओं का हुआ है ।

मैं अपने जिले देवरिया की बात जानता हूं । वहां पर प्रति व्यक्ति आमदनी २ १/२ आना पड़ती है । योजनायें बनती हैं यह सब रुपया कहां जाता है । यह सब पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है । आप जानते हैं कि बिड़ला की रोजाना कितनी आमदनी है ? बिड़ला की आमदनी आज ३ लाख रुपया रोजाना है । जिसकी पहले हैसियत ५० करोड़ थी आज उसकी हैसियत ५०० करोड़ की हो गई है । उनके लिये सरकार का कानून नहीं है । सरदार मजीठिया १० हजार एकड़ का फार्म जोतता है । १० हजार एकड़ का फार्म जोगेन्द्र सिंह जोतता है मगर उनके लिये सरकार का कोई कानून नहीं है । गरीब को खाने के लिये भी जमीन नहीं मिलती है । यह न समझा जाय कि मैं देशद्रोही हूं । मैं देशद्रोही नहीं हूं लेकिन यह कहने का समय है इसलिये मैं यह सब बातें कह रहा हूं । मुझे अपने देश से प्रेम है । मैं इस बात को जानता हूं कि अगर यह हमारा देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे इसलिये आप कुर्बानी कीजिये । आप बड़े भाई हैं, आप हुकूमत में हैं अगर उग्रसेन सिनेमा देखने जाता है तो कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन अगर हुकुमसिंह विसेन जी सिनेमा चले जायं तो हर कोई कहेगा । आप की हैसियत दूसरी है । अभी मैं एक मरीज दिखाने गया डाक्टर के यहां । वहां मैंने बहुत से पोस्टर

[श्री उग्रसेन]

अंग्रेजी में देखें । मैं कहे देता हूं कि देश में जो अंग्रेजी चलायेगा वह मुल्क को गुलाम बनायेगा । इस में एक पोस्टर मे लिखा था कि पेट्रोल ज्यादा खर्च करना एक देशद्रोह है । लेकिन जब मंत्री लोग दौरे पर जाते हैं तो कहते हैं कि हम सुरक्षा की जांच कर रहे हैं । हमारे यहां बी० डी० ओ० ठाकुर है और वह इसके लिये पोस्टर बांटा करता है । क्या इस तरह से देश की रक्षा होगी ? पहले उग्रसेन और मुख्य मंत्री आगे चलें, तब उसके बाद मुल्क के लोग उसका अनुकरण करेंगे, अपना खून देंगे । हमारे छोटे-छोटे बच्चे तोपों के मुंह में घुस गये हैं । मैं अभी हमीद का हाल पढ़ रहा था, मेरा दिल उमड़ आया । उसने दो दो टैंक बरबाद कर दिये, तीसरे पर चढ़ना चाहता था, तभी गोला लगा और वह मर गया । तो हमने पैसा दिया है, उसे आप बचाइये, कायदे से खर्च करिये । जरूरत होगी तो आपको मरीजों की दवा भी करनी पड़ेगी । अगर आप पी० ए०सी० भेज रहे हैं, तो उसके लिये भी आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा । हमको एतराज यह है कि टेक्सेशन इनक्वायरी कमेटी की रपट के खिलाफ आप टैक्स ले रहे हैं । पहले आप पदमपत सिंहानिया, रामरतन गुप्ता आदि पर टैक्स लगाइये, इसलिये नहीं कि वे बड़े हैं और हम छोटे हैं, बल्कि इसलिये कि उन के पास काफी ज्यादा रुपया है । हमारे पास दो कट्ठा जमीन है उसे भी आप लेना चाहते हैं । उन के पास २५ फैक्टरियां है, लेकिन आज भी उन की आमदनी पर सीलिंग नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि आप जो टैक्स लगा रहे हैं उनके लिये आप फिर सोचिये । गरीबों को छोड़िये, पांच आदमियों का मंत्रिमंडल बनाइये, कलक्टरों की तनख्वाह कम कीजिये । उन को सौ रुपया दीजिये, हम भी २५ रुपया लेने के लिये तैयार हैं । आपने तो ४७ कोठियां बना ली है, बैंक बैलेंस रख छोड़ा है, हमारे पास तो केवल पांच ही रुपया है वह भी आप लेना चाहते हैं । इसकी सरकार को स्वतः अनभूति होनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि गरीबों पर टैक्स लगाया न जाय और केवल उन पर टैक्स लगाया जाय जिन के पास करोड़ों रुपया है । मैं कहता हूं कि अगर बड़े आदमी जलूस निकालगे तो उसका हम मुकाबला करग । आप उन को कानून से मार दीजिय । उनका बैंक बलस जब्त कर लीजिये । सुभाषचन्द्र बोस ने नारा दिया था कि आप का बैंक बैलेंस कितना है वहीं हम को चाहिये । सुचेता जी सर्कुलर निकालें और पूंजीपतियों के बैंक के पास बुक मांग लें । आप देखें कि इस से कितना मिल जाता है । इतना ही मैं कहना चाहता था ।

श्री रक्षपालसिंह--

अधिष्ठाता जी, इस बिल पर आज सबेरे से इस सदन में चर्चा हुई और जब इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा गया तो उस प्रस्ताव पर अनेक प्रकार की धारणायें व्यक्त की गयीं । मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जनसंघ सिनमा देखने वालों पर टैक्स न लगे इस पक्ष में नहीं है । जनसंघ चाहता है कि इस प्रकार का टैक्स लगाया जाय और अगर यह विधेयक पास होता है तो कोई आपत्ति की बात नहीं है । जनसंघ ने दो संशोधन भी दिये । प्रवर समिति के संशोधन पर जैसा अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि हम सिद्धान्त को मानते हैं, यह सही है । अगर न मानते होते तो प्रवर समिति का संशोधन देकर जनमत संग्रह का संशोधन देते । इस क साथ ही अगर इस कर में कुछ वृद्धि भी हो जाय तो भी कोई आपत्ति की बात नहीं है । हमने तो ७५ प्रतिशत के बजाय १०० प्रतिशत का संशोधन दिया था । लेकिन दुख यह है कि इस में टेक्निकल और कांस्टीट्शनल आब्जेक्शन कर के अध्यक्ष महोदय ने उनको अस्वीकार कर दिया । आज की स्थिति में भले ही कहीं कुछ भी असर पड़ा हो, लेकिन सिनेमा देखने वालों की संख्या घटी नहीं है, उस में कुछ वृद्धि ही हुई है और उस पर सरकार को कुछ अधिक ही टैक्स मिला है । हमारा जो दूसरा संशोधन था वह यह कि उद्देश्य और कारण में हम ने यह मांग की थी कि यह घोषणा होनी चाहिये कि यह सारा का सारा पैसा युद्ध प्रयासों के लिये ही खर्च होगा और दूसरे कामों में खर्च नहीं होगा । योजना का शब्द इस में लाया गया है । वैसे तो नवल किशोर जी ने योजना के संबंध में काफी बात साफ कर दी और कहा भी कि हम कटौती करेंगे और योजना में परिवर्तन करने की बात भी उन्होंने कही, लेकिन आज की योजना तो ऐसी है कि जिस में बेकारी, महंगाई

और असुरक्षा तथा असमानता ही बढ़ी है। इस योजना का हमें आंख मूंद कर समर्थन नहीं करना चाहिये। हम को इस में परिवर्तन लाने के लिये विचार करना होगा और इसके लिये हमने आन्दोलन भी चलाया है। इस का आंख मूंद कर तो केवल कोटे परमिट वाले सदस्य ही समर्थन करेंगे। इस योजना में परिवर्तन लाने के लिये हमने समय समय पर सुझाव भी दिये हैं। योजना के नाम पर आपने साधू समाज, भारत सेवक समाज, महिला मंगल समाज आदि चलाये हैं। इनको जो संरक्षण दिया गया है, उसमें कटौती होनी चाहिये।

हमारे मिश्र जी ने कहा कि सिंचाई के लिये और दिया जाना चाहिये। मैं उसके लिये मना नहीं करता, उस के लिये आप पैसा लें, लेकिन यह घोषणा होनी चाहिये कि हमारा यह पसा युद्ध प्रयासों में ही खर्च होगा, सड़कें बनाने में खर्च होगा, दूसरे कामों में खर्च करना इसे ठीक नहीं है। मैं सोचता हूं कि योजना बदलने के बारे में चर्चा हो भी सकेगी या नहीं। उसके लिये कोई प्रयास नहीं है। योजना के नाम पर तरह तरह के टैक्स लगा लेना उचित नहीं है। अगर हम योजना में पी० ए० सी० की भर्ती तथा पंचमांगियों को समाप्त करने के लिये रुपया खर्च करें तो वह ठीक है लेकिन उसका स्पष्ट उल्लेख उद्देश्य और कारणों में होना चाहिये। चौथी योजना के नाम पर जो सन् ६६ में लागू होगी अभी अक्तूबर से ही टैक्स लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसे आप युद्ध प्रयासों में कैसे खर्च करेंगे यह भी विचारणीय है। वैसे युद्ध प्रयासों के लिये कोई भी टक्स हो, उसमें आपत्ति नहीं है और मैं तो समझता हूं कि इसे सीधे-सीधे दो रुपये कर दिया जाता तो ीक होता। अगर यह प्रवर समिति में जाता तो इस बात पर विचार हो सकता था। दूसरे सिनेमा घरों पर यह भी आदेश लागू किया जा सकता है कि युद्ध प्रयासों संबंधी तथा एजूकेशनल फिल्में उनको फ्री दिखानी पड़ेंगी और उन पर कोई कर नहीं लगेगा। परन्तु ऐसा संशोधन स्वीकार नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वैसे तो अध्यक्ष महोदय को उसे मानना चाहिये था। वहां से खारिज होकर आता तो प्रस्ताव न रखा जाता। लेकिन मैं यह कहता हूं कि युद्ध प्रयास के लिए हमारा सारा प्रयास होना चाहिये। हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु यदि ऐसे विवादास्पद विषय जिनमें हमारी आशंका है जबतक उनमें हमारा समर्थन नहीं है, हम विरोध करने की स्थिति में हैं।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन और सदस्यों का कृतज्ञ हूं, जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया। हमारा जो टैक्स का विजनेस था उसका किसी ने विरोध तो किया नहीं। विरोध केवल इस बात का किया कि जो रुपया खर्च होता है, यह योजना की बात नहीं होनी चाहिए। कृष्णानन्द जी को गलतफहमी थी कि ३० या ३५ करोड़ रुपया सिनेमा मालिक कमा लत है। ऐसी बात नहीं है। हमारी इस टैक्स से आमदनी है वह २,७५ लाख है। इसमें सिनेमा के अलावा और भी टैक्सेज हैं और यह ६० फीसदी है। ज्यादा से ज्यादा ३–सवा तीन करोड़ रुपया सिनेमा मालिकों की आमदनी है जिसमें उनके खर्चे भी हैं मकान जिसमें सिनेमा होता है और पिक्सर्स जो मंगाते है। मैं मसझता हूं कि उन्होंने अपनी गलती महसूस कर ली होगी। फिर भी जी आमदानी है उसपर उन्हें इनकम टैक्स देना पड़ता है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैंने आल इंडिया फिगर्स दिये थे।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहांतक भगवानदास जी ने कहा कि सिनेमा में नियमों का पालन नहीं होता है। वह बात सही है और हमारे देखन की है। अगर रास्ता कम है, सीट अच्छी नहीं हैं तो सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट में जो रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार यह देखने का हमारा काम है। जितनी शिकायतें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

बतायी गयीं उनके लिए हम कोशिश करेंगे जांच करने की । एतराज सिर्फ यह है कि योजना में यह रुपया नहीं लगना चाहिए । लेकिन मैं आपको बताऊं कि रोज बिजली का सवाल होता है । १५ रोज से जबसे यह काम शुरू हुआ चारों तरफ से मांग है कि बिजली तो बन्द नहीं करनी चाहिए । लेकिन ३२ करोड़ रुपया जो बजट में है उसके अतिरिक्त रुपया बजट से ज्यादा हमने योजना में खर्च किया है, लेकिन फिर भी उससे भी मांग बहुत ज्यादा है । तो हमारी फैक्टरीज के लिए, आर्डिनेंस फैक्टरी के लिए भी बिजली चाहिए । लेकिन अगर योजना न होती तो क्या होता ? नहर है, ट्यूबैल है, खेती है यह सब कैसे काम पूरा होगा अगर योजना नहीं होगी । यहां तक कह दिया कि भारत सरकार की योजना भी किसी काम की नहीं है । लेकिन अगर भारत सरकार की योजना न होती तो लोहे के बड़े कारखाने कहां से तैयार होते ? यह जो हमारा नेट हवाई-जहाज है वह कैसे तैयार होता ? हमने किसी से हवाई जहाज, टैंक नहीं मांगे । सब अपने ही कारखाने में बने हैं । अगर इस योजना की बात न होती तो लड़ाई कैसे लड़ी जाती । योजना के लिये हमने रुपये मांगा है, योजना हमारे देश के लिये बहुत जरूरी है । बिना योजना के हमारी कोई तरक्की हो नहीं सकती थी । ४ थी योजना हमने बनायी है । उसके लिये रुपये जुटाना होगा । जहां तक डिफेन्स का ताल्लुक है, हमारे प्लांनिग कमीशन ने यह भी कह दिया है कि अगर कोई खर्चा उधर बढ़ेगा तो हम हर चीज को बन्द करके पहले उस काम को करेंगे । खाद्य की जो स्थिति आज है, उसके लिये योजना बहुत जरूरी है । आज बिजली की आवश्यकता है । सबसे ज्यादा रुपया उसके लिये चाहिये । नहरों के लिये चाहिये और चीजों के लिये चाहिये । जो लोग इन्टरटेनमेंट के लिये जाते हैं उन्हीं पर तो यह टैक्स होगा । जिसके पास पैसा रहेगा वही तो एंटरटेनमेंट के लिये जायेगा । हर एक तो जायेगा नहीं । आपकी मर्जी हो तो जाइये, नहीं तो न जाइये । सरकार को यह भी अधिकार है कि अगर कोई एन्टरटेनमेंट ऐसा है जिस पर कि टैक्स नहीं लगना चाहिये, जिसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, तो सरकार उसे माफ भी कर सकती है । इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप योजना से घबरायें नहीं । अगर यह योजना न बनी होती तो आज हम बहुत पीछे होते । योजना से पहले २११ गांव में बिजली थी, १५०० गांव में बिजली देने का हमारा लक्ष्य था और हमने ४५०० गांव में बिजली दी ।

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने बिजली के रेट की बात कही । रोज रोज उस पर यहां सवाल भी किये जाते है । इसके रेट अलग-अलग हैं । अगर कोई कान्टीन्यू असली बिजली को इस्तेमाल करता है तो उसके रेट अलग होते है । जो प्राइवेट ट्यूबेल्स हैं वे केवल ८ प्रतिशत बिजली का इस्तेमाल करते हैं , ९२ प्रतिशत बिजली बेकार जाती है । जब तक व ९२ प्रतिशत बिजली को इस्तेमाल और नहीं करते, तब तक इस ८ फीसदी में ही हमको उस ९२ फीसदी को शामिल करना होगा । जब तक ऐसा नहीं करेंगे काम चलने वाला नहीं है ।

आपने बिड़ला की एल्म्यूनियम की बात भी कही । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी स्टेट में और कोई मैटिल पैदा नहीं होता । एल्म्यूनियम ही एक ऐसा मैटिल है जो अधिक पैदा होता है और आगे चल कर यह काफी सहायक होगा । जिस तरह से पहले गंगा नहर निकाली गयी थी और उस वक्त एतराज हुआ था, लेकिन आज उससे जो लाभ मिला है वह हम सब जानते हैं । उत्तर प्रदेश में कम से कम उसने ऐसा काम किया है कि हम आज जिन्दा हैं । तो आने वाला समय यह बतायेगा कि एल्म्यूनियम का जो कारखाना है, वह ऐसा कारखाना है, जिससे उत्तर प्रदेश क्या, देश में जो मेटल था, उन्हें मिलने वाला नहीं । उसका बड़ा भारी काम हुआ । जहां तक बिजली के रेट की बात है, वह डिटेल की बात है । अगर आप अलग से बात करेंगे तो मैं समझा दूंगा । इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि जो जनता में घुमाने वाला प्रस्ताव है उसको वापिस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास करें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि योजना से जो बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें बिजली की किसानों के लिये क्या दर निर्धारित है और बड़े-बड़े उद्योग धन्धों के लिये क्या निर्धारित है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारे जो रेट हैं वह छपे हुये हैं उसमें अगर आप देखेंगे सिंचाई के लिये जो रेट्स हैं वह १३ पैसे हैं, एक पैसे रिबेट है। अगल-अलग चीज के लिये अलग-अलग हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

महाजनों से आप क्या लेते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने आपसे बताया टू वे टैरिफ है। टू वे टैरिफ से कम नहीं मिल सकेगा। रेट तो कन्जम्पशन पर पड़ेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप किसान से १२ पैसे और महाजन से ५ पैसे लेते हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्यगण रोज नहर और बिजली की बात करते हैं, पर उसके लिये पैसा चाहिये। अब माननीय मंत्री जी की शिकायत दूर हो रही है क्योंकि उनको तो पैसा मिल गया है। क्या अब वे अपनी शिकायत दूर होने पर माननीय सदस्यों की भी शिकायत को दूर करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेन्ट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—यू० पी० एन्टरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्— यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७ का संशोधन

"(१) किसी आमोद के सभी प्रवेश शुल्कों पर एक कर (जिसे आगे आमोद कर कहा गया है) ऐसी दर से लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा, जो प्रवेश शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगी और जिसे राज्य सरकार समय-समय पर तदर्थ विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करेगी, और वह कर मालिक द्वारा वसूल किया जायगा और उसका भुगतान सरकार को नियत रीति से किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेंट्स ऐन्ड बेटिंग टक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५

य० पी० एन्टरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ का आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त और संशोधन करने के लिये — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेन्ट्स एंड बर्टिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय ।

श्री मैनेजरसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दे दें दो मिनट का । इस विधेयक पर विचार के समय कई माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और कांग्रेस पक्ष के दो–एक माननीय सदस्यों ने भी शिकायत की कि यह बिल भी वैसा ही है जो आम लोगों के ऊपर मार करता है और बड़े लोग छोड़ दिये जाते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, गत तीन वर्षों से इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत विधेयक पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया । जितने धन विधेयक यहां पर प्रस्तुत हुये उनमें देखा कि प्रत्येक ऐसे विधेयक का भार आम जनता पर ही दिया गया । मुझे यह देखकर कुछ थोड़ा सन्तोष हुआ कि प्रस्तुत विधेयक की व्यवस्था के अन्तर्गत आमोद प्रमोद टैक्स का बोझ अनुपाततः धनी और गरीब लोगों पर पड़ने वाला है । परन्तु मैं देखता हूं कि जो ढाई रुपये का टिकट खरीदने वाले हैं उन पर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि वे बीस पैसा देंगे । जो थर्ड क्लास के हैं उनको लगभग पन्द्रह पैसे देना होगा । मैं देखता हूं कि पिछले तीन साल में यह प्रथम विधेयक है जिसका बोझ अनुपाततः धनी व गरीब लोगों पर पड़ा है । मैं समझ नहीं पाया कि जो प्रतिपक्षी लोग हैं और विशेषकर सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट विचारों को मानने वाले हैं ऐसे लोग आमोद प्रमोद के टैक्स का कैसे विरोध करते हैं । माननीय विरोधी दल के नेता और स्वतंत्र पार्टी के नेता तथा उनके साथी और उनके विचारों को मानने वाले हैं उनकी भावनाओं को मैं समझता हूं, उनका विरोध करना स्वाभाविक है । लेकिन.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय मैनेजर सिंह समझ नहीं पाये ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

माननीय मैनेजर सिंह गलत समझे हैं, हम तो उसको सौ प्रतिशत बढ़ाना चाहते थे ।

श्री उग्रसेन—

माननीय मैनेजर सिंह अपनी व्यक्तिगत बात कह रहें हैं । क्या समाजवादी दृष्टिकोण है, इसको हम लोग पार्टी मे बात कर लेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं नहीं समझता कि समाजवादी दृष्टिकोण माननीय श्री सम्भली के कुछ और हैं, क्योंकि मैं भी उसी पार्टी का सदस्य हूं और माननीय उग्रसेन जी भी उसी पार्टी के सदस्य हैं । मैं नहीं मानता कि समाजवादी दृष्टिकोण मेरा अलग होगा उनका अलग होगा । समाजवादी दृष्टिकोण तो एक ही होगा और जो समाजावदी उस पक्ष में होंगे उनका भी वही दृष्टिकोण होना चाहिये । मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि सिनेमा के शौकीन लोग विधेयक की खिलाफत सीधे करने की जुर्रत नहीं की तो घुमा-फिराकर इसकी मुखालिफत की है । मैं समझता हूं कि इसकी मुख़ाफिलत नहीं होनी चाहिये थी । मैं तो समझता हूं कि यह उचित होता कि इसी अनुपात मे सिनेमा के मालिकों पर भी टैक्स लगा दिया गया होता । आपने कहा कि सिनेमा के मालिकों पर भी टैक्स हैं । मैं मानता हूं कि वे टैक्स देते हैं, लेकिन आज की स्थिति में जबकि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के लिये धन चाहिये तो जिस अनुपात में सिनेमा के दर्शकों पर आपने टैक्स बढ़ाया है उसी अनुपात में आप सिनेमा के मालिकों पर भी टैक्स बढ़ावें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एंटरटेनमेन्ट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के खिलाड़ियों को आर्थिक अथवा अन्य सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न के उत्तर के संबंध में जो चर्चा आरम्भ करना चाहता हूं वह एक बहुत ही जबरदस्त मसले की तरफ ध्यान आकर्षित करता है । जैसा कि आपको ज्ञात है हमारे खिलाड़ी हमारे प्रदेश के ही नहीं बल्कि हमारे देश की इज्जत और शान हैं और जिस समय वे खेल के मैदान में उतरते हैं उस समय उनके साथ लाखों और करोड़ों लोगों की भावनायें होती हैं । उनकी जीत और हार हमारी जीत और हार होती है । उससे हमारे देश और प्रदेश की इज्जत ऊंची होती है । लेकिन मैंने जो सवाल किया था उससे उत्तर से मुझे यह पता चला कि हमारे प्रदेश के अच्छे-अच्छे खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के खेलकूद परिषद् ने छात्रवृत्ति और अनुदान वगैरह इस किस्म की चीजें दीं जिसके परिणामस्वरूप उनका जो स्टेट्स है वह प्रोफेशनल के रूप में हो गया । उसका नतीजा यह होगा कि किसी भी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वे भाग नहीं ले सकते क्योंकि जो इंटरनेशनल ओलेम्पिक फेडरेशन का नियम २६ है उसमें साफ तौर से बताया गया है कि कोई खिलाड़ी अगर किसी तरह से सरकार से या किसी तालीमी संस्था से या किसी व्यापारिक संस्था से कोई अनुदान या छात्रवृत्ति लेता है तो वह प्रोफेशनल हो जाता है । जब कि इन्टरनेशनल ओलंपिक के उद्देश्य यह हैं कि खेलों की तरक्की एमेच्योरिज्म के सिद्धान्तों के अनुसार होनी चाहिये । मैंने एक सवाल इस सिलसिले में किया और पता लगाने पर मालूम हुआ कि जो इसके आनरेरी डायरेक्टर हैं वे किसी वक्त तकिये की लड़ाई खेले थे और उसके अन्दर उनको इनाम मिला था । श्रीमन्, आपने भी कभी तकिये की लड़ाई शायद खेली हो या सुनी हो, लेकिन मेरा खयाल है कि न खेली होगी न सुनी होगी । जो अच्छे-अच्छे खिलाड़ी हैं उनको इस पद पर मौका दिया जाना चाहिये था ताकि खिलाड़ी की भावना को जानकर अच्छे-अच्छे खिलाड़ियों को तरक्की दे सकते । लेकिन वहां ऐसे आदमी को रख दिया गया है जिसके मुताल्लिक मैं पूर्णरूप से कह सकता हूं कि वह न कभी खिलाड़ी रहा और न है और उसको इस संस्था का आनरेरी डायरेक्टर बना दिया गया है । हो सकता है तमाम यू० पी० के खिलाड़ियों में इसके विरुद्ध बेचैनी हो । उनकी नासमझी और नातजुर्बेकारी का नतीजा यह हुआ, और यह इस कारण से हुआ है कि उन्होंने ओलम्पिक फेडरेशन के रूल्स को न कभी पढ़ने और न कभी समझने की कोशिश की । जिससे हमारे यहां के अच्छे-अच्छे खिलाड़ी अमेच्योर नहीं रहे । अगर वे आज किसी खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं और वहां यह पता चल जाता है कि वे अनुदान अथवा छात्रवृत्ति के रूप में सरकार से कुछ पाते रहे हैं तो वह निकाल दिये जाते हैं । वैसे मोरली न उनको जाना चाहिये और हमें उनको भेजना ही चाहिये । इससे हमारे खिलाड़ियों के जीवन को बहुत नुकसान हुआ है । अगर मैं यह सवाल न करता तो आप अच्छे खिलाड़ियों को कुछ अनुदान देते रहते और वे प्रोफेशनल बन जाते ।

इसी प्रकार से खेलकूद परिषद् की ओर से हाफी सिखाने का एक स्कूल कायम किया गया । लेकिन जब उसके वर्किंग के बारे में चटर्जी कमेटी बैठायी गयी तो पता लगा कि वह तो प्रोफेशनल के लिये है । इसी प्रकार से कैम्प्स भी चलाये गये । इस बारे में भी इन्टरनेशनल ओलम्पिक का यही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

कानून है कि जो इस प्रकार से कैम्प्स में ट्रेनिंग पायेंगे जिनका खर्चा सरकार वहन करेगी तो वे भी एमेच्योर नहीं रहेंगे। यह एक गंभीर घटना है। इसके लिये ही मैंने आधे घंटे का विवाद मांगा था।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, दर असल यह बात ठीक है कि व्यवसायी और अव्यवसायी खिलाड़ियों की एक परिभाषा है। हमारे प्रदेश में क्रीड़ा परिषद् की स्टेट कमेटी ने यह तय किया कि १८ हजार रुपया खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के रूप में दे दिया जाय। बाद में यह प्रश्न आया कि प्रतियोगिताओं में ऐसे लोग भाग न ले पायेंगे। हांलांकि यहां ही नहीं, विदेशों में खिलाड़ियों को इस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर भी इस बात को दूर करने के लिये वह वजीफा केवल ३–४ मास तक दिया गया और बाद में बन्द कर दिया गया और व्यवसायी और अव्यवसायी की जो परिभाषा है वह यह है कि व्यवसायी वह हैं कि जो जीविका का आधार खेलकूद को बना ले और इसी आधार पर काम करे और उसी आय पर उसकी जीविका का निर्वाह होता हो। लकिन अगर किसी ट्रेनिंग क लिय या कोई सहायता दी जाय तो उसको व्यवसायी खिलाड़ी की श्रेणी म नहीं रखा जा सकता और इसके लिये परिषद् ने १८ संघों के २५ प्रतिनिधियों की सलाह से किया है। उसम किसी अधिकारी का दोष नहीं है। यह एक संगठन है जो देश के बाहर जाने वाले खिलाड़ियों को तय करता है। तो इस तरह से वह व्यवसायी नहीं हो जाते, इस आय से कोई जीवन निर्वाह की बात नहीं है, केवल छात्रवृत्ति पाने से जो कि अब बन्द कर दी गई है वह व्यवसायी नहीं कहे जा सकते, वह अयोग्य नहीं होते और न वह व्यवसायी की श्रेणी म ही आयेंगे। मैं समझता हूं कि यह माननीय मुमताज मोहम्मद साहब का भ्रम है और सरकार की ओर स कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि उन्होंने या आनरेरी डायरेक्टर ने इन्टरनेशनल ओलम्पिक फेडरेशन के रूल्स को पढ़ा है?

श्री बंशीधर पांडेय—

उनका जो आशय है उसमें यह ठीक है कि रूल २६ में यह है कि व्यवसायी खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये अयोग्य होंगे लेकिन वह परिभाषा विदेशों में भी है लेकिन यदि कोई छात्रवृत्ति या बाहर जाने के लिये सहायता दी जाय या किसी काम के लिये कोई ट्रेनिंग की फेसिलिटी दी जाय तो वह व्यवसायी की श्रेणी में नहीं आता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

अमेच्योर की परिभाषा में मंत्री जी को भ्रम है मुझे शक नहीं है। क्या मंत्री जी खेलकूद परिषद् के अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे और क्या मंत्री जी इन्टरनेशनल ओलम्पिक फेडरेशन के जो रूल्स हैं उन पर इस परिषद् को चलाने की कोशिश करेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह व्यवसायी की श्रेणी में नहीं आते और यह अधिकारियों की बात नहीं है जैसा मैंने कहा कि १८ संघों के प्रतिनिधियों ने यह तय किया था और उसके बावजूद भी अब स्टाइपन्ड बन्द कर दिया गया है, वह अब नहीं दिया जाता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी हमारे इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जो इन्टरनेशनल नियम हैं और जिन के अन्तर्गत आपने अब अहसास किया और अब अनुदान देना बन्द किया, लकिन अब आप उन को

प्रोत्साहन देने के लिये क्या उपक्रम कर रहे हैं और क्या अनुदान अब आप दे रहे हैं इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन, इसके लिये राज्य क्रीड़ा परिषद् है, रीजन के लेविल पर और डिस्ट्रिक्ट के लेविल पर। मैं एक बात और बता दूं कि नियम २६ जो है वह बड़े खिलाड़ियों पर लागू होता है। अब हमने ८ से लेकर १६ वर्ष के बच्चों को स्टाइपेंड देने के लिये कर दिया है जो कि नियम २६ में नहीं आते हैं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुमताज मुहम्मद जी ने जो बातें कहीं हैं वे बहुत सही हैं। मैं अपने खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूं और यह अवश्य कहूंगा कि यहां का जो खेल है उससे वह बेहतर है। मैं इस संबंध में एक शेर पढ़ कर सुनाता हूं :—

"चाहिये अच्छों को जितना चाहिये,
ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिये।
जब तक मिले न थे एक तमन्ना थी,
अब अफसोस इस बात का है कि तमन्ना निकल गयी।

अगर माननीय मंत्री जी माननीय मुमताज मुहम्मद साहब की बात मान लेंगे तो मुझे भी खुशी होगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी जो इन्टरनेशनल बाडी है, या फेडरेशन है उससे मालूमात करेंगे कि उनका क्या स्तर है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जो राज्य क्रीड़ा परिषद् है या जितनी भी संस्थायें हैं, वे इन्टरनेशनल बाडीज उनकी सब चीजों को सामने रखकर फैसला करती है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या इस बात को देखते हुये कि पश्चिमी खेल जितने हैं वे अधिक खर्च वाले हैं, और भारतीय खेलों के मुकाबले में अधिक स्वास्थ्यप्रद भी नहीं है तो भारतीय खेलों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये स्कूलों और कालिजों में उन्हें खिलाने के लिये आदेश जारी करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

भारतीय खेलों का जहां तक संबंध है वे हमारे शिक्षा विभाग, विकास विभाग और युवक मंगल दल जो हैं, उनमें आते हैं। क्रीड़ा परिषद् का एक दायरा होता है कि किन किन चीजों में वे प्रोत्साहन देते हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आनरेरी डायरेक्टर, यू० पी० खेलकूद परिषद्, जो हैं वे अपने कालिज के जीवन में तकिया खेल (पिलो फाइटिंग) खेला करते थे तो इसकी उन्नति के लिये खेल कूद परिषद् की ओर से क्या क्या किया जा रहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो एक विवरण की बात हो गयी। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अपने प्रदेश से पिछले वर्षों में अब तक कितने ऐसे खिलाड़ी विदेशों में खेलने के लिये भेजे गये और उनमें से कितने व्युरेक्रेट्स के लड़के थे और कितने जनता के थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी सूचना तो उनके पास नहीं है ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, यह तो एक जनरल क्वेस्चन है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो आंकड़े चाहते हैं तो उसका कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

कितने खिलाड़ी विदेशों में गये, यह तो मोटी सी बात हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर आप इसका नोटिस दें तो हम उसका भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस समय प्रश्न का उत्तर दना संभव नहीं है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं समझता हूं कि जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा है वह गलत है, एक लीपापोती सी की गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल कीजिये ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश खेल कूद परषिद् ने इन्टरनेशनल ओलिम्पिक फेडरेशन के नियमों का खंडन किया है, फिर वे किस तरह से कहते हैं कि इसमें हमें नुकसान होगा ? जो कुछ भी वे कहते हैं वह सरासर गलत है और किसी प्रकार से भी उचित नहीं है । मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश खेल कूद परिषद् को तोड़ देना चाहिये क्योंकि इससे हमारे खिलाड़ियों क जीवन को बड़ा धक्का लगता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपकी राय हो सकती है । आप उनसे स्पष्टीकरण करा लीजिये ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश खेल कूद परिषद् का इन्तजाम ऐसे लोगों के हाथों में देने की कृपा करेंगी जो स्वयं खिलाड़ी हों ? क्योंकि वहां ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो तकिये का खेल खेला करते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

उस परिषद् के कुछ नियम बने हुये हैं और उसी के अनुसार ऐसे लोगों को लिया जाता है जो कि खेल कूद क संबंध मे दिलचस्पी रखते हैं और व इस बात का प्रयास करत ह कि सभी इसमें भाग लें ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश खेल-कूद परिषद् में भारतीय खेलों के प्रतिनिधि कौन कौन हैं ? यदि कोई नहीं है तो क्या वे विशेष रूप से भारतीय खेलों के एक्सपर्ट्स को उस परिषद् में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडय—

सूची तो इस समय मेरे पास है नहीं, लेकिन भारतीय और इन्टरनेशनल सभी प्रकार के खेलों के एक्सपर्ट्स उसमें हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय सदस्य का प्रश्न है और मैं भी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद् की प्रबन्ध समिति मे भ्रष्टाचार है, तो क्या सदन की सही जानकारी के लिये माननीय मंत्री जी कोई कमेटी बिठायेंगे और उनके हिसाब किताब की जांच रिपोर्ट सदन क सामन रखने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे कहां उठता है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन, माननीय उग्रसेन जी ने और माननीय मुमताज मुहम्मद खां ने उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद् के संबंध जो सवाल उठाया है, सभी जानते हैं कि उस परिषद् के पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ माननीय मंत्रियों के पाकेट में चला जाता है और खासतौर से माननीय चन्द्रभानु गुप्त का उसमें बहुत बड़ा हाथ है । तो क्या माननीया मुख्य मंत्री जी इसके लिये एक जांच कमेटी बनाने की कृपा करेंगी जो इन सारी चीजों को देखकर रिपोर्ट दे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये नियम बने हुये हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या नियम बने हुये हैं ?

श्री उग्रसेन—

श्रीमन, उत्तर प्रदेश खेल परिषद की प्रबन्ध समिति के संबंध में पार्लियामेंट्री पद्धति के अनुसार हम सवाल तो पूछ ही सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल बाद में पूछ लेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस पार्टीबन्दी के चलते जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके पास छात्रवृत्ति का पैसा पहुंच नहीं पाता है जिससे हमारा जो प्रदर्शन होता है उसमें देश को बेइज्जती होती है। इस पार्टीबन्दी के कारण अच्छे खिलाड़ी नहीं चुने जाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें इसमें कोई गम्भीर बात नहीं है।

श्री प्रेमसिंह—

जो माननीय मुमताज मुहम्मद ने कहा है मैं उसकी ताईद करता हूं, क्या मन्त्री जी उस पर गौर करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो खेल कूद परिषद् है और जो उसके गठन के नियम हैं उनमें इस बात का प्रावीजन है कि जो खिलाड़ी होंगे वही उसमें लिये जायेंगे और उन्हीं को प्रोत्साहन दिया जायगा परन्तु जो कमेटी गठित हुई है उसमें नियमों को पालन नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर गौर करेंगे और जांच करेंगे ताकि जो अनियमिततायें अगर कोई हों तो उनको दुरुस्त किया जा सके।

श्री बंशीधर पांडेय—

उसके प्रबन्ध में जितने लोग हैं वे सब खेलों से संबंधित हैं। अगर कोई और बात माननीय सदस्य सुझाव के रूप में कहना चाहते हैं तो वह लिख कर दे दें उस पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

श्रीमन्, लड़ाई भी एक खेल है तो क्या माननीय काशीनाथ मिश्र और उग्रसेन जी को उसमें भेज देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या यह सही है कि कुछ बदगुमानियों की वजह से जो हाकी की ट्रेनिंग देने के लिए एक स्कूल स्थापित किया गया था किसी कमेटी ने उसको प्रोफेशनल घोषित कर दिया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न किस दृष्टि से किया है। इसमें किसी कमेटी या मेम्बर का दोष नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि १८ संघों के २५ प्रतिनिधियों ने भाग ले कर के तय किया और उसके तहत में यह कार्यक्रम किया गया। यह सत्य से परे है कि उसमें किसी आदमी के बढ़ाने या घटाने का कार्य किया है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

अगर ५० व्यक्ति कोई गलत काम करें तो उसे किस प्रकार वे सही कह सकते हैं जब कि आज सारी जगह इंटरनेशनल ओलम्पिक फेडरेशन के नियमों को मान्यता दी जाती है। तो उनके विपरीत काम करने से, उनका खंडन करने से क्या हमारे खिलाड़ी जीवन में हानि पहुंचती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी ने बात मान ली है कि अगर आप लिख कर देंगे तो वह जांच करा लेंगे और उसके बाद यह मामला खत्म हो जायगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

तो क्या मन्त्री जी आश्वासन देते हैं कि वह इसकी जांच करायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, आधा घंटा पूरा हो चुका है।

श्री प्रेमसिंह—

श्रीमन्, यहां कहने पर तो मानते नहीं मंत्री जी, तो लिख कर देंगे तब क्या मानेंगे ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मंत्री जी कहते हैं कि नियमों के अन्तर्गत खेल कूद परिषद् संगठित है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें जो कमेटी कांस्टीट्यूट की गयी है उसमें कौन-कौन से लोग मेम्बर हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह वह बतला चुके हैं, कि कमेटी के मेम्बर्स के नाम वह नहीं बतला सकते।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा निवेदन यह है यह खेलकूद परिषद् का संगठन जो है और जो नियम बने हुए हैं उनके प्रारूप के अन्दर वह नहीं है और इस बात की जांच करवा ली जाय, लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि नियमों के अन्दर वह संगठित है और उसमें खिलाड़ियों के प्रतिनिधि हैं। तो कौन-कौन से प्रतिनिधि उसमें हैं और उसका कांस्टीट्यूशन क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

लिस्ट मेरे पास नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या खेल कूद परिषद् का इंतजाम केवल जेनुइन खिलाड़ियों के हाथ में सुपुर्द करने का प्रयास किया जायगा ताकि प्रदेश में भविष्य में खेलकूद की उन्नति हो सके ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस कमेटी की क्रीड़ा परिषद् जो राज्य स्तर पर, रीजनल स्तर पर और जिला स्तर पर है उसका बराबर यह प्रयास रहा, है कि जो खेलकूद हों उनमें अच्छे खिलाड़ी भाग लें और उनको प्रोत्साहन देने के लिए माननीय सदस्य सरकार को तथा परिषद् को जो सुझाव देते रहते हैं उस पर कार्यवाही भी होती रहे यह देख लिया जायेगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यह बात गलत है, ऐसा नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। तिलक हाल में जो मीटिंग हो रही है माननीय सदस्य उसमें चलें और वहां पर बहुत सी बातें जानकारी की होंगी।

अब हम उठते हैं और कल १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बज कर ५७ मिनट पर अगले दिन के १० बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२२ सितम्बर, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०८ पर)

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	ऋण रूप में स्वीकृत धनराशि		पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण १९६४–१९६५									
				सिंचाई कूप		कुओं की मरम्मत		बोरिंग		रहट		पंम्पिंगसेट	
		१९६३–६४	१९६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५	६३–६४	६४–६५
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१–	चालापुर ..	८२,०००	८०,०००	३६	१८	५	..	..	..	२	८	३	७
२–	चिरईगांव ..	५०,५००	४०,०००	३०	२४	२	१	..	..	१	३	४	–
३–	हरहुआ ..	२७,५४०	८३,९८०	१५	६०	२	१७	..	..	१	२३	३	१
	योग ..	१६०,०४०	२०३,९८०	८१	१०२	९	१८	..	..	४	३४	१०	८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१० पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ के खंड ४ का उद्धरण।

नयी धारा ८ का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

खण्डों के पुनःसंघटन का परिणाम

८—(१) यदि धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (३) के अधीन, या उपधारा (२) के अधीन किसी खण्ड की (जिसे आगे मूल खण्ड कहा गया है) क्षेत्र समिति का प्रमुख या सदस्य किसी ऐसे क्षेत्र से सम्बद्ध विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्टर्ड रहा हो जो धारा ४ के अधीन दूसरे खण्ड में सम्मिलित कर लिया गया हो, तो वह, धारा ६ तथा ८ में किसी बात के होते हुए भी, मूल खण्ड की क्षेत्र समिति का प्रमुख या सदस्य न रह जायगा और उस दूसरे खण्ड (जिसे आगे नया खण्ड कहा गया है) की क्षेत्र समिति का सदस्य नये खण्ड की क्षेत्र समिति के शेष कार्यकाल के लिए हो जायगा।

(२) यदि धारा ४ के अधीन खण्डों के क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण कोई खण्ड विद्यमान न रह जाय अथवा धारा ८ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी खण्ड की क्षेत्र समिति का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाय, तो ऐसे खण्ड की क्षेत्र समिति के प्रमुख तथा सदस्य जो धारा १८ की उपधारा (१) के क्रमशः खण्ड (१) तथा (२) के अधीन जिला परिषद् के सदस्य हो, धारा १८ और २० में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् के शेष कार्यकाल के लिए परिषद् के सदस्य बने रहेंगे।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२४ पर)

विधान सभा के दूसरे सत्र के ७वें बुधवार के लिये श्री नाथूराम शिक्षक के अतारांकित प्रश्न संख्या १ का संलग्नक —

जिले का नाम	विकास क्षेत्र का नाम	विकास क्षेत्र के खुलने की तिथि	विकास क्षेत्र की वर्तमान स्टेज
इलाहाबाद ..	१—फूलपुर ..	.. २-१०-५३	पोस्ट स्टेज-२
	२—बहादुरपुर ..	.. २६-१-५६	स्टेज-२
	३—बहारिया ..	.. १-१०-६०	स्टेज-१
	४—चैलखास ..	.. २६-१-५४	पोस्ट स्टेज-२
	५—नेवादा ..	.. ६-१२-५६	स्टेज-२
	६—मूरतगंज ..	.. १-१०-६२	स्टेज-१
	७—कोरांव ..	.. २-१०-५३	पोस्ट स्टेज-२
	८—मेजा ..	.. १-१०-६२	स्टेज-१
	९—मांडा ..	.. १-४-६२	स्टेज-१
	१०—उर्वा ..	.. १-१०-६२	स्टेज-१
	११—कड़ा ..	.. २६-१-५४	स्टेज-२
	१२—सिराथुं ..	.. १-४-६२	स्टेज-१
	१३—करछना ..	.. २६-१-५६	स्टेज-२
	१४—शंकरगढ़ ..	.. १-४-५९	स्टेज-२
	१५—चाका ..	.. १-४-५९	स्टेज-१
	१६—जसरा ..	.. १-४-६१	स्टेज-१
	१७—मऊऐमा ..	.. २-१०-५६	स्टेज-२
	१८—सोरांव ..	.. १-१०-५९	स्टेज-१
	१९—सरस्वतीपुर (कौड़ीहार) ..	१-४-६२	स्टेज-१
	२०—हौलागढ़ ..	.. १-१०-६१	स्टेज-१
	२१—साईबाबाद ..	.. ६-१२-५६	स्टेज-२
	२२—प्रतापपुर ..	.. ६-१२-५६	स्टेज-२
	२३—हांडिया ..	.. १-४-५८	स्टेज-२
	२४—धानपुर ..	.. १-४-६०	स्टेज-२
	२५—मंझनपुर ..	.. १-४-५७	स्टेज-२
	२६—सरसावन ..	.. १-७-५७	स्टेज-२
	२७—कनैली ..	.. १-१०-६१	स्टेज-१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थियां "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२६ पर)

विधान सभा उत्तर प्रदेश के तृतीय सत्र १९६५ के ७वें बुधवार के लिये निर्धारित श्री उल्फत सिंह यादव के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तरालेख्य (३१-८-६५)

(१) कृषि	(अ) अल्प सिंचाई के कूप नये कूप निर्माण ..	२१	
	(ब) कुओं पर रहट लगाई गई	१९	
	(स) खाद के गड्ढे (पक्के) बने	१२	
	(द) गूल निर्माण	५४१	मीटर
	(य) कृषि यंत्र वितरण	१९	
	(च) वाशर रहट	१	
	(छ) नये उद्यान लगाये गये	१५	एकड़
(२) पशुपालन			
	(अ) कुक्कुट शाला निर्माण	१	
	(ब) पशु चिकित्सालय की स्थापना ..	१	
	(स) अंडों का वितरण	३७	
	(द) एक दिवसीय मुर्गी के बच्चों का वितरण ..	७३	
	(य) दो माह के मुर्गी के बच्चे का वितरण ..	२७	
	(च) मुर्गी का वितरण	६	
	(छ) फास्टर मदर का वितरण	१	
	(झ) चरनी का निर्माण	५	
	(ज) पशुशाला का निर्माण	१	
	(छ) हरियाना सांड का वितरण	१	
	(ट) रानी खेत के टीके लगाये	३३८	
	(ठ) एच० एस० के टीके	९१६	
	(ड) वी० क्यू० के टीके	३१४	
	(ढ) फाऊल कोलरा	९५	
(३) सहकारिता			
	(अ) साधन सहकारी समिति की स्थापना ..	१	
	(ब) रूरल गोडाउन की स्वीकृति ..	१	
(४) पंचायत	(अ) पेय जल कूप मरम्मत	८	
	(ब) खरंजा निर्माण	२८०	गज
	(स) नल	२३	
	(द) स्कूल में नर्स शिक्षा विभाग	१	

	(य) चेचक के टीके जो लगाये गये (प्राथमिक)	..	२७३
	(पुर्नवेद) ..	..	१८३८
(५) हरिजन कल्याण			
	(अ) रहट को अनुदान	..	२
	(ब) कुक्कुट शाला निर्माण	..	१
	(स) हरिजन मकान निर्माण	..	१
	(द) हरिजन उत्थान हेतु बैलों की सहायता	..	१
(६) महिला कल्याण			
	(क) महिला केन्द्र कल्याण	..	१
	(ख) बालवाड़ी ..	..	१
	(ग) ग्राम लक्ष्मी प्रशिक्षण शिविर	..	१
(७)	(क) कन्या पाठशाला खुलीं	..	१
	(ख) ,, ,, (जूनियर)	..	१
	(ग) सूचना केन्द्र पुस्तकालय	..	१
	(घ) प्रौढ़ पाठशाला खुले	..	१
(८) गृह उद्योग			
	(क) रहट बनाने की उद्योग ईकाई की स्थापना	..	२
	(ख) वर्क शेड निर्माण	..	१
	(ग) कारीगर प्रशिक्षण किये गये	..	३

प्रमाणित

(ह०) रामदेव राम,
खण्ड विकास अधिकारी,
दहगवां (बदायूं)

जिला नियोजन अधिकारी,
बदायूं।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४६ एल० ए०—१९६६—८६२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा